

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 43]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 अक्टूबर 2017—कार्तिक 5, शक 1939

विषय-सूची

भाग 1.—(1) राज्य शासन के आदेश, (2) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, (5) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7) लोक-भाषा परिशिष्ट

भाग 2.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं

भाग 3.—(1) विज्ञापन और विविध सूचनाएं, (2) सांख्यिकीय सूचनाएं

भाग 4.—(क) (1) मध्यप्रदेश विधेयक, (2) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक, (ख) (1) अध्यादेश, (2) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम, (ग) (1) प्रारूप नियम, (2) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 सितम्बर 2017

क्र. ई-5-481-आयएस-लीव-5-एक.—श्री इकबाल सिंह बैस, आयएस, अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग एवं आनंद विभाग को इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 5 सितम्बर 2017 द्वारा दिनांक 6 से 13 अक्टूबर 2017 तक, आठ दिन का एक्स इंडिया अर्जित अवकाश स्वीकृत किया गया था, एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
फजल मोहम्मद, अवर सचिव "कार्मिक"

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 सितम्बर 2017

क्र. एफ 1 (ए) 92-2011-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, (ग्रामीण) भोपाल रेन्ज भोपाल को दिनांक 11 से 23 दिसम्बर 2017 तक तेरह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 9-10 एवं 24-25 दिसम्बर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2014-17 के विस्तार वर्ष 2017 में कन्याकुमारी (तमिलनाडू) जाने हेतु उक्त अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ भारत भ्रमण की यात्रा की अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है :—

- | | | |
|-----------------------|---|--------|
| 1. श्री के. बी. शर्मा | — | स्वयं |
| 2. श्रीमती सीमा | — | पति |
| 3. श्री अक्षिता | — | पुत्री |
| 4. श्री कार्तिक | — | पुत्र |

5521

(2) उक्त अवकाश अवधि में श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, की अवकाश अवधि में इनका कार्य श्री संतोष कुमार सिंह, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, भोपाल (शहर) भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, उप पुलिस महानिरीक्षक, (ग्रामीण) भोपाल रेन्ज भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, उप पुलिस महानिरीक्षक, (ग्रामीण) भोपाल रेन्ज भोपाल के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका (2) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. बी. शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

क्र. एफ 1 (ए) 150-90-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री संजय व्ही. माने, भा. पु. से., अति. पुलिस महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल को दिनांक 16 से 26 अगस्त 2017 तक, ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है।

(2) अवकाश से लौटने पर श्री संजय व्ही. माने, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त कार्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(3) अवकाशकाल में श्री संजय व्ही. माने, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजय व्ही. माने, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ 1 (ए) 92-99-ब-2-दो.—राज्य शासन श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे पुलिस महानिरीक्षक, (गुप्तवार्ता) पुलिस मुख्यालय, भोपाल, को दिनांक 3 से 20 अक्टूबर 2017 तक, अठारह दिवस अर्जित अवकाश दिनांक 1-2 एवं 21-22 अक्टूबर 2017 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत करता है।

(2) श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री संजीव शमी, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, (एटीएस) पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ-साथ संपादित किया जायेगा।

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, (गुप्तवार्ता) पुलिस मुख्यालय, भोपाल, के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है।

(4) श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे, द्वारा कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे।

(5) अवकाशकाल में श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था।

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मकरंद देउस्कर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

श्री दास, अवर सचिव.

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 6 अक्टूबर 2017

क्र. 840-1483-2013-ब-सोलह.—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (34 सन् 1948) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा उज्जैन टेरिटेबल ट्रस्ट हास्पिटल एवं रिसर्च सेंटर उज्जैन को उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 1 अगस्त 2016 से 31 जुलाई 2017 तक की अवधि के लिये इस शर्त पर छूट प्रदान करता है कि कर्मचारियों को संस्था द्वारा दी जा रही सुविधाएं कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दी जा रही सुविधाओं से कम नहीं होगी। संस्था द्वारा वर्तमान में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा दिया जाने वाला रिहबिलिटेशन अलाउंस की सुविधा भी प्रदान की जावेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमरपाल सिंह, उपसचिव.

पर्यटन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 10 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-10-62-2016-तैतीस.—राज्य शासन, एतद्द्वारा, मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 5 अगस्त 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 06 के पारिपालन में प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश में संशोधनों को अधिसूचित करता है।

उक्त निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी संशोधित निर्देश

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10-62-2016-तैंतीस, दिनांक 28 फरवरी 2017 की कंडिका क्रमांक 08 एवं कंडिका 14 में निम्नानुसार अतिरिक्त पैराग्राफ जोड़ा गया है:—

1. निवेशक द्वारा Indian Register of Shipping (IRS) के अलावा अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणीकरण एजेंसी के चयन/अनुमोदन हेतु प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश, टूरिज्म बोर्ड अधिकृत होगा।
2. लायसेंस मूलतः 10 वर्ष के लिये होगा। इस हेतु प्रतिवर्ष निर्धारित शुल्क तथा Indian Register of Shipping (IRS) / अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय स्तर की प्रमाणीकरण एजेंसी द्वारा प्रमाणीकरण भी प्राप्त किया जावेगा।

क्र. एफ-10-62-2016-तैंतीस.—राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश पर्यटन नीति 2016 की कंडिका 20 में प्रावधानित साधिकार समिति की बैठक दिनांक 5 अगस्त 2017 में पारित बिन्दु क्रमांक 06 के पारिपालन में प्रदेश में जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने की प्रक्रिया संबंधी निर्देश के अंतर्गत जल क्षेत्रों की संशोधित सूची अधिसूचित करता है।

उक्त निर्देश अधिसूचना जारी होने की तिथि से प्रभावी होंगे।

मध्यप्रदेश जल पर्यटन गतिविधियों हेतु लायसेंस देने हेतु अधिकृत जल क्षेत्रों की संशोधित सूची

राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 10-62-2016-तैंतीस, दिनांक 28 फरवरी 2017 में वर्णित लायसेंस हेतु अधिकृत जल क्षेत्रों की सूची में निम्नानुसार 3 नये जल क्षेत्र जोड़े गए हैं :—

1. धोलाबाड़ जलाशय का जल क्षेत्र रतलाम (जामड़ नदी एवं अन्य सहयोगी नदियों सहित)।
2. तिघरा जलाशय का जल क्षेत्र, ग्वालियर,
3. किशनपुरा जलाशय का क्षेत्र, बेटमा, इंदौर।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पदमरेखा ढोले, अवर सचिव।

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

क्र. डी-5-10-101-09-चौदह-3.—राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन्

1973) की धारा 41(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री एस. एस. उप्पल को मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में उपाध्यक्ष के पद पर मनोनीत किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

क्र. डी-5-10-101-09-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. एस. धुर्वे, उपसचिव।

Bhopal, the 18th October 2017

No. D-5-10-101-09-XIV-3.—In exercise of powers conferred by Section 41(2) of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby nominate Shri S. S. Uppal, Vice Chairman of the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board.

By order and in the name of the Governor
of Madhya Pradesh,
B. S. DHURAV, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2017

क्र. डी-5-10-101-09-चौदह-3.—राज्य शासन एतद्वारा, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 41(1) (ख) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड में पदेन सदस्यों के अतिरिक्त निम्न सदस्यों को नामनिर्दिष्ट किया जाता है:—

स. क्र.	नाम	पद
(1)	(2)	(3)
01	श्री एस. एस. उप्पल, निवासी ई-4/75, अरेरा कॉलोनी, भोपाल.	विशेषज्ञ
02	श्री सुनील नामदेव, नामदेव निवास, सिविल अस्पताल के पास, वार्ड नम्बर-2, मुक्तिधाम रोड, बिछिया, जिला मण्डला.	विशेषज्ञ
03	श्री धरम सिंह आर्य, (खाती), अध्यक्ष कृ. उ. म. आष्टा, निवासी ग्राम खामखेड़ा, पो. बैजनाथ, तहसील आष्टा, जिला सीहोर.	सदस्य

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
04	श्री रामेश्वर पटेल, अध्यक्ष, कृ. उ. म. बनापुरा, निवासी ग्राम राममियाड, बिसोनीकलाँ, तहसील सिवनी मालवा, जिला होशंगाबाद.	सदस्य	14	श्री हंसराज, पिता श्री बल्लर शाह मालपानी, निवासी शास्त्री वार्ड, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर.	सदस्य (व्यापारी)
05	श्री आजम सिंह, अध्यक्ष, कृ. उ. म. अलीराजपुर, निवासी ग्राम व पोस्ट हर्षवाज, तहसील एवं जिला अलीराजपुर, (म. प्र.)	सदस्य	15	श्री रामचंद्र पिता श्री दशरथ मौर्य हम्माल, कृ. उ. मा. खण्डवा, निवासी शिवाजी नगर, दादाजी वार्ड, जिला खण्डवा.	सदस्य (हम्माल)
06	श्रीमती रामकुंवर बाई पाटीदार, अध्यक्ष, कृ. उ. म. शाजापुर, निवासी ग्राम सदगाँव तहसील व जिला शाजापुर.	सदस्य	मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. धुर्वे, उपसचिव. भोपाल, दिनांक 18 अक्टूबर 2017		
07	श्री जितेन्द्र रावत, अध्यक्ष, कृ. उ. म. भितरवार, निवासी ग्राम व पोस्ट ईटमा, तहसील भितरवार, जिला ग्वालियर.	सदस्य	क्र. डी-5-10-101-09-चौदह-3.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड 3 के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 18 अक्टूबर, 2017 का अंग्रेजी अनुवाद के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. एस. धुर्वे, उपसचिव.		
08	श्री देवेन्द्र नरवरिया, अध्यक्ष, कृ. उ. म. मेहगाँव, निवासी 491, शिक्षा मार्ग, आर्य नगर, भिण्ड, (मध्यप्रदेश).	सदस्य	Bhopal, the 18 th October 2017		
09	श्री बृजेश राय, अध्यक्ष, कृ. उ. म. छतरपुर, निवासी घोषियाना मोहल्ला, बसारी, दरवाजा के पास, ग्वालमगरा रोड, छतरपुर.	सदस्य	No. D-5-10-101-09-XIV-3.—In exercise of powers conferred by Section 41 (1) (B) of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhinyam, 1972 (No. 24 of 1973), the State Government hereby nominates the following members to the Madhya Pradesh State Agricultural Marketing Board other than to the ex-officio members under Clause 41 (1) (B) :—		
10	श्री शेष राव यादव, अध्यक्ष, कृ. उ. म. छिन्दवाड़ा, निवासी सतपुड़ा विहार कालोनी, छिन्दवाड़ा.	सदस्य	S. No. (1)	Name (2)	Post (3)
11	श्री स्वदीप सिंह, अध्यक्ष, कृ. उ. म. हनुमना जिला रीवा, (मध्यप्रदेश).	सदस्य	1	Shri S. S. Uppal, R/o, E-4/75, Arera Colony, Bhopal.	Specialist
12	श्री राजेश तिवारी, अध्यक्ष, कृ. उ. म. ब्यौहारी, निवासी ग्राम मंदरिया टोला, पोस्ट वनसुकली, तहसील जैसीनगर, जिला शहडोल.	सदस्य	2	Shri Sunil Namdeo, Namdeo Niwas, Near Civil Hospital, Ward No. 2, Muktidham Road, Bichhiya, Distt. Mandla.	Specialist
13	श्री मनोज काला, 186, विंध्याचल कालोनी, इन्दौर.	सदस्य (व्यापारी)	3	Shri Dharam Singh Arya (Khati), Chairman, Krishi Upaj Mandi, Ashta, Residence Gram Khamkheda, Post-Bajinath, Tehsil Aashta, District Sehore.	Member

(1)	(2)	(3)	(1)	(2)	(3)
4	Shri Rameshwar Patel, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Banapura, Residence Gram Rammiyau, Post Bisonikalan, Tehsil Seoni-Malwa, District Hoshangabad.	Member	9	Shri Brijesh Rai, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhatarpur, Residence Goshiyana Mohalla, Near Bisari Darwaja, Gvalmagara Road, Chhatarpur.	Member
5	Shri Azam Singh, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Alirajpur Residence Gram and Post Harshwaj, Tehsil and District Alirajpur (M. P.).	Member	10	Shri Sesh Rao Yadav, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Chhindwara, Residence Satpura Vihar Colony, Chhindwara.	Member
6	Smt. Ramkuwar Bai Patidar, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Shajapur, Residence Gram Sadgaon, Tehsil and District Shajapur.	Member	11	Shri Swadeep Singh, Chairman, Krishi Upaj Mandi, Hanumana, District, Rewa (M. P.).	Member
7	Shri Jitender Rawat, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Bhitwar, Residence Gram and post Itama, Tehsil Bhitwar, District Gwalior.	Meber	12	Shri Rajesh Tiwari, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Beohari, Residence Gram Madriya Tola, Post: Vansukali, Tehsil Jayasingnagar, District Shahdol.	Member
8	Shri Devendra Narvariya, Chairman, Krishi Upaj Mandi Samiti, Mehgaon, Residence 491, Shisha Marg, Arya Nagar, Bhind (M. P.).	Meber	13	Shri Manoj Kala, 186, Vidhyachal Colony, Indore.	Member (Trader representative)
			14	Shri Hansraj S/o Shri Ballar Shah Malpani, Residence Shastriward, Gadawara, District Narsinghpur.	Member (Trader representative)
			15	Shri Ramchand S/o Shri Dashrath Morya, Hamal, Krishi Upaj Mandi Samiti, Khandwa, Residence Shivaji Nagar, Dadaji Ward, District Khandwa.	Member (Hammal representative)

By order and in the name of the Governor of
Madhya Pradesh
B. S. DHURAV, Dy. Secy.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2017

फा. क्र. 4337-2017-इक्कीस-ब(एक).—राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 (1984 का सं. 66) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्द्वारा, उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उनके पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक नियुक्त करता है :—

क्र.	नाम व पदनाम	नवीन पदस्थापना
(1)	(2)	(3)
1	श्री सुबोध कुमार जैन, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, सागर	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर
2	श्रीमती रेणुका कंचन, विशेष न्यायाधीश, एस. सी./एस. टी. (पी. ए.) इंदौर.	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, इंदौर

(1)	(2)	(3)
3	श्री योगेश दत्त, (शुक्ला) अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, रीवा	प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल
4	श्री हृदेश, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, नम्बर 1, जबलपुर	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह के स्थान पर.
5	श्री सुनिल कुमार श्रीवास्तव, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, नम्बर 2, जबलपुर.	द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर
6	श्री संजय कुमार द्विवेदी V ADJ ग्वालियर	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, ग्वालियर
7	श्री ज्ञान प्रकाश अग्रवाल, विशेष न्यायाधीश, खण्डवा	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन
8	श्री अंजनी नन्दन जोशी, ADJ रेहली जिला सागर	अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, उज्जैन
9	श्री श्याम बिहारी वर्मा, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, ग्वालियर	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, देवास एवं अतिरिक्त प्रभार प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, महेश्वर एवं बड़वानी.
10	श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, गुना	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, गुना एवं अतिरिक्त प्रभार प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, अशोकनगर.
11	श्रीमती उषा गेडाम, IV ADJ सतना	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, धार एवं अतिरिक्त प्रभार प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, अलीराजपुर.
12	श्री कैलाश चंद्र यादव, ADJ सौंसर, जिला शाजापुर	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, डिण्डौरी एवं अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, उमरिया.
13	श्री विजय मालवीय, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, सतना	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर
14	श्री प्रणेश कुमार प्राण, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम नम्बर 2, भोपाल	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, शहडोल एवं अतिरिक्त प्रभार प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, अनूपपुर.
15	श्री किर्ती कुमार वर्मा, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, छिन्दवाड़ा	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा
16	श्री कृष्ण गोपाल सुरेका, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, विदिशा	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, मुरैना एवं अतिरिक्त प्रभार प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, श्योपुर.
17	श्री राजवर्धन गुप्ता, I ADJ मंदसौर	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, मंदसौर एवं अतिरिक्त प्रभार प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, नीमच.
18	श्री देव नारायण मिश्रा, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, छतरपुर	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, छतरपुर
19	श्री अनिल कुमार भाटिया, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, रतलाम	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रतलाम एवं अतिरिक्त प्रभार प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, झाबुआ.
20	श्री विरेन्द्र सिंह राजपुत, ADJ गोहद जिला भिण्ड	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल
21	श्री प्रकाश चंद्रा, III ADJ खण्डवा	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, हरदा
22	श्री संजीव कुमार अग्रवाल, II ADJ छिंदवाड़ा	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड
23	श्री अजय कुमार गर्ग, I ADJ डबरा जिला ग्वालियर	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, सागर
24	श्री राजीव कुमार सिंह, I ADJ इटारसी जिला होशंगाबाद	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, दमोह
25	श्री कमर इकबार खान, III ADJ शिवपुरी	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, कटनी
26	श्री राजेन्द्र चौरसिया, अतिरिक्त कल्याण आयोग, भोपाल	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला

(1)	(2)	(3)
27	श्री मोहन पी. तिवारी, II ADJ मुलताई जिला बैतूल	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा एवं अतिरिक्त प्रभार प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, रायसेन.
28	श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, विशेष न्यायाधीश, छतरपुर	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, सीहोर
29	श्री राजीव आप्टे, IV ADJ शिवपुरी	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, राजगढ़ एवं अतिरिक्त प्रभार प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, शाजापुर.
30	श्री ब्रम्हाशंकर दीक्षित, अध्यक्ष जिला उपभोक्ता फोरम, शिवपुरी	प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, शिवपुरी एवं अतिरिक्त प्रभार प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय, दतिया.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. एम. सक्सेना, प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-15-24-2017-दस-2.— भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं. उक्त नियम के नियम 03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है :-

अनुसूची

क्रमांक	वन मण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	सतना	मुकुन्दपुर	नकटीघाट	आरक्षित वन 699, 706, 707, 708, 698, 697, 696, 694, 693, 692, 688, 687, 686	140.00	पूर्व—खजुरी बीट का कक्ष क्रमांक 687, 688 पश्चिम—बीहर नदी एवं कक्ष क्रमांक 708 उत्तर— बीहर नदी एवं कक्ष क्रमांक 686, 694 दक्षिण—कक्ष क्रमांक 700, 691

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-15-24-2017-दस-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-24-2017-दस-2, दिनांक 16 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 16th October 2017

No. F 15-24-2017-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015 Under the sub-section 3(1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hact.)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Satna	Mukundpur	Nakatighat	RF-699, 706, 707, 708, 698, 697, 696, 694, 693, 692, 688, 687, 686.	140.00	East. —Khajuri Compartment No. 687, 688. West. —Beehar River and Compartment No. 708. North. —Beehar River Compartment No. 686, 694. South. —Compartment No.700, 691.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-15-25-2017-दस-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16), की धारा 26 की उपधारा (2) एवं धारा 76 के खण्ड (घ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों के तहत राज्य सरकार द्वारा मध्यप्रदेश वन (मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभव) नियम, 2015 बनाये गये हैं। उक्त नियम के नियम 03(1) के अंतर्गत राज्य सरकार निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करती है :—

अनुसूची

क्रमांक	वन मण्डल	परिक्षेत्र	स्थल	कक्ष क्रमांक	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	सीमाएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	ग्वालियर	ग्वालियर	जिन्सी तपोवन	आरक्षित वन 34	32.00	पूर्व —मुनारा क्रमांक 1 से 3 तक कृत्रिम कटी रेखा. पश्चिम —मुनारा क्रमांक 4 से 5 तक कृत्रिम कटी रेखा. उत्तर — मुनारा क्रमांक 5 से 1 तक कृत्रिम कटी रेखा. दक्षिण —मुनारा क्रमांक 3 से 4 तक कृत्रिम कटी रेखा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-15-25-2017-दस-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-15-25-2017-दस-2, दिनांक 16 अक्टूबर 2017 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय मोहरीर, अपर सचिव.

Bhopal, the 16th October 2017

No. F 15-25-2017-X-2.—In exercise of the powers conferred by the sub-section (2) of Section 26 read with clause (d) of Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the State Government has made Madhya Pradesh Forest (Recreation and Wildlife Experience) Rules, 2015 Under the sub-section 3(1) of the said rules, the State Government declares the area mentioned in the following schedule as **Recreational Area** from the date of publication of notification in the Madhya Pradesh Gazette :—

SCHEDULE

S. No.	Forest Division	Forest Range	Site	Compartment No.	Area (in Hact.)	Boundaries
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Gwalior	Gwalior	Jinsi Tapovan	RF-34	32.00	<p>East.—Artificial boundary line pillar No. 1 to 3.</p> <p>West.—Artificial boundary line pillar No. 4 to 5.</p> <p>North.—Artificial boundary line pillar No. 5 to 1.</p> <p>South.—Artificial boundary line pillar No. 3 to 4.</p>

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh;
SANJAY MOHARIR, Addl. Secy.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (मंडी निर्वाचन) जिला सीहोर, मध्यप्रदेश

सीहोर, दिनांक 11 अक्टूबर 2017

क्र. 440-स्था. निर्वा.-मंडी निर्वा.-2017-18.—इस कार्यालय द्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक-369-स्था. निर्वा.-मंडी निर्वा.-2016-17 सीहोर, दिनांक 17 मई 2017 में आंशिक संशोधन कर, मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम, 1972 की धारा 11(1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, तरुणकुमार पिथोड़े, कलेक्टर, जिला सीहोर मंडी अधिनियम की धारा 11(1) खण्ड (ज) के अंतर्गत जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक के प्रतिनिधि की सीहोर जिले की कृषि उपज मंडी समिति, सीहोर के लिये श्रीमती उषा सक्सेना, अध्यक्ष जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सीहोर जिला सीहोर के स्थान पर श्री शशांक सक्सेना संचालक, जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक, सीहोर को एतद्द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नामनिर्दिष्ट करता हूँ।

तरुणकुमार पिथोड़े, कलेक्टर.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला धार, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्र. 1045-नर्मदा सेल-2017

धार, दिनांक 29 जून 2017

(अन्तर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013)

चूंकी राज्य शासन को इस बात का सामधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्र. 01 में सरदार सरोवर परियोजना हेतु पुनर्बसाहट में भूमि आने के कारण ग्राम अमलाबावड़ी तहसील कुक्षी जिला धार की प्रभावित निजी भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि कि अनुसूची (1) के आंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

अनुसूची (1)

ग्राम - अमलाबावड़ी

तहसील कुक्षी जिला धार

क्रमांक	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर)		
		सिंचित	असिंचित	कुल
1.	सरदार सरोवर परियोजना हेतु पुनर्बसाहट में भूमि आने के कारण ग्राम अमलाबावड़ी तहसील कुक्षी जिला धार	-	0.442	0.442
	योग	-	0.442	0.442

अनुसूची (2)

सरदार सरोवर परियोजना पुनर्वास स्थल में भूमि आने के कारण ग्राम अमलाबावड़ी तहसील कुक्षी की प्रभावित भूमि का विवरण

क्र.	कृषक का नाम व पिता/पति का नाम	खसरा क्रमांक	भूमि का कुल रकबा (हे.)			अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर)		
			सिंचित	असिंचित	कुल	सिंचित	असिंचित	कुल
1.	हरिगीर, दौलतगीर, महादेवगीर पिता भगवानगीर, सुशीलाबाई पति सोम्यापुरी जाति गुसाई निवासी ग्राम एकलबारा भूमि स्वामी लक्ष्मीबाई पिता भगवानगीर रामकुंवरबाई बेवा भगवानगीर जाति गुसाई, निवासी ग्राम निसरपुर भूमि स्वामी	8/1	-	1.179	1.179	-	0.442	0.442
			-	1.179	1.179	-	0.442	0.442

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्रीमन् शुक्ला, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

प्र. क्र. ए-17032

राजगढ़ दिनांक 25 सितम्बर 2017

~ (अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ की ग्राम भीकनपुर के लिये डूब में शेष प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1)

ग्राम - भीकनपुर		तहसील - सारंगपुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	1.783	0.946
	योग	1.783	0.946

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाईल नम्बर	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5	6
1	हरिसिंह पिता बहादुर सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9165389692	10 ✓	0.683 ✓	0.340 ✓
				0.683 ✓	0.340 ✓
2	विक्रमसिंह रूपसिंह हरिसिंह पिता बहादुर सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8224012212	12 ✓	0.114 ✓	0.114 ✓
			13 ✓	0.342 ✓	0.042 ✓
			14 ✓	0.202 ✓	0.050 ✓
			236 ✓	0.442 ✓	0.400 ✓
				1.100 ✓	0.606 ✓
			महायोग	1.783 ✓	0.946 ✓

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए-17139

राजगढ़ दिनांक 3 अक्टूबर 2017

(अंतर्गत धारा-19 भूमि भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ की ग्राम खजुरियाघाटा के लिये डूब में प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची में उल्लेखित

है। सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1)

ग्राम - खजूरीया घाटा		तहसील - सांरगपुर	जिला राजगढ़
क्र.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बाँध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	27.443 ✓	7.475 ✓
	योग	27.443 ✓	7.475 ✓

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बाँध परियोजना में प्रभावित होने से

क्र.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाईल नम्बर	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा
1	2	3	4	5	6
1	हिन्दूसिंह पिता पर्वतसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9754546601	2/1/1 ✓	1.524 ✓	0.370 ✓
	योग			1.524 ✓	0.370 ✓
2	नारायणसिंह पिता पर्वतसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7610338859	2/1/2 ✓	1.524 ✓	0.250 ✓
	योग			1.524 ✓	0.250 ✓
3	उमरावसिंह पिता पर्वतसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8717841530	2/1/3 ✓	1.524 ✓	0.440 ✓
	योग			1.524 ✓	0.440 ✓
4	इन्दरसिंह पिता पर्वतसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9754546601	2/1/4 ✓	1.525 ✓	0.530 ✓
	योग			1.525 ✓	0.530 ✓
5	प्रेमसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8718853104	2/2/1 ✓	0.598 ✓	0.300 ✓
	योग			0.598 ✓	0.300 ✓
6	श्लमासिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7772915117	2/2/2 ✓	0.598 ✓	0.340 ✓
	योग			0.598 ✓	0.340 ✓
7	एलकारसिंह पिता शिवसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9669455821	2/2/7 ✓	0.598 ✓	0.470 ✓
	योग			0.598 ✓	0.470 ✓
8	समलाल पिता शिवसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8965843845	2/2/3 ✓	0.598 ✓	0.240 ✓
	योग			0.598 ✓	0.240 ✓
9	चतरलाल पिता शिवसिंह जाति सौधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120036044	2/2/4 ✓	0.598 ✓	0.220 ✓
	योग			0.598 ✓	0.220 ✓

10	ईश्वरसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120036044	2/2/5	0.598 ✓	0.220 ✓
	योग			0.598 ✓	0.220 ✓
11	दरबारसिंह पिता शिवसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9753103275	2/2/6	0.598 ✓	0.220 ✓
	योग			0.598 ✓	0.220 ✓
12	रामसिंह पिता शंकरसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9617368113	3/5/7/1	2.400 ✓	0.060 ✓
	योग			2.400 ✓	0.060 ✓
13	शंकरलाल पिता लालजीराम जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9755067018	4	1.391 ✓	0.090 ✓
	योग			1.391 ✓	0.090 ✓
14	शिवसिंह पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8120036044	6	1.265 ✓	0.510 ✓
	योग			1.265 ✓	0.510 ✓
15	गंगाराम पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8959887401	9	2.845 ✓	2.410 ✓
	योग			2.845 ✓	2.410 ✓
16	भगवानसिंह पिता रायसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9669258331	25	3.313 ✓	0.410 ✓
	योग			3.313 ✓	0.410 ✓
17	दूलेसिंह पिता माधोसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9617618967	89/1	0.506 ✓	0.060 ✓
	योग			0.506 ✓	0.060 ✓
18	माधुसिंह हिन्दूसिंह सुन्दरलाल हरिसिंह विष्णु कृष्णाबाई नारानीबाई पिता मानसिंह सम्पतबाई पति स्व. मानसिंह जाति भील पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		92	1.846 ✓	0.220 ✓
	योग			1.846 ✓	0.220 ✓
19	मोहन पिता भग्गा जाति अनुसूचित पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		132/1	1.000 ✓	0.004 ✓
	योग			1.000 ✓	0.004 ✓
20	जगदीश पिता देवा जाति अनुसूचित पता निवासी ग्राम शासकीय पट्टेदार	8959110402	144/2	1.000 ✓	0.005 ✓
	योग			1.000 ✓	0.005 ✓
21	हिम्मत पिता बापू जाति लोहार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		148/3	0.657 ✓	0.006 ✓
	योग			0.657 ✓	0.006 ✓
22	देवीलाल पिता रूगनाथ जाति पाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		163/1	0.284 ✓	0.025 ✓
	योग			0.284 ✓	0.025 ✓
23	दिनेश पिता रूगनाथ जाति पाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		163/2	0.285 ✓	0.025 ✓
	योग			0.285 ✓	0.025 ✓
24	संपतबाई पति किशनलाल जाति पाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		166/4 167	0.368 ✓	0.050 ✓
	योग			0.368 ✓	0.050 ✓
महायोग				27.443 ✓	7.475 ✓

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. ए. 17140

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 चूँकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम देवगढ़ के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची क्रं 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची क्रं 02 की भूमि की अनुसूची क्रं 01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	कुल
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	120.902 ✓	112.652 ✓
	योग	120.902 ✓	112.652 ✓

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाईल नम्बर	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का
1	रहीमुल्ला खां आ. अब्दुल्ला खां जाति मुसलमान नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	8585263758	2/1/1/1 ✓	5.474 ✓	5.474 ✓
			9/3 ✓	0.235 ✓	0.235 ✓
			9/4 ✓	0.097 ✓	0.097 ✓
			योग	5.806 ✓	5.806 ✓
2	जमालुद्दीन खां आ. अब्दुल्ला खां जाति मुसलमान नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	7024917236	2/1/1/2 ✓	6.525 ✓	6.525 ✓
			14/15	1.133 ✓	0.845 ✓
			योग	7.658 ✓	7.370 ✓
3	पूरसिंह आ. कालूराम जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9179911503	2/1/2/1	0.344 ✓	0.344 ✓
			2/1/6/1	0.233 ✓	0.233 ✓
			2/1/7/1	0.240 ✓	0.240 ✓
			2/1/8/1	0.282 ✓	0.282 ✓
			2/1/9/1	0.265 ✓	0.265 ✓
			2/1/10/1	0.199 ✓	0.199 ✓
			13	1.752 ✓	1.500 ✓
योग	3.315 ✓	3.063 ✓			
4	सुरेश आ. कालूराम जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	8120241161	2/1/2/2 ✓	0.688 ✓	0.688 ✓
			2/1/6/2 ✓	0.465 ✓	0.465 ✓
			2/1/7/2 ✓	0.481 ✓	0.481 ✓
			2/1/8/2 ✓	0.565 ✓	0.565 ✓
			2/1/9/2 ✓	0.531 ✓	0.531 ✓
			2/1/10/2 ✓	0.396 ✓	0.396 ✓
योग	3.126 ✓	3.126 ✓			
5	बनेसिंह आ. कालूराम जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	8720808810	2/1/2/3	0.688 ✓	0.688 ✓
			2/1/6/3 ✓	0.466 ✓	0.466 ✓
			2/1/7/3 ✓	0.480 ✓	0.480 ✓
			2/1/8/3 ✓	0.565 ✓	0.565 ✓
			2/1/9/3 ✓	0.531 ✓	0.531 ✓
			2/1/10/3 ✓	0.397 ✓	0.397 ✓

स. क.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाईल नम्बर	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का
	योग			3.127 ✓	3.127 ✓
6	कमलसिंह आ. कालूराम जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9685132755	2/1/2/4 ✓	0.688 ✓	0.688 ✓
			2/1/6/4 ✓	0.466 ✓	0.466 ✓
			2/1/7/4 ✓	0.481 ✓	0.481 ✓
			2/1/8/4 ✓	0.564 ✓	0.564 ✓
			2/1/9/4 ✓	0.531 ✓	0.531 ✓
			2/1/10/4 ✓	0.396 ✓	0.396 ✓
	योग			3.126 ✓	3.126 ✓
7	बालचन्द आ. कालूराम जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9179911503	2/1/2/5 ✓	0.344 ✓	0.344 ✓
			2/1/6/5 ✓	0.232 ✓	0.232 ✓
			2/1/7/5 ✓	0.241 ✓	0.241 ✓
			2/1/8/5 ✓	0.282 ✓	0.282 ✓
			2/1/9/5 ✓	0.266 ✓	0.266 ✓
			2/1/10/5 ✓	0.198 ✓	0.198 ✓
	योग			1.563 ✓	1.563 ✓
8	होकमसिंह आ. कालूराम जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी	9993085298	2/1/3/1 ✓	1.217 ✓	1.217 ✓
	योग			1.217 ✓	1.217 ✓
9	सूरजसिंह आ. कालुसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	7869115430	2/1/3/2 ✓	1.336 ✓	1.336 ✓
	योग			1.336 ✓	1.336 ✓
10	चन्द्रसिंह आ. कालूसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	9752953174	2/1/3/3 ✓	1.089 ✓	1.089 ✓
			2/1/4/1 ✓	0.247 ✓	0.247 ✓
			2/2/6 ✓	4.371 ✓	4.371 ✓
	योग			5.707 ✓	5.707 ✓
11	राधाबाई बैवा कालूसिंह शिवसिंह आ. कालूसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	7024090443	2/1/4/2 ✓	1.421 ✓	1.421 ✓
	योग			1.421 ✓	1.421 ✓
12	मोहनलाल आ. कालुसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम भूमि स्वामी	9754463939	2/1/4/3 ✓	2.314 ✓	2.314 ✓
			2/1/5/1 ✓	0.570 ✓	0.570 ✓
	योग			2.884 ✓	2.884 ✓
13	विजयसिंह आ. प्यारजी जाति गुर्जर नि.बांसखेडी भूमि स्वामी	7067014285	2/1/5/2 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
	योग			0.253 ✓	0.253 ✓
14	बनेसिंह आ. प्यारजी जाति गुर्जर नि.बांसखेडी भूमि स्वामी	7067014285	2/1/5/3 ✓	0.253 ✓	0.253 ✓
			14/20/1 ✓	0.506 ✓	0.506 ✓
	योग			0.759 ✓	0.759 ✓
15	बदनबाई बैवा मोतीलाल छगनसिंह जुझारसिंह हरिसिंह आ. मोतीलाल जाति गुर्जर नि.बांसखेडी भूमि स्वामी	7869293552	2/1/5/4 ✓	2.890 ✓	2.890 ✓
	योग			2.890 ✓	2.890 ✓
16	गोरीलाल आ. गिरधारी जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	8827432513	2/2/2/1/1 ✓	1.502 ✓	1.502 ✓
			2/2/3/1/1 ✓	0.684 ✓	0.684 ✓
			2/4/2 ✓	0.101 ✓	0.101 ✓
			2/5/2 ✓	0.168 ✓	0.168 ✓
			2/6/2 ✓	0.148 ✓	0.148 ✓
			2/7/2, ✓ 2/8/2, ✓ 2/9/2, ✓ 2/10/2 ✓	0.472 ✓	0.472 ✓
			2/11/2, ✓ 2/12/2 ✓	0.215 ✓	0.215 ✓

स. क.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाईल नम्बर	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का
	योग			3.290	3.290
17	रोडीबाई बैबा बंदीलाल कालूसिंह राजू पवन विक्रम पिता बंदीलाल ना बा सरपस्त माता रोडीबाई बैबा बंदीलाल जाति गुर्जर पता निवासी सिरपोई भूमि स्वामी	8349588415	2/2/2/1/2	1.503	1.503
			2/2/3/1/2	0.685	0.685
			2/4/3	0.101	0.101
			2/5/3	0.170	0.170
			2/6/3	0.148	0.148
			2/11/3, 2/12/3	0.216	0.216
	योग			2.823	2.823
18	गुलाबबाई पति कालूराम जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9179911503	2/2/2/2	3.005	3.005
			2/2/3/2	1.350	1.350
	योग			4.355	4.355
19	विजयसिंह आ. नाथूलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9993067161	2/2/4/2/1	2.026	2.026
	योग			2.026	2.026
20	गोरीलाल आ. नाथूलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9755765074	2/2/4/2/2	1.219	1.219
			2/2/7/1	0.807	0.807
			2/2/8/1	0.630	0.630
	योग			2.656	2.656
21	बालूसिंह आ. नाथूलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	8349596103	2/2/7/2	2.026	2.026
			2/2/8/4	1.888	1.888
	योग			3.914	3.914
22	बदामबाई, बैबा प्रेमनारायण नंदनी अंकिता ना.बा.सरपस्त माता बदामबाई बैबा प्रेमनारायण एवं दादाजी गोरीलाल पिता नाथू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम सिरपोई जीरापुर राजगढ म.प्र. सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी		2/2/8/2	0.629	0.629
	योग			0.629	0.629
23	सूजानसिंह आ. गोरीलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	8085979774	2/2/8/3	0.630	0.630
	योग			0.630	0.630
24	भूपेन्द्रसिंह आ. गजराजसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	8435233832	2/2/8/5	1.281	1.281
			2/2/4/1	0.607	0.607
	योग			1.888	1.888
25	पुरसिंह आ. कालु जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी		2/3	0.849	0.849
	योग			0.849	0.849
26	बापूलाल आ. किशोर जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9165832822	2/4/1	0.102	0.102
			2/5/1	0.168	0.168
			2/6/1	0.149	0.149
			2/7/1, 2/8/1, 2/9/1, 2/10/1	0.472	0.472
			2/11/1, 2/12/1	0.215	0.215
	योग			1.106	1.106
27	देवजी आ. उदा जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	8224059528	3	0.870	0.870
			4	0.182	0.182
			5	1.258	0.020
			7	0.405	0.405

स. क्र.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाईल नम्बर	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का
	योग		8	0.938	0.447
	योग			3.653	1.924
28	उसमान खां पिता उमर खां जाति मुसलमान नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9617542786	12	2.509	2.509
	योग			2.509	2.509
29	बनेसिंह आ. बापूलाल जाति दांगी नि.ग्राम सेमला भूमि स्वामी		14/1	0.985	0.720
	योग			0.985	0.720
30	रतन आ. भेरु जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	7024170546	14/2	1.530	1.530
	योग			1.530	1.530
31	केशुराम आ. माधू जाति बंजारा नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9165037373	14/6	2.023	2.023
	योग			2.023	2.023
32	अशरफ खां आ. शमशेर खां जाति मुसलमान नि. सिरपोई भूमि स्वामी	9713872200	14/7	2.023	2.023
	योग			2.023	2.023
33	रामा पिता मोती गायत्री बाई बेवा रोघश्याम विकास शिवम अभिषेक पिता राधेश्याम शोभा खुशभु ना बा पालनकर्ता माता गायत्री बाई बेवा राधेश्याम प्रेमबाई कबुबाई भगुबाई पिता मोती नदुबाई बेवा मोती नाई पता नि. ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी		14/8	2.023	1.000
	योग			2.023	1.000
34	श्यामा आ. धुला जाति बंजारा नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	7770867645	14/9/1	0.404	0.404
	योग			0.404	0.404
35	मांगीलाल आ. धुला जाति बंजारा नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9009520673	14/9/2	0.405	0.405
	योग			0.405	0.405
36	बिहारीलाल आ. धुला जाति बंजारा नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9753621643	14/9/3	0.405	0.405
	योग			0.405	0.405
37	दल्ला आ. धुला जाति बंजारा नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9981205545	14/9/4	0.405	0.405
	योग			0.405	0.405
38	कालूराम छोटेलाल आ. नारायण जाति बंजारा नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	8959869058	14/9/5	0.404	0.404
	योग			0.404	0.404
39	रोडीलाल आ. मेघा जाति बंजारा नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	7509154729	14/10	2.023	1.750
	योग			2.023	1.750
40	भंवरलाल आ. श्यामा जाति बंजारा नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	8120254100	14/11	2.023	2.023
	योग			2.023	2.023
41	कालू आ. भवाना जाति बंजारा नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9644220929	14/16	1.349	1.349
	योग			1.349	1.349
42	मांगु कालु पिता गंगाराम जाति बंजारा नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9644220929	14/18	4.047	3.967

स. क.	कृष्क का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाईल नम्बर	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली भूमि का
	योग			4.047	3.967
43	रामसिंह आ. मांगीलाल जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9993446112	14/19	4.047	3.430
	योग			4.047	3.430
44	भगवानसिंह आ. बनेसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी	7067016285	14/20/2	1.180	1.180
	योग			1.180	1.180
45	गजराजसिंह आ. बनेसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी	7067016285	14/20/3	1.181	1.181
	योग			1.181	1.181
46	सोहनसिंह आ. बनेसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी	7067016285	14/20/4	1.180	1.180
	योग			1.180	1.180
47	कमलाबाई पति होकमसिंह जाति गुर्जर नि.ग्राम सिरपोई भूमि स्वामी	9993085298	14/21	6.070	6.070
	योग			6.070	6.070
48	भेरू आ. रामा जाति गुर्जर नि. ग्राम भूमि स्वामी		14/22	5.058	2.900
	योग			5.058	2.900
49	बदामबाई पति कंवरलाल जाति गुर्जर नि. बांसखेडी भूमि स्वामी	7067016285	14/23	4.856	4.856
	योग			4.856	4.856
50	गंगाराम रामलाल नारायण दोलतराम आ. भंवरलाल भंवरीबाई बेवा भंवरलाल रोडूलाल कृष्णाबाई पिता बालू शान्तिबाई बेवा जाति बंजारा नि.ग्राम भूमि स्वामी		14/24	2.765	1.200
	योग			2.765	1.200
कुल योग				120.902	112.652

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला मुरैना, मध्यप्रदेश

प्र. क्र. 24-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-7179

मुरैना, दिनांक 7 अक्टूबर 2017

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-जयपुर उर्फ नयागांव, प०ह०क०-89 रा०नि० वृत्-08 तहसील-मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में कुल 0.560 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-जयपुर उर्फ नयागांव, प०ह०क०-89 रा०नि० वृत्-08 तहसील-मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	मुरैना
ग. ग्राम	जयपुर उर्फ नयागांव
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.560 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. स.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	772	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.658 में से 0.059	कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह कौम गू०ठा०नि० बुढ़ी का पुरा भूमिस्वामी
2	773	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115 में से 0.013	कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह कौम गू०ठा०नि० बुढ़ी का पुरा भूमिस्वामी
3	774	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.334 में से 0.123	सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यमान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन, पूजा, नेमोदेवी पुत्रियों रामवरन जाति राठौर नि० थाना का पुरा सं०भा० भूमिस्वामी
4	775/1 1/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.277 में से 0.312	सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यमान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन, पूजा, नेमोदेवी पुत्रियों रामवरन जाति राठौर नि० थाना का पुरा सं०भा० भूमिस्वामी
5	775/1 1/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		कुअंरपाल रकवा 0.209 सन्तोषीलाल रकवा 0.449 बच्चुसिंह रकवा 0.209 पुत्र रामजीत सिंह, रामजीत सिंह पुत्र दयाराम रकवा 0.627 जाति राठौर नि० थाना का पुरा सं०भा० भूमिस्वामी

6	775/1 /2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		कमला सिंह पुत्री उत्तमसिंह जाति गूठागानि बुद्धी का पुरा भूमिस्वामी
7	775/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सत्यनारायण, दिलीपराम, सत्यभान, भूपेन्द्र पुत्र रामवरन, पूजा, नेमोदेवी पुत्रियों रामवरन जाति राठौर नि थाना का पुरा संभागा भूमिस्वामी
8	778	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	5.768 में से 0.053	कमला पुत्री उत्तमसिंह जाति गूठागानि बुद्धी का पुरा भूमिस्वामी
कुल	8			9.152 में से 0.560 है	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 25-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-7180

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत])

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम- बामोरकलां, प०ह०क०-89 रा०नि० वृत्-08 तहसील - मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में कुल 12.854 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- बामोरकलां, प०ह०क०- 89 रा०नि० वृत्-08 तहसील- मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	मुरैना
ग. ग्राम	बामोरकलां
घ. लगभग क्षेत्रफल	12.854 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	621 मिन.1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.648 में से 0.130	प्रकाश करनसिंह पुत्रगण मवसिया स०भा० जाति जाटव नि० थाना का पुरा भूमिस्वामी
	621 मिन.2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		दयालसेवा एवं शिक्षा समिति रजि. नं. 5338 द्वारा अध्यक्ष आर.एस. शर्मा पुत्र आर.सी.शर्मा सचिव हरेन्द्र पुत्र आर.एस. शर्मा जाति ब्रा० नि० ग्वालियर भूमिस्वामी
2	622	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.418 में से 0.124	सोवरन सिंह पुत्र छिददा जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी
3	624	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.188 में से 0.066	सुरेशचन्द्र पुत्र मृगाराम जाति जाटव नि. थाना का पुरा भूमिस्वामी

4	625	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.199 में से 0.075	कैलाशी वाई पत्नि किशनलाल गौरीशंकर पुरुषोत्तम वा० अजय नाबा० पुत्र किशनलाल दीपा बा० ज्योति नाबा० पुत्रियाँ किशनलाल सर माँ खुद स० भाग जाति जाटव नि० थाना का पुरा भूमिस्वामी
5	626	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.272 में से 0.040	कैलाशी वाई पत्नि किशनलाल गौरीशंकर पुरुषोत्तम वा० अजय नाबा० पुत्र किशनलाल दीपा बा० ज्योति नाबा० पुत्रियाँ किशनलाल सर माँ खुद स० भाग जाति जाटव नि० थाना का पुरा भूमिस्वामी
6	629	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.324 में से 0.053	दीपक, दिनेश, राकेश पुत्रगण चन्द्रभान स० भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
7	631	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052 में से 0.007	दीपक, दिनेश, राकेश पुत्रगण चन्द्रभान स० भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
8	633/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.376 में से 0.131	दीपक, दिनेश, राकेश पुत्रगण चन्द्रभान स० भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
	633/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		दौलतराम, सोनेराम, राजेन्द्र पुत्रगण, सूरजभान मीरावाई मिथलेश पुत्रियाँ सूरजभान, स० भा० हि .1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी उदयभान, ओमप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद हि. 1/2 स० भा० सरोज देवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियाँ हरिकृष्ण स० भा० 1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
9	632	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230 में से 0.065	दीपक, दिनेश, राकेश पुत्रगण चन्द्रभान स० भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।

10	644	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209 में से 0.013	संदीप पुत्र डॉ० एस.वी.मलैया वैशाली पुत्री डा० एस० वी० मलैया जाति खत्री मौहल्ला ग्वालियर भूमिस्वामी
11	645	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073 में से 0.032	दौलतराम, सोनेराम, राजेन्द्र पुत्रगण, सूरजभान मीरावाई मिथलेश पुत्रियों सूरजभान, स० भा० हि .1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी उदयभान, ओमप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद हि. 1/2 स० भा० सरोज वेवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियों हरिकृष्ण स०भा० 1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
12	646	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063 में से 0.038	दौलतराम, सोनेराम, राजेन्द्र पुत्रगण, सूरजभान मीरावाई मिथलेश पुत्रियों सूरजभान, स० भा० हि .1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी उदयभान, ओमप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद हि. 1/2 स० भा० सरोज वेवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियों हरिकृष्ण स०भा० 1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
13	647	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.125 में से 0.002	दौलतराम, सोनेराम, राजेन्द्र पुत्रगण, सूरजभान मीरावाई मिथलेश पुत्रियों सूरजभान, स०भा० हि .1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी उदयभान, ओमप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद हि. 1/2 स० भा० सरोज वेवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियों हरिकृष्ण स०भा० 1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।

14	263	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.125 में से 0.125	राकेशसिंह पुत्र सुग्रीबसिंह श्यामसुन्दर पुत्र रामकिशोर जयपाल सिंह पुत्र सामन्तसिंह स0भा0 जाति ठा0 नि0 ग्वालियर भूमिस्वामी
15	264 मिन. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115 में से 0.115	सुरेश पुत्र भगवानलाल शिवहरे जाति कलार नि0 वामौर भूमिस्वामी
	264 मिन. 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		पुन्ना पुत्र तेजसिंह जाति गडरिया नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
16	265	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.219 में से 0.219	उषादेवी पत्नि शिवनारायण जाति ब्रा0 नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
17	266	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.125 में से 0.125	उषादेवी पत्नि शिवनारायण जाति ब्रा0 नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
18	267	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.146 में से 0.145	मनोज भट्टेले पुत्र रमेश भट्टेले जाति ब्रा0 नि0 सत्यदेव नगर ग्वा0 सचिव रामसनेही शुक्ला शिक्षण संस्था बामौरगाँव भूमिस्वामी
19	268	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230 में से 0.224	मनोज भट्टेले पुत्र रमेश भट्टेले जाति ब्रा0 नि0 सत्यदेव नगर ग्वा0 सचिव रामसनेही शुक्ला शिक्षण संस्था बामौरगाँव भूमिस्वामी
20	269	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209 में से 0.195	मुरारीलाल राधेश्याम शम्भूदयाल पुत्र रामस्वरूप स.भा. 4/5 पवन कुमार पुत्र मुरारीलाल शुक्ला हि0 0.160 निवासी बामौरगाँव रमन पुत्र राधेश्याम शुक्ला अरुण पुत्र शंभू दयाल शुक्ला रकवा 0.320 जाति ब्रा0 नि0 फड़ का पुरा स0भाग दर भाग 1/5 नि0 ग्राम भूमिस्वामी
21	270	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.303 में से 0.303	ओमप्रकाश पुत्र बदीप्रसाद जाति ब्रा0 नि0 ग्राम भूमिस्वामी
22	271	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.146 में से 0.146	मु. जनकदुलारी वेबा वृजभूषण वासुदेव सुभाष, गिराज, शिवकुमार पुत्र वृजभूषण कृष्णा रामायणी पुत्रियां वृजभूषण स0भाग जाति नि0 ग्राम भूमिस्वामी
23	272	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230 में से 0.230	ओमप्रकाश पुत्र बदीप्रसाद जाति ब्रा0 नि0 ग्राम भूमिस्वामी

24	282	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.178 में से 0.165	मुरारीलाल राधेश्याम शम्भूदयाल पुत्र रामस्वरूप स.भा. 4/5 पवन कुमार पुत्र मुरारीलाल शुक्ला हि० 0.160 निवासी बामौरगाँव रमन पुत्र राधेश्याम शुक्ला अरुण पुत्र शंभू दयाल शुक्ला रकवा 0.320 जाति ब्रा० नि० फड़ का पुरा स०भाग दर भाग 1/5 नि० ग्राम भूमिस्वामी
25	237	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.094 में से 0.036	मुरारीलाल राधेश्याम शम्भूदयाल पुत्र रामस्वरूप स.भा. 4/5 पवन कुमार पुत्र मुरारीलाल शुक्ला हि० 0.160 निवासी बामौरगाँव रमन पुत्र राधेश्याम शुक्ला अरुण पुत्र शंभू दयाल शुक्ला रकवा 0.320 जाति ब्रा० नि० फड़ का पुरा स०भाग दर भाग 1/5 नि० ग्राम भूमिस्वामी
26	238	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115 में से 0.039	ओमप्रकाश पुत्र बद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
27	239	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084 में से 0.084	मु. जनकदुलारी वेबा वृजभूषण वासुदेव सुभाष,गिराज,शिवकुमार पुत्र वृजभूषण कृष्णा रामायणी पुत्रियां वृजभूषण स०भाग जाति नि० ग्राम भूमिस्वामी
28	240	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209 में से 0.141	ओमप्रकाश पुत्र बद्री प्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी
29	241	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.261 में से 0.196	ओमप्रकाश पुत्र बद्री प्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी
30	242	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084 में से 0.005	मुरारीलाल राधेश्याम शम्भूदयाल पुत्र रामस्वरूप स.भा. 4/5 पवन कुमार पुत्र मुरारीलाल शुक्ला हि० 0.160 निवासी बामौरगाँव रमन पुत्र राधेश्याम शुक्ला अरुण पुत्र शंभू दयाल शुक्ला रकवा 0.320 जाति ब्रा० नि० फड़ का पुरा स०भाग दर भाग 1/5 नि० ग्राम भूमिस्वामी

31	273	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.167 में से 0.167	नन्दकिशोर महादेव पुत्रगण रामस्वरूप प्रीति पुत्री रामस्वरूप स० भा० जाति ब्रा० ।
32	274	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.125 में से 0.114	अरूणदास पुत्र प्रेमनारायण निवासी कोटेश्वर रोड विनय नगर खालियर भूमिस्वामी
33	275	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115 में से 0.115	प्रदीप पुत्र सीताराम अवस्थी जाति ब्रा० नि० दत्तपुरा मुरैना राजेन्द्र मनोज प्रशान्त पुत्र सीताराम अवस्थी नि० मिल एरिया रोड दत्तपुरा मुरैना भूमिस्वामी
34	277	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.240 में से 0.240	प्रदीप राजेन्द्र मनोज प्रशान्त पुत्र सीताराम अवस्थी नि०ग्राम मिल एरिया रोड दत्तपुरा मुरैना भूमिस्वामी
35	280	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.010 में से 0.010	उषा प्रसाद नातिन महावीरप्रसाद पत्नी चन्द्रशेखरप्रसाद जाति कायस्थ नि० सरकुल रोड रांची ।
36	281	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.293 में से 0.293	नन्दकिशोर महादेव पुत्र रामस्वरूप प्रीति पुत्री रामस्वरूप स.भाग जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी
37	278	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.157 में से 0.157	नन्दकिशोर महादेव पुत्र रामस्वरूप प्रीति पुत्री रामस्वरूप स.भाग जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी
38	292 293	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230 में से 0.007	रमेश रामकिशोर पुत्रगण द्वारिका प्रसाद हि. 2/3 स.भाग मु. रजनी वेबा नवल किशोर रमन मोहित पुत्रगण नवल किशोर 1/3 स.भा. जाति कायस्थ नि० ग्राम भूमिस्वामी ।
39	294	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.282 में से 0.282	नन्दकिशोर महादेव पुत्र रामस्वरूप प्रीति पुत्री रामस्वरूप स.भाग जाति ब्रा० नि०ग्राम भूमिस्वामी

40	295	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.094 में से 0.008	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी।
41	226	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031 में से 0.025	सीताराम पुत्र लटूरी जाति ब्रा० नि० बामौर भूमिस्वामी।
42	225	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.052 में से 0.052	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी।
43	224	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.063 में से 0.063	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी।
44	220 मिन. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.126 में से 0.126	मुरारीलाल पुत्र श्यामदयाल जाति कलार नि० ग्राम भूमिस्वामी।
	220 मिन. 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		धनवन्ती पत्नी मुरारीलाल जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी।
45	218	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.502 में से 0.502	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी।
46	311 मिन. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.168 में से 0.168	नन्दकिशोर महादेव पुत्रगण रामस्वरूप प्रीति पुत्री रामस्वरूप स० भा० जाति ब्रा०।
	311 मिन. 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		राकेश पुत्र हरविलास जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी।
47	312	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073 में से 0.073	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी।
48	320	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.408 में से 0.160	मुकेश पुत्र हरविलास जाति शिवहरे हि० रकवा 0.145 योगेश पुत्र मुन्ना लाल शिवहरे नि. ए.बी.रोड़ बामौर कार्तिकेय पुत्र हाकिम सिंह जाति बघेल रकवा 0.263 नि. शिक्षक कालोनी मुरेना भूमिस्वामी
49	319	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.125 में से 0.038	रामजीलाल पुत्र जयलाल जाति शिवहरे नि० मुरेना भूमिस्वामी।
50	318	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021 में से 0.021	धनवन्ती पत्नी मुरारीलाल जाति शिवहरे नि० बामौर भूमिस्वामी।
51	317 मिन. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.261 में से 0.261	राधाकिशन,दिनेश,मनोज,अनिल बा०बीरू नाबा० पुत्र जगन्नाथ सर मों मु० रामकुवरि वेवा जगन्नाथ उर्मिला रेखा पुत्रियाँ जगन्नाथ स०भा० 1/3 ल्होरे पुत्र मिहीलाल हि० 0.392 रेवती पुरी मिहीलाल हि० रकवा 0.131 है स० हि.2/3 जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी

	317 गिन. 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मुरारीलाल पुत्र श्यामलाल जाति कलार नि० ग्राम भूमिस्वामी
	317 गिन. 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		धनवन्ती पत्नि मुरारीलाल जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी
52	323	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.136 में से 0.064	रामजीलाल पु० जयलाल जाति शिवहरे नि० मुरैना भूमिस्वामी।
53	324	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.115 में से 0.048	गिर्राज पुत्र अंगद जाति राठौर नि० ग्राम भूमिस्वामी
54	325	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.366 में से 0.042	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी।
55	315 गिन. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.146 में से 0.146	राधाकिशन,दिनेश,मनोज,अनिल बा०बीरू नाबा० पुत्र जगन्नाथ सर मों मु० रामकुवरी देवा जगन्नाथ उर्मिला रेखा पुत्रियों जगन्नाथ स०भा० 1/3 ल्होरे पुत्र मिहीलाल हि० 0.392 रेवती पुत्री मिहीलाल हि० रकवा 0.131 है स०हि. 2/3 जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी
	315 गिन. 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मुरारीलाल पुत्र श्यामलाल जाति कलार नि. ग्राम भूमिस्वामी
	315 गिन. 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		धनवन्ती पत्नि मुरारीलाल जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी
56	316	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084 में से 0.084	गिर्राज पुत्र अंगद जाति राठौर नि० ग्राम भूमिस्वामी।
57	216	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.094 में से 0.019	दौलतराम,सोनेराम,राजेन्द्र पुत्रगण,सूरजभान मीरावाई मिथलेश पुत्रियों सूरजभान,स० भा० जाति ब्रा० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी
58	183	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.035 में से 0.103	विजयसिंह गोकुलसिंह अजमेरसिंह रामनाथ पुत्रगण फैलीराम लक्ष्मी पुत्री फैलीराम स०भा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
59	181	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.105 में से 0.105	विजयसिंह गोकुलसिंह अजमेरसिंह रामनाथ पुत्रगण फैलीराम लक्ष्मी पुत्री फैलीराम स०भा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।

60	180	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.105 में से 0.101	विजयसिंह गोकुलसिंह अजमेरसिंह रामनाथ पुत्रगण फैलीराम लक्ष्मी पुत्री फैलीराम स०भा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
61	179	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230 में से 0.230	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे नि० ग्राम भूमिस्वामी।
62	178	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209 में से 0.209	पुन्ना पुत्र तेजसिंह जाति वघेल नि० ग्राम भूमिस्वामी।
63	177 मिन. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.198 में से 0.106	ओमप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
	177 मिन. 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सरोज वेवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका कृष्णा पुत्रियों हरिकृष्ण स० भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
64	176	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.261 में से 0.222	ओमप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
65	175	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.157 में से 0.157	विजयसिंह गोकुलसिंह अजमेरसिंह रामनाथ पुत्रगण फैलीराम लक्ष्मी पुत्री फैलीराम जा० जाटव स०भा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
66	174	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.951 में से 0.753	सीताराम पुत्र लटूरी जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
67	173	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.658 में से 0.658	अनूपकुमार विनोदकुमार पुत्रगण मांगीलाल मु० सोमवती वेवा मांगीलाल स० भाग जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
68	172	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.031 में से 0.009	दौलतराम, सोनेराम, राजेन्द्र पुत्रगण, सूरजभान मीरावाई मिथलेश पुत्रियों सूरजभान, स० भा० हि .1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी उदयभान, ओमप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद हि 2/4 स० भा० सरोज वेवा हरिकृष्ण आनन्द अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका पुत्रियों हरिकृष्ण स०भा० 1/4 जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।

69	171 मिन. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.275 में से 0.576	सरोज बेबा हरिकृष्ण आन्नद अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका कृष्णा पुत्रियों हरिकृष्ण स० भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
	171 मिन. 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		दौलतराम, सोनेराम, राजेन्द्र पुत्रगण, सूरजभान मीरावाई मिथलेश पुत्रियों सूरजभान, स० भा० जाति ब्रा० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी
70	170 मिन. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.599 में से 1.510	दीपक दिनेश पुत्रगण चन्द्रभान स० भाग जाति ब्रा०।
	170 मिन. 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		औमप्रकाश पुत्र वद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
	170 मिन. 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		सरोज बेबा हरिकृष्ण आन्नद अजय कुमार पुत्र हरिकृष्ण अंजना प्रियंका कृष्णा पुत्रियों हरिकृष्ण स० भा० जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
	170 मिन. 4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		उदयभान पुत्र वद्रीप्रसाद जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
	170 मिन. 5	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		दौलतराम, सोनेराम, राजेन्द्र पुत्रगण, सूरजभान मीरावाई मिथलेश पुत्रियों सूरजभान, स० भा० जाति ब्रा० पता नि० ग्राम भूमिस्वामी
71	168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.658 में से 0.508	दरगाह वावा कपूर बांके ग्वालियर एहतमाम पुजारी अदीमुद्दीन पुत्र मोहम्मद जाति मुसलमान स० भा० शासकीय पट्टेदार।
72	165	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.857 में से 0.437	वाहुलकुमार शास्त्री पुत्र डी० के० शास्त्री नावा० सरप० माँ खुद मंजू पुत्री सीताराम पत्नी डी० के० शास्त्री जाति ब्रा० नि० ग्राम भूमिस्वामी।
73	163	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.449 में से 0.048	प्रभुदयाल हरिदास देवसिंह धीरज रनवीर पुत्रगण लक्ष्मण सिंह मु० द्रौपती बेबा लक्ष्मण सिंह व मुन्नी पुत्री लक्ष्मण सिंह स० भाग० जाति जाटव नि० ग्राम भूमिस्वामी।

74	159	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.888 में से 0.461	भागीरथ पुत्र छीददाराम जाति जाटव नि० भगीता का पुरा भूमिस्वामी।
75	313	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.021 में से 0.021	राकेश पुत्र हरविलास जाति शिवहरे नि० बामोर भूमिस्वामी।
76	652 मिन. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.366 में से 0.031	श्यामसुन्दर पुत्र सुदर्शन प्रसाद रकवा 0.157 दयाल सेवा शिक्षा समिति अध्यक्ष राम सुन्दर पुत्र राम प्रसाद सचिव हरेन्द्र शर्मा पुत्र श्याम सुन्दर शर्मा रकवा 0.209 नि० जीवाजी नगर ग्वालियर भूमिस्वामी
77	259	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.261 में से 0.010	श्रीमति नीतू गोयल पत्नी रमनकिशोर गोयल हि० 1/2 श्रीमति प्रदमा गोयल पत्नी गिर्राज किशोर गोयल भा० 1/2 जाति वैश्य नि० ग्राम भूमिस्वामी।
78	236	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084 में से 0.003	अरुण दास पुत्र प्रेमनारायण नि० विनय नगर ग्वालियर भूमिस्वामी।
79	223	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.042 में से 0.042	रामदयाल पुत्र भगवन्त जाति शिवहरे निवासी ग्राम भूमिस्वामी भू-राजस्व 0.50
कुल	79			20.974 में से 12.854	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे

प्र. क्र. 26-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-7177

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेलवे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-जेतपुर, प0ह0क0-89 रा0नि0 वृत्-08 तहसील -मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में कुल 1.574 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- जेतपुर, प0ह0क0- 89 रा0नि0 वृत्-08 तहसील- मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	मुरैना
ग. ग्राम	जेतपुर
घ. लगभग क्षेत्रफल	1.574 हेक्टेयर
- भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	258	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209 में से 0.162	सुभाष गोयल पुत्र पुरनचन्द्र हि. 1/2 रामवीर सिंह पुत्र रामजीवन हि. 1/2 नि0 ग्राम पहाड़ी भूमिस्वामी
2	277	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.303 में से 0.278	कुंअरपाल, केशव, रामचित्र, राजेन्द्र, आशाराम, वलराम पुत्रगण प्रभु मुलियाबाई वेवा प्रभु, माया, भूरी पुत्रियाँ प्रभु स0भा0 कौम बघेल नि0 ग्राम भूमिस्वामी
3	275 मिन 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.178 में से 0.100	हाकिम पुत्र गोधना, रामवेटी शीला पुत्रियाँ गोधना स0भा0 1/2 नारायण सिंह, बाबू पुत्रगण बंशी भग्गो लाड़ो पुत्रियाँ वंशी स0भा0 4/5 प्रेमा वेवा रमेश कल्लू पुत्र रमेश स0भा0 1/5 दर भाग 1/2 कौम वघेल नि0 ग्राम भूमिस्वामी

4	279	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.084 में से 0.066	राकेश, बलवीर सिंह पुत्र भीखमसिंह 1/4 नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह कलावती, वैकुण्ठी पुत्रियाँ हीरा सिंह हि0 3/4 दर हि0 रकवा 0.763 कौम गुर्जर, लक्ष्मण, रघुवर, मानसिंह पुत्रगण नबाव सिंह स0भा0 रकवा 0.376 कौम गुर्जर नि0 ग्राम भूमिस्वामी
5	280	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.073 में से 0.034	कमला देवी पत्नि प्रीतमसिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स0भा0 जाति गड़रिया नि0ग्राम भूमिस्वामी
6	281	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.282 में से 0.236	कमला देवी पत्नि प्रीतमसिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स0भा0 जाति गड़रिया नि0ग्राम भूमिस्वामी
7	282	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.209 में से 0.056	कमला देवी पत्नि प्रीतमसिंह, विशाल सिंह पुत्र गोपाल सिंह स0भा0 जाति गड़रिया नि0ग्राम भूमिस्वामी
8	285	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.230 में से 0.199	रामहेत पुत्र रामचरण, नारायणी पुत्री रामचरण स0भा0 कौम गड़रिया नि0 ग्राम भूमिस्वामी
9	292	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.261 में से 0.001	राकेश, बलवीरसिंह पुत्रगण भीखम सिंह हि0 1/2 नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि0 1/2 नि0ग्राम भूमिस्वामी
10	293	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.261 में से 0.107	राकेश, बलवीरसिंह पुत्रगण भीखम सिंह हि0 1/2 नारायण सिंह पुत्र हीरासिंह हि0 1/2 नि0ग्राम भूमिस्वामी
11	295	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.857 में से 0.335	राकेश, बलवीर सिंह पुत्र स्व0 भीखम सिंह हि0 1/2 नारायणसिंह पुत्र हीरासिंह हि0 1/2 नि0ग्राम भूमिस्वामी
	कुल	11		2.947 में से 1.574	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 27-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-7178

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-पहाडी, प0ह0क0-89 रा0नि0 वृत्-08 तहसील - मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में कुल 2.686 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-पहाडी, प0ह0क0- 89 रा0नि0 वृत्-08 तहसील- मुरैना उपखण्ड-मुरैना जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील मुरैना
ग. ग्राम पहाडी
घ. लगभग क्षेत्रफल 2.686 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	2023 2024	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.188 में से 0.041	राजाराम बा. विजय सिंह ना.बा. पिता कदम सिंह सर परस मा हि.1/3 पंजाब उर्फ शिवराम पूरन सिंह रामहेत पिता प्रीतम लक्ष्मै पुत्री प्रीतम स.भा. 1/3 रामअख्यार पुत्र भीकम सिंह भाग 1/6 रविन्द्र लाखन पिता कोकसिंह कोमेश मिथलेश पुत्रियां कोकसिंह स.भा.1/6 जाति गु.ठा. भूमिस्वामी
2	2026/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.522 में से 0.197	सुंदर पुत्र राम सिंह जाति गु.ठा. सा.दे भूमिस्वामी
3	2026/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		मोहकम सिंह पुत्र रमेश सिंह जाति गुर्जर नि. मेला दुल्लपुर ग्वालियर भूमिस्वामी
4	2027	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.564 में से 0.278	जीवाराम पुत्र मूलाराम 0.559 कलावती बेबा सोनेराम 0.248 जसवंत भूरा कृष्णा पि. मूंगाराम भूरी रामा मीरा पुत्रियां मूंगाराम मु. बतसिया बेबा मूंगाराम स.भा 0.249 वेजो पुत्री देवीसिंह रकवा 0.062 जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी

5	2183/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.648 में से 0.158	जंसवत पुत्र मूंगाराम जाति गु.ठा. सा.देह भूमिस्वामी
6	2183/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		जसवंत सिंह भूरा कृष्णा पुत्रगण मूंगाराम सं.भा. जाति गु.ठा. भूमिस्वामी
7	2115/1 मि. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	2.090 में से 0.167	राजाराम पुत्र कदम सिंह जाति गु.ठा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी
8	2115/1 मि. 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		धमेन्द्र सिंह, पुत्र सियाराम जाति कोली पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
9	2115/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		जसवंत सियाराम पि. माधो सिंह फूलो पुत्री माधो सिंह सं.भा. 1/2 सिद्धार चौबे रामखिलाडी पि. पन्नू सं.भा. 1/2 जाति गुर्जर सा.दे.
10	2100/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.418 में से 0.004	रामवरन सिंह पुत्र नवल सिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
11	2101	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.627 में से 0.250	रामवरन सिंह पुत्र नवल सिंह जाति गुर्जर
12	2176	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.397 में से 0.096	राजाराम बा.विजय सिंह ना.बा. पुत्र कदम सिंह सं.भा. 1/2 रमेश लक्ष्मण सुरेश रामखिलाडी सुरेश पुत्र जण्डेल सरोज गीता मधू पुत्री जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल सं.भा. 1/6 केदार रघुनाथ छोटे रामजीवन पुत्रगण हीरा सं.भा. 2/3 ओमकार पुत्र आदिराम मंजू कोमेश रचना पुत्री आदिराम अलंता बेबा आदिराम सं.भा. 1/6 दर भाग 1/2 जाति गु.ठा. भूमिस्वामी
13	2177	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.773 में से 0.071	राजाराम विजयसिंह पिता कदम सिंह हि. 1/3 रामअख्यार पुत्र भीकम सिंह भाग 1/6 रविन्द्र लाखन पिता कोकसिंह कोमेश मिथलेश पुत्रियां कोकसिंह सं.भा. 1/6 रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पिता जण्डेल सरोज गीता मधू पुत्रीयां जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल सं.भा. 1/6 केदार रघुनाथ छोटे पिता हीरासिंह हि 3/6 सं. भा. रामबीर सिंह गजेन्द्र सिंह पुत्रगण रामजीवन सं.भा. 1/6 ओमकार पुत्र आदिराम मंजू कोमेश रचना पुत्रियां आदिराम सं.भा. 1/6 दर भाग 1/3 जाति गु.ठा. भूमि स्वामी
14	2184	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.523 में से 0.084	पातीराम पुत्र शंकर सिंह 5/6 फूलो पुत्री शंकर 1/6 जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी

15	2181	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.554 में से 0.089	जीवाराम पुत्र मूलाराम नेनी बेबा मूलाराम स.भा. 1/2 मु. अनेगा बेबा देवी सिंह कलावती बेबा सोनेराम स.भा. 2/6 जसवंत भूरा कृष्णा पि. मूंगाराम भूरी रामा मीरा पि. मूंगाराम बतसिया बेबा मूंगाराम स.भा.1/6 कोम गूठा. निवासी ग्राम भूमिस्वामी
16	2168	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.055 में से 0.060	राजाराम बा. विजय सिंह ना.बा. पिता कदम सिंह हि. 1/2 रमेश लक्ष्मण रामखिलाडी सुरेश पिता जण्डेल सरोज गीता मधू पुत्री जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल स.भा. 1/6 केदार रघुनाथ छोटे पिता हीरासिंह हि 3/6 स.भा. रामबीर सिंह गजेन्द्र सिंह पुत्रगण रामजीवन स.भा.1/6 ओमकार पुत्र आदिराम मंजू कोमेश रचना पुत्रियां आदिराम स.भा.1/6 दर भाग 1/2 जाति गूठा. भूमिस्वामी
17	2116/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.679 में से 0.219	भारत पिता सरनाम रकवा 126/1862 राकेश अल्ली पिता सरनाम रामा पुत्री सरनाम स.भा.1396/1862 सन्तोदेवी पत्नी राजाराम कमला पत्नी विजयसिंह स.भा. रकवा 340/1862 जाति गुर्जर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
18	2116/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		प्रकाश महेन्द्र पुत्र हजारी गुडडी पुत्री हजारी स.भा. कोम गुर्जर ठाकुर भूमिस्वामी
19	2116/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि		वकील पुत्र हजारी सिंह साबो बेबा हजारी सिया पुत्री हजारी स.भा.रकवा 1524/1694 सन्तोदेवी पत्नी राजाराम कमला पत्नी विजय सिंह स.भा.170/1694 कोम गुठा. भूमिस्वामी
20	2180	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	0.564 में से 0.109	राजाराम बा. विजय सिंह ना.बा. पुत्र कदम सिंह स.भा.0भा.0 1/3 भीखम पुत्र अंगद हि. 1/3 रमेश लक्ष्मण सुरेश रामखिलाडी पुत्र जण्डेल सरोज गीता मधू पुत्री जण्डेल भूरी बेबा जण्डेल स.भा. 1/6 केदार रघुनाथ छोटे रामजीवन पुत्र हीरा स.भा. 2/3 ओमकार पिता. आदिराम मंजू कोमेश रचना पुत्रियां आदिराम अलंता बेबा आदिराम स. भा. 1/6 दर भाग 1/3 जाति गुर्जर. स.दे. भूमिस्वामी

21	2102	भूमिस्वामी	कृषि भूमि	1.275 में से 0.863	सनू उर्फ उर्मिला बेबा श्रीनिवास दीपेन्द्र जितेन्द्र ना.बा. आ श्रीनिवास ज्योती ना.बा. पुत्री श्रीनिवास सर.मा.खुद निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कुल	21			10.877 में से 2.686	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) मुरैना के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

8	533	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	0.160 में से 0.038	आशाराम, रामहेत पुत्रान् रंजीत जाति खटीक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
9	572/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	0.520 में से 0.004	हरी पुत्र जीवनलाल जाति खटीक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
10	572/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	0.010 में से 0.001	मु. रामकली बेवा शिवचरन, प्रयागनारायण, उम्मेद, भूरा, रामविलास पुत्रान् शिवचरन, सरोज पुत्री शिवचरन स.भाग जाति खटीक निवासी ग्राम भूमिस्वामी
11	597	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	0.710 में से 0.081	भंवरसिंह, छोटेसिंह पुत्रान् हाकिमसिंह स.भाग जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
12	483	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	0.680 में से 0.065	भंवरसिंह, छोटेसिंह पुत्रान् हाकिमसिंह स.भाग जाति ठाकुर निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कुल	12			5.770 में से 1.550	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र विहित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला गुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

प्र. क्र. 32-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-7175

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-अगरोता, प0ह0क0-47 रा0नि0 वृत्-03 तहसील -जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में कुल 1.576 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-अगरोता, प0ह0क0-47 रा0नि0 वृत्-03 तहसील-जौरा उपखण्ड- जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील जौरा
ग. ग्राम अगरोता
घ. लगभग क्षेत्रफल 1.576 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	6	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	1.400 में से 0.005	शंकर पुत्र हरदेव हि. 1/2 रोशन, दर्शनलाल, गोरेलाल, हलुके पुत्रान् देवी, मु. पुनिया बेवा देवी स.भाग 1/2 जाति कुशवाह निवासी राजाराम का पुरा
2	10	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	1.430 में से 0.003	लतीब खां, पप्पू खां, शिवराती, निजामुद्दीन, टिल्लम खां पुत्रान् छुट्टन इस्लामी, शरीफन, वहीदन, रहीसा, गुडिया पुत्रियान् छुट्टन, मु. बत्तो बेवा छुट्टन स.भाग 1/10 मुहम्मद पुत्र बजीरा भाग 1/10 दर भाग 1/5 गफूर खां, हबीब खां, शरीफ खां पुत्रान् मुहम्मद स.भाग 1/5 अहमद पुत्र मीरस्याह भाग 1/5 मु. उलाफत बेवा हुसैन, नबीशेर, शहजाद पुत्रान् हुसैनी, कुल्लम, मुन्नी, असगरी पुत्रियान् हुसैनी स.भाग 1/5 जाति मुसलमान, दाताराम, मोहन, कमलेश पुत्रान् सामलिया, मु. रामश्री बेवा सामलिया स.भाग 1/5 जाति कोली निवासी ग्राम

3	11/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	1.010 में से 0.363	रामो, गुलाबी पुत्रियान् हरिविलास स. भाग 1/2 नरोत्तम, विनोद पुत्रान् बाबूलाल, विद्याबाई, ममता पुत्रियान् बाबूलाल स.भाग 4/5 मन्जू बेवा शैलेन्द्र, रोहित बा. सचिन नाबा. पुत्रान् शैलेन्द्र सरप. मां खुद स.भाग 1/5 दर भाग 1/4 रामरतन पुत्र रघुनाथ भाग 1/4 जाति त्यागी निवासी ग्राम
4	11/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	1.010 में से 0.297	बाबूलाल, नरेन्द्र कुमार पुत्रान् भोगीराम स.भाग 0.25 जाति त्यागी निवासी चिन्नौनी करैरा, कल्याण मुन्ना सुरेश पुत्रान् शिवचरन स.भाग 0.76 जाति कुशवाह निवासी ग्राम
5	37/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	0.530 में से 0.067	रामखिलाड़ी पुत्र पूरनसिंह जाति टाकुर निवासी गोपालपुरा
6	37/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	0.510 में से 0.035	अमरसिंह पुत्र राजाराम जाति टाकुर निवासी ग्राम
7	34	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	3.110 में से 0.512	नादरिया, सुग्रीव पुत्रान् मंगलिया हि. 2/9 आनन्दी बेवा पतिराम, बदनसिंह, अशोक, पूरन, सुदामा पुत्रान् पतिराम, रामरती, सुनीता पुत्रियान् पतिराम स.भाग 1/9 दाताराम, कमलेश, मोहन पुत्रान् सामलिया, मुन्नी पुत्र सामलिया स. भाग 1/3 मातादीन पुत्र ओछा, मु. छोटी बेवा ओछा स.भाग 1/3 जाति कोली निवासी ग्राम
8	35	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	2.090 में से 0.128	मु. मुल्लो बेवा कुढेरी, रामजीलाल, होतम, नारायण, द्वारिका, बाबूलाल, टीकाराम पुत्रान् कुढेरी, रामरती पुत्री कुढेरी स.भाग 1/3 रमेशचन्द्र, बाबूलाल पुत्रान् बंशी, रामदेई, नारायणी, शंकरिया, बादामी पुत्रियान् बंशी स.भाग 1/18 सुखुआ पुत्र शिवराम हि. 1/18 मुन्ना, भूपसिंह पुत्रान् सुखराम, रमेश पुत्र बंशीधर स. भाग 1/18 मथुरा, मानो, जावित्री पुत्रियान् शिवराम स.भाग 3/18 दर भाग 1/3 जाति त्यागी, रामचरन पुत्र बद्रीप्रसाद हि. 1/3 जाति ब्राम्हण निवासी ग्राम
9	36	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	1.460 में से 0.097	भीखा, देवीराम बा. वीरेन्द्र, सांनेराम नाबा. पुत्रान् भरोषी सरप. पिता खुद स.भाग जाति बघेले निवासी ग्राम

10	41/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	0.260 में से 0.064	मुकेश नाबा. पुत्र भूपसिंह सरप. पिता खुद भूपसिंह पुत्र सुखराम जाति त्यागी निवासी ग्राम
11	42	भूमिस्वामी	कृषि भूमि सिंचित	0.160 में से 0.005	मुन्ना पुत्र सुखराम जाति त्यागी निवासी ग्राम
कुल	11			12.970 में से 1.576	

2. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हे इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

भास्कर लाक्षाकार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, जिला डिंडौरी, मध्यप्रदेश

क्र. 007-भू-अर्जन-2017-18-110

डिंडौरी, दिनांक 13 अक्टूबर 2017

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाना (1) से (5) में वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है।

अनुसूची धारा-11

जिला	तहसील/ तालुका	नगर/ ग्राम	सर्वे नंबर	भू-अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा (हे.में)	निर्माण कार्य एजेंसी का नाम	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4		6	7
डिंडौरी	शहपुरा	(1) महरोई रैयत (निजी भूमि)	1/1	1.120	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया (म.प्र.)	मगर जलाशय सिंचाई योजना, जिला उमरिया (म.प्र.)
			1/2	0.980		
			2	0.910		
			3	0.450		
			5	0.960		
			6	1.104		
			7	1.850		
			8	1.480		
			10	0.100		
			योग	8.954		
		शासकीय भूमि	4	1.240		
	9	0.080				
	योग		1.320			
	कुल योग ग्राम महरोई रैयत		10.274			
डिंडौरी	शहपुरा	(2) खुरसीपार माल (निजी भूमि)	1	1.860	कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया, जिला उमरिया (म.प्र.)	मगर जलाशय सिंचाई योजना, जिला उमरिया (म.प्र.)
			2	0.920		
			4/1	0.600		
			4/2	0.730		
			4/3	1.200		
			10/1	0.320		
			10/2	0.260		
			10/3	0.240		
			10/4	0.200		
			10/5	0.180		
		योग	6.510			
शासकीय भूमि	5	0.510				
	6/1	2.000				
	7	0.050				
	8	0.240				
	9	0.060				
	11	0.200				
	योग		3.060			
	कुल योग ग्राम खुरसीपार माल		9.570			
	सकल योग		19.844			

भूमि का नक्शा (प्लान) भू-अर्जन अधिकारी, कार्यालय कलेक्टर, जिला डिंडौरी में देखा जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमित तोमर, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा), मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग**

राजगढ़ दिनांक 28 सितम्बर 2017

क्रमांक 17099-भू-अर्जन-2015.—भू-अर्जन/2015 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है।

प्रकरण क्रमांक 24/अ-82/2013-14 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र० 1 में बोडा बोरखेडा मार्ग निर्माण तहसील नरसिंहगढ़ के मार्ग निर्माण ग्राम बोडा,ढाबला, पनवाडी, कण्डराकोटरी, पीपल्या बीरम, कोटरीकलां के लिये आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और परदृशिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है चूंकि बोडा बोरखेडा मार्ग पूर्व से निर्मित है, एवं इस हेतु अधिकास भूमि का अर्जन पूर्व में किया जा चुंका है, ओर इस कारण धारा 11(3) के तहत समाजिक समाधान निधारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नही जा रहा है।

अनुसूची(1)

तहसील—नरसिंहगढ़

स०क्र०	विवरण	ग्राम का नाम	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०		
			सिंचित	आसिंचित	योग
1	2	3	4	5	6
1	निजी	बोडा	—	0.199	0.199
2		ढाबला	—	0.030	0.30
3		पनवाडी	—	0.058	0.058
4		कण्डरा कोटरी	—	0.023	0.023
5		पीपल्य बीरम	—	0.064	0.064
6		कोटरीकलां	—	0.089	0.089
			योग		0.463

बोडा बोरखेडा मार्ग निर्माण अंतर्गत ग्राम बोडा,ढाबला,
पनवाडी, कण्डराकोटरी, पीपल्या बीरम, कोटरीकलां तहसील नरसिंहगढ़

अनुसूची(2)

बोडा बोरखेडा मार्ग निर्माण आने वाली निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम :- बोडा

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं0	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	आसिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	कसूबाई - मोतीलाल जाति अहीर	1240/1/1	0.670	-	0.070	0.070
2	कृष्णा बाई - जगन्नाथ जाति बलाई	1240/3/2	0.253	-	0.025	0.025
3	जगन्नाथ - शंकर जाति बलाई	1240/4	0.253	-	0.015	0.15
4	दिनेश कुमार - किशनलाल जाति महाजन	2341/1/1	0.443	-	0.013	0.13
5	मांगीलाल - धूल जी जाति माली	2344	0.670	-	0.076	0.076
	कुल किता योग	5	2.889	-	0.199	0.199

2- ग्राम :- ढाबला

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं0	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	आसिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	तेजसिंह - रामसिंह जाति राव	307/2	0.278	-	0.030	0.030
	कुल किता योग	1	0.278	-	0.030	0.030

3- ग्राम :- पनवाडी

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं0	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	आसिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	भगवान सिंह दत्तक पुत्र रतन सिंह जाति राजपूत	257	0.202	—	0.022	0.022
2	विक्रम सिंह पिता हजारीलाल जाति चौरसिया	568 / 2	2.353	—	0.036	0.036
	कुल किता योग	2	2.555		0.058	0.58

4- ग्राम :- कण्डरा कोटरी

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं0	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	आसिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	मोड सिंह -- विक्रमसिंह पिता हजारीलाल उमराव बाई बैवा हजारीलाल जाति चौरसिया	373 / 1	0.146	—	0.023	0.023
	कुल किता योग	1	0.146	—	0.023	0.023

5-ग्राम :- पीपल्या बीरम

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं0	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	आसिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	शिवसिंह - मोतीलाल जाति चौरसिया	87/1/1	0.089	-	0.013	0.013
2	शिवसिंह - मोतीलाल जाति चौरसिया	116	0.291	-	0.051	0.051
	कुल किता योग	2	0.380	-	0.064	0.064

6- ग्राम :- कोटरीकलां

स0क0	प्रभावित कृषक का नाम	खसरा नं0	कुल भूमि का रकबा	प्रभावित भूमि		
				सिंचित	आसिंचित	योग
1	2	3	4	5	6	7
1	न्यामत खॉ -शरीफ खॉ- युसुफ खॉ - उस्मान खॉ-गजरा खॉ जाति मुसलमान	721/1/2	0.089	-	0.089	0.089
	कुल किता योग	1	0.089	-	0.089	0.089

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र. 17100

प्रारंभिक अधिसूचना

(अंतर्गत धारा - 11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बॉध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है.

अनुसूची (1)

ग्राम - पथरिया		तहसील - जीरापुर	
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैक्टर	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बॉध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	148.944 ✓	120.253 ✓
	योग	148.944 ✓	120.253 ✓

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बॉध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	खसरा क.	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	राधेश्याम पिता शंकर जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/1/6/1	0.667 ✓	0.133 ✓
		8/1/2/1	0.100 ✓	0.100 ✓
	योग		0.767 ✓	0.233 ✓
2	मेहरवानसिंह पिता शंकर जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/1/6/2	0.667 ✓	0.133 ✓
		8/1/2/2	0.100 ✓	0.100 ✓
	योग		0.767 ✓	0.233 ✓
3	मानसिंह पिता शंकर जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/1/6/3	0.666 ✓	0.133 ✓
		8/1/2/3	0.101 ✓	0.101 ✓
	योग		0.767 ✓	0.234 ✓
4	दुलेसिंह आ. बापूसिंह जाति साँ. रा. पता निवासी ग्राम काछीखेडी भूमि स्वामी	1/6	4.047 ✓	0.650 ✓
	योग		4.047 ✓	0.650 ✓
5	भेरू आ. देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/7/1	2.125 ✓	0.105 ✓
	योग		2.125 ✓	0.105 ✓
6	प्रभू आ. देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	1/7/2	1.668 ✓	0.105 ✓
	योग		1.668 ✓	0.105 ✓

7	गोकुलप्रसाद पिता अमरसिंह जाति बलाई पता निवासी लसुडलिया खेराज भूमि स्वामी	3/1/8	1.518 ✓	0.120 ✓
	योग		1.518 ✓	0.120 ✓
8	दुलेसिंह पिता देवसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/3/1	0.016 ✓	0.016 ✓
		11/4/3/1	0.008 ✓	0.008 ✓
		12/2/3/1	0.020 ✓	0.020 ✓
		112/4/1/1	0.215 ✓	0.215 ✓
योग		0.259 ✓	0.259 ✓	
9	कुमेरसिंह पिता देवीसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/3/2	0.017 ✓	0.017 ✓
		11/4/3/2	0.008 ✓	0.008 ✓
		12/2/3/2	0.019 ✓	0.019 ✓
		33/3/3/2	0.018 ✓	0.018 ✓
		85/19/3/2	0.145 ✓	0.145 ✓
योग		0.422 ✓	0.422 ✓	
10	लालसिंह पिता देवसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/3/3	0.017 ✓	0.017 ✓
		12/2/3/3	0.020 ✓	0.020 ✓
		112/4/1/3	0.214 ✓	0.214 ✓
योग		0.251 ✓	0.251 ✓	
11	छोटुलाल पिता देवसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/3/4	0.017 ✓	0.017 ✓
		11/4/3/4	0.007 ✓	0.007 ✓
		12/2/3/4	0.020 ✓	0.020 ✓
		33/3/3/4	0.018 ✓	0.018 ✓
		85/1/2/4	0.541 ✓	0.541 ✓
		85/16/1/3	0.428 ✓	0.428 ✓
		85/19/3/4	0.146 ✓	0.146 ✓
योग		1.392 ✓	1.392 ✓	
12	पर्वतसिंह पिता हीरालाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/1/4	0.066 ✓	0.066 ✓
		11/4/4	0.031 ✓	0.031 ✓
		12/2/4	0.079 ✓	0.079 ✓
		33/3/4	0.073 ✓	0.073 ✓
		85/1/1	2.744 ✓	2.744 ✓
		85/22/4	0.253 ✓	0.253 ✓
		107/2/3		
		112/4/1		
		111	0.860 ✓	0.860 ✓
		112/4/2		
112/2				
112/5/2/4	0.506 ✓	0.506 ✓		
112/5/3/4	0.322 ✓	0.322 ✓		
योग		4.934 ✓	4.934 ✓	
13	मौहनलाल आ. भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/2/1	0.461 ✓	0.461 ✓
		87/2		
		88/2	0.455 ✓	0.455 ✓
		89/6/2	0.190 ✓	0.190 ✓
		89/13/2	0.168 ✓	0.168 ✓
योग		1.274 ✓	1.274 ✓	

14	मानसिंह पिता अमरसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/2/2	0.323 ✓	0.323 ✓
	योग		0.323 ✓	0.323 ✓
15	भंवरलाल पिता हीरा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/4/1	0.031 ✓	0.031 ✓
		12/2/1	0.079 ✓	0.079 ✓
		33/3/1	0.073 ✓	0.073 ✓
	योग		0.183 ✓	0.183 ✓
16	सिद्धलाल पिता हीरा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/4/2	0.031 ✓	0.031 ✓
		12/2/2	0.079 ✓	0.079 ✓
		112/5/3/2	0.322 ✓	0.322 ✓
	योग		0.432 ✓	0.432 ✓
17	लालसिंह पिता देवसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	11/4/3/3	0.008 ✓	0.008 ✓
	योग		0.008 ✓	0.008 ✓
18	रायसिंह पिता मोतीलाल बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	12/1	0.278 ✓	0.275 ✓
		112/5/1	2.000 ✓	2.000 ✓
		8/1/4	2.000 ✓	2.000 ✓
	योग		4.278 ✓	4.275 ✓
19	फुलसिंह पिता पर्वतसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/1	0.160 ✓	0.160 ✓
	योग		0.160 ✓	0.160 ✓
20	रमेश पिता पर्वतसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/2	0.160 ✓	0.160 ✓
	योग		0.160 ✓	0.160 ✓
21	मांगीलाल पिता पर्वतसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	13/3	0.161 ✓	0.161 ✓
	योग		0.161 ✓	0.161 ✓
22	सजनबाई पति जालम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26/1	0.059 ✓	0.048 ✓
	योग		0.059 ✓	0.048 ✓
23	दुलेसिंह आ. हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26/2	0.059 ✓	0.048 ✓
		28/2		
		29/2	0.061 ✓	0.061 ✓
		30/2		
	37/2	1.401 ✓	0.891 ✓	
योग		1.521 ✓	1.000 ✓	
24	धीसासिंह आ. हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26/3	0.059 ✓	0.047 ✓
		28/3		
		29/3	0.061 ✓	0.061 ✓
		30/3		
		37/3	1.402 ✓	0.890 ✓
	54/1/3	0.516 ✓	0.516 ✓	
योग		2.038 ✓	1.514 ✓	
25	शिवसिंह आ. हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26/4	0.059 ✓	0.047 ✓
		64/4	0.017 ✓	0.017 ✓
		37/4	1.402 ✓	0.891 ✓
	योग		1.478 ✓	0.955 ✓

26	राजेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26/5	0.059 ✓	0.047 ✓
		37/5	1.403 ✓	0.891 ✓
		28/5 29/4 30/4	0.061 ✓	0.061 ✓
		53/1/5	0.171 ✓	0.171 ✓
		54/1/5	0.516 ✓	0.516 ✓
		55/6/5	0.280 ✓	0.280 ✓
		59/1/5	0.042 ✓	0.042 ✓
		59/2/5 60/5	0.059 ✓	0.059 ✓
		62/5 63/5	0.116 ✓	0.116 ✓
		67/1	0.025 ✓	0.025 ✓
		69/5	0.036 ✓	0.036 ✓
		73/2	0.038 ✓	0.038 ✓
		75/5	0.036 ✓	0.036 ✓
		77/5 78/5	0.097 ✓	0.097 ✓
		80/5	0.076 ✓	0.076 ✓
		83/5	0.025 ✓	0.025 ✓
		84/1	0.387 ✓	0.387 ✓
		90/5	0.325 ✓	0.325 ✓
		98/5	0.324 ✓	0.324 ✓
		104/5 105/5	0.234 ✓	0.234 ✓
106/5	0.085 ✓	0.084 ✓		
	योग	4.395 ✓	3.870 ✓	
27	छगनसिंह आ. हरिसिंह अंतरकुंवर भेवा हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	26/6	0.059 ✓	0.047 ✓
		28/6 29/6 30/6	0.060 ✓	0.060 ✓
		37/6	1.401 ✓	0.891 ✓
		53/1/6	0.171 ✓	0.171 ✓
		54/1/6	0.516 ✓	0.516 ✓
		55/6/6	0.281 ✓	0.281 ✓
		59/1/6	0.042 ✓	0.042 ✓
		59/2/6 60/6	0.059 ✓	0.059 ✓
		62/6	0.116 ✓	0.116 ✓
		64/6	0.016 ✓	0.016 ✓
		67/2	0.026 ✓	0.026 ✓
		69/6	0.035 ✓	0.035 ✓
		73/4	0.038 ✓	0.038 ✓
		75/6	0.036 ✓	0.036 ✓
		77/6 78/6	0.097 ✓	0.097 ✓
		80/6	0.076 ✓	0.076 ✓

		83/6	0.025 ✓	0.025 ✓
		90/6	0.325 ✓	0.325 ✓
		98/6	0.322 ✓	0.322 ✓
		104/6	0.234 ✓	0.234 ✓
		105/6	0.085 ✓	0.085 ✓
		106/6	0.085 ✓	0.085 ✓
	योग		4.020 ✓	3.498 ✓
28	सिद्धु पिता धुला जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27/1	0.030 ✓	0.007 ✓
		72/1	0.063 ✓	0.063 ✓
		94/2	0.147 ✓	0.147 ✓
		95/2	0.278 ✓	0.278 ✓
	योग		0.518 ✓	0.495 ✓
29	मेहरवान मुकेश जितेन्द्र पिता नारायणसिंह लीलाबाई वि. नारायणसिंह जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27/2	0.030 ✓	0.007 ✓
		72/3	0.063 ✓	0.063 ✓
		94/3	0.148 ✓	0.148 ✓
		95/3	0.278 ✓	0.278 ✓
	योग		0.519 ✓	0.496 ✓
30	बाहदुरसिंह पिता धुला जाति बेलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	27/3	0.029 ✓	0.006 ✓
		72/2	0.064 ✓	0.064 ✓
		94/1	0.148 ✓	0.148 ✓
		95/1	0.279 ✓	0.279 ✓
	योग		0.520 ✓	0.497 ✓
31	सजनबाई पति जालमसिंह जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	28/1 29/1 30/1	0.061 ✓	0.061 ✓
	योग		0.061 ✓	0.061 ✓
32	शिवसिंह आ. हरिसिंह जाति रातपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	28/4 29/4 30/4	0.061 ✓	0.061 ✓
		53/1/4	0.170 ✓	0.170 ✓
		54/1/4	0.516 ✓	0.516 ✓
		55/2	2.023 ✓	2.023 ✓
		55/6/4	0.280 ✓	0.280 ✓
		59/1/4	0.042 ✓	0.042 ✓
		59/2/4	0.059 ✓	0.059 ✓
		60/4	0.059 ✓	0.059 ✓
		61/2	0.025 ✓	0.025 ✓
		62/4	0.116 ✓	0.116 ✓
		63/4	0.116 ✓	0.116 ✓
		64/4	0.017 ✓	0.017 ✓
		69/4	0.036 ✓	0.036 ✓
		73/1	0.038 ✓	0.038 ✓
		75/4	0.036 ✓	0.036 ✓
		77/4	0.097 ✓	0.097 ✓
		78/4	0.097 ✓	0.097 ✓

		80/4	0.076 ✓	0.076 ✓
		83/4	0.025 ✓	0.025 ✓
		98/4	0.322 ✓	0.322 ✓
		106/4	0.084 ✓	0.084 ✓
	योग		4.023 ✓	4.023 ✓
33	कालूसिंह पिता रामसिंह गौताबाई वि. रामसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/1/2	0.126 ✓	0.126 ✓
		91/9/1	0.139 ✓	0.139 ✓
		91/10	1.518 ✓	1.518 ✓
		33/2/2	0.006 ✓	0.006 ✓
		91/2/1	0.379 ✓	0.379 ✓
		91/3/2	0.212 ✓	0.212 ✓
		91/4/2/1 91/5/1	0.300 ✓	0.300 ✓
		112/5/4	0.379 ✓	0.379 ✓
	योग		3.059 ✓	3.059 ✓
34	कालु पिता सिद्धु जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/1/3	0.709 ✓	0.709 ✓
		89/5/3	0.127 ✓	0.127 ✓
		89/10	0.379 ✓	0.379 ✓
		89/5/2	1.895 ✓	1.895 ✓
		112/5/2/2	0.506 ✓	0.506 ✓
	योग		3.616 ✓	3.616 ✓
35	बद्रीलाल आ. हरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/2/1	0.006 ✓	0.006 ✓
		89/2 91/8	0.784 ✓	0.784 ✓
		89/11 96/6	1.240 ✓	1.240 ✓
		91/3/1	0.424 ✓	0.424 ✓
			योग	
36	मानसिंह आ. हरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/2/3	0.007 ✓	0.007 ✓
		91/2/2	0.379 ✓	0.379 ✓
		91/3/3	0.212 ✓	0.212 ✓
		91/4/2/2 91/5/2	0.300 ✓	0.300 ✓
		91/9/2	0.139 ✓	0.139 ✓
	योग		1.037 ✓	1.037 ✓
37	सिद्धलाल पिता हीरा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/3/2	0.073 ✓	0.073 ✓
		85/19/2	2.744 ✓	2.744 ✓
			योग	
38	दूलेसिंह पिता देवसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/3/3/1	0.018 ✓	0.018 ✓
		85/16/1/1	0.157 ✓	0.157 ✓
			योग	
39	लाल सिंह पिता देवीसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	33/3/3/3	0.019 ✓	0.019 ✓
			योग	

40	गोकूल सिंह पिता अनारसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	34/1/2	0.809 ✓	0.809 ✓
	योग		0.809 ✓	0.809 ✓
41	रामलाल आ. देवा जी जाति सों.रा. पता निवासी ग्राम लसड़ीया खेराड़ भूमि स्वामी	34/1/3	2.023 ✓	2.023 ✓
	योग		2.023 ✓	2.023 ✓
42	गोकुलप्रसाद पिता अमरसिंह जाति बलाई पता निवासी लसुडलिया खेराज भूमि स्वामी	34/1/4	0.505 ✓	0.400 ✓
	योग		0.505 ✓	0.400 ✓
43	सोनारसिंह पिता बिजेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	34/7/1	0.114 ✓	0.114 ✓
		53/2/2	0.253 ✓	0.253 ✓
		84/2/1	0.096 ✓	0.096 ✓
		86/2/1	0.255 ✓	0.255 ✓
		89/12/2/1	0.089 ✓	0.089 ✓
		34/8/2/2	0.243 ✓	0.243 ✓
	योग		1.050 ✓	1.050 ✓
44	भैरू सिंह पिता बिजेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	34/7/2	0.057 ✓	0.057 ✓
		34/8/2/1	0.250 ✓	0.250 ✓
		81	0.241 ✓	0.241 ✓
		86/1/1	0.554 ✓	0.554 ✓
		96/1/1	0.020 ✓	0.020 ✓
योग		1.122 ✓	1.122 ✓	
45	मगवान सिंह पिता बिजेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	34/7/3	0.057 ✓	0.057 ✓
		34/8/2/3	0.247 ✓	0.247 ✓
		84/2/2	0.097 ✓	0.097 ✓
		86/2/2	0.255 ✓	0.255 ✓
		89/12/2/2	0.090 ✓	0.090 ✓
		96/2	0.029 ✓	0.029 ✓
योग		0.775 ✓	0.775 ✓	
46	अर्जुन सिंह पिता रतनलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मानपुरा भूमि स्वामी	34/8/1/1	0.451 ✓	0.451 ✓
		35/1	0.076 ✓	0.076 ✓
		36/1	0.190 ✓	0.190 ✓
		योग		0.717 ✓
47	भोजराज पिता रतनलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मानपुरा भूमि स्वामी	34/8/1/2	0.452 ✓	0.452 ✓
		35/2	0.076 ✓	0.076 ✓
		36/2	0.189 ✓	0.189 ✓
		योग		0.717 ✓
48	सजनबाई पति जालु जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	34/9/1	0.500 ✓	0.400 ✓
		योग		0.500 ✓
		37/1	1.401 ✓	0.891 ✓
		53/1/1	0.171 ✓	0.171 ✓
		54/1/1	0.517 ✓	0.517 ✓
		55/6/1	0.280 ✓	0.280 ✓

49	भोनीसिंह आ. हरिसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	59/1/1	0.043 ✓	0.043 ✓
		59/2/1	0.059 ✓	0.059 ✓
		60/1		
		62/1	0.116 ✓	0.116 ✓
		63		
		64/1	0.017 ✓	0.017 ✓
		70/1	0.012 ✓	0.012 ✓
		71/2	0.126 ✓	0.126 ✓
		74/1	0.019 ✓	0.019 ✓
		75/1	0.035 ✓	0.035 ✓
		77/1	0.097 ✓	0.097 ✓
		78/1		
		79	0.025 ✓	0.025 ✓
		80/1	0.075 ✓	0.075 ✓
		83/1	0.026 ✓	0.026 ✓
		90/1	0.324 ✓	0.324 ✓
		98/1	0.322 ✓	0.322 ✓
		69/1	0.036 ✓	0.036 ✓
		104/1 105/1	0.234 ✓	0.234 ✓
		106/1	0.084 ✓	0.084 ✓
	योग	4.019 ✓	3.509 ✓	
50	मेहरवानसिंह आ. भोनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	48/1	2.055 ✓	0.450 ✓
		49/1	0.437 ✓	0.437 ✓
		65/1 66/1	0.202 ✓	0.202 ✓
		93/1	0.177 ✓	0.177 ✓
		100/1	0.867 ✓	0.867 ✓
		103/2/1/1	0.297 ✓	0.297 ✓
		97/1	0.265 ✓	0.265 ✓
			योग	4.300 ✓
51	बनेसिंह आ. भोनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	48/2	2.055 ✓	0.450 ✓
		49/2	0.436 ✓	0.436 ✓
		54/2/1/2	0.400 ✓	0.400 ✓
		65/2 66/2	0.203 ✓	0.203 ✓
		93/2	0.177 ✓	0.177 ✓
		97/2	0.266 ✓	0.266 ✓
		100/2	0.866 ✓	0.866 ✓
		103/2/2	0.297 ✓	0.297 ✓
			योग	4.700 ✓
52	खनीराम पिता देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम मानपुरा भूमि स्वामी	50/1	0.677 ✓	0.335 ✓

		51/1	0.474 ✓	0.120 ✓
	योग		1.151 ✓	0.455 ✓
53	जशवंतसिंह पिता रोशनसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	50/2	0.676 ✓	0.335 ✓
		51/2	0.474 ✓	0.120 ✓
	योग		1.150 ✓	0.455
54	दूलोसिंह आ. हरीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53/1/2	0.171 ✓	0.171 ✓
		59/1/2	0.042 ✓	0.042 ✓
		62/2	0.116 ✓	0.116 ✓
		64/2	0.017 ✓	0.017 ✓
		75/2	0.036 ✓	0.036 ✓
		74/2	0.019 ✓	0.019 ✓
		77/2	0.097 ✓	0.097 ✓
		78/2	0.097 ✓	0.097 ✓
		90/2	0.324 ✓	0.324 ✓
		101/1	0.025 ✓	0.025 ✓
		59/2/2	0.059 ✓	0.059 ✓
		60/2	0.036 ✓	0.036 ✓
		69/2	0.036 ✓	0.036 ✓
		98/2	0.322 ✓	0.322 ✓
		55/6/2	0.280 ✓	0.280 ✓
		70/2	0.013 ✓	0.013 ✓
		83/2	0.025 ✓	0.025 ✓
		54/1/2	0.517 ✓	0.517 ✓
		80/2	0.076 ✓	0.076 ✓
		104/2	0.234 ✓	0.234 ✓
106/2	0.084 ✓	0.084 ✓		
	योग		2.493 ✓	2.493 ✓
55	महेन्द्र सिंह पिता घीसासिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53/1/3	0.171 ✓	0.171 ✓
		55/1/1	1.012 ✓	1.012 ✓
		59/1/3	0.042 ✓	0.042 ✓
		61/1	0.026 ✓	0.026 ✓
		64/3	0.017 ✓	0.017 ✓
		69/3/1	0.018 ✓	0.018 ✓
		75/3	0.036 ✓	0.036 ✓
		77/3	0.097 ✓	0.097 ✓
		78/3	0.097 ✓	0.097 ✓
		83/3	0.025 ✓	0.025 ✓
		90/3	0.325 ✓	0.325 ✓
104/3	0.234 ✓	0.234 ✓		
	योग		2.003 ✓	2.003 ✓
56	मेहरबान सिंह आ. गोपाल सिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	53/2/1	0.506 ✓	0.506 ✓
		54/2/1/1	0.444 ✓	0.444 ✓
	योग		0.950 ✓	0.950 ✓
	कृष्णपाल सिंह पिता घीसासिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55/1/2	1.011 ✓	1.011 ✓
		55/6/3	0.280 ✓	0.280 ✓

57		59/2/3	0.059 ✓	0.059 ✓
		60/3		
		62/3	0.116 ✓	0.116 ✓
		69/3/2	0.018 ✓	0.018 ✓
		73/3	0.039 ✓	0.039 ✓
		80/3	0.075 ✓	0.075 ✓
		98/3	0.322 ✓	0.322 ✓
		106/3	0.084 ✓	0.084 ✓
	योग		2.004 ✓	2.004 ✓
58	मोतीसिंह आ. पूरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55/3	2.000 ✓	2.000 ✓
	योग		2.000 ✓	2.000 ✓
59	नारायणसिंह आ. मानसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55/4	2.023 ✓	2.023 ✓
	योग		2.023 ✓	2.023 ✓
60	मोती आ. किशना जाति बलाई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	55/5	1.861 ✓	1.861 ✓
	योग		1.861 ✓	1.861 ✓
61	भोनसिंह आ. पूरसिंह भागूबाई बेवा पूरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	56 57 58	0.443 ✓	0.443 ✓
	योग		0.443 ✓	0.443 ✓
62	नरभे सिंह रामचंद्र पिता रुघा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	68	0.063 ✓	0.063 ✓
	योग		0.063 ✓	0.063 ✓
63	भगवान सिंह आ. दूलेसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	82	0.582 ✓	0.582 ✓
	योग		0.582 ✓	0.582 ✓
64	रामा आ. भोला घापूबाई राजुबाई आ. मोती जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/3 85/4	0.266 ✓	0.266 ✓
		85/7 85/8 85/9 112/2	0.822 ✓	0.822 ✓
	योग		1.088 ✓	1.088 ✓
65	रायसिंह पिता मोतीलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/5 85/6 85/10 85/11	0.620 ✓	0.620 ✓
		85/2	0.759 ✓	0.759 ✓
		89/9/1	0.728 ✓	0.728 ✓
		योग		2.107 ✓
66	दूलसिंह पिता देवीसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/1/2/1	0.541 ✓	0.541 ✓
	योग		0.541 ✓	0.541 ✓
67	कुमेरसिंह पिता देवसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/1/2/2	0.540 ✓	0.540 ✓

	योग		0.540 ✓	0.540 ✓
68	लाल सिंह पिता देवसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/1/2/3	0.541 ✓	0.541 ✓
	योग		0.541 ✓	0.541 ✓
69	गंगाराम आ. कालू जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी	85/13	3.793 ✓	1.693 ✓
	योग		3.793 ✓	1.693 ✓
70	धुला आ. देवा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/15/1	3.300 ✓	3.300 ✓
		102/2	0.051 ✓	0.051 ✓
	योग		3.351 ✓	3.351 ✓
71	गुलाब सिंह पिता रामनारायण जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/15/2	1.759 ✓	1.750 ✓
	योग		1.759 ✓	1.750 ✓
72	मांगुसिंह आ. पदमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम कांसपूरा भूमि स्वामी	85/17	2.529 ✓	0.120 ✓
	योग		2.529 ✓	0.120 ✓
73	नरभेसिंह आ. देवीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम पचिया भूमि स्वामी	85/18	6.070 ✓	3.190 ✓
	योग		6.070 ✓	3.190 ✓
74	रोड़ीबाई पति चंदर जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/19/1/1	0.686 ✓	0.686 ✓
		85/16/2/1	0.316 ✓	0.316 ✓
		85/22/1/1	0.065 ✓	0.065 ✓
		107/2/1/4	0.500 ✓	0.500 ✓
		112/5/2/1/0001	0.126 ✓	0.126 ✓
	112/5/3/1/0001	0.080 ✓	0.080 ✓	
योग		1.773 ✓	1.773 ✓	
75	बालु पिता भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/19/1/2	0.686 ✓	0.686 ✓
		85/16/2/2	0.316 ✓	0.316 ✓
		85/22/1/2	0.065 ✓	0.065 ✓
		107/2/1/2	0.120 ✓	0.120 ✓
		112/5/2/1/0002	0.126 ✓	0.126 ✓
	112/5/3/1/0002	0.080 ✓	0.080 ✓	
योग		1.393 ✓	1.393 ✓	
76	नारायण पिता भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/19/1/3	0.686 ✓	0.686 ✓
		85/16/2/3	0.316 ✓	0.316 ✓
		85/22/1/3	0.066 ✓	0.066 ✓
		107/2/1/1	0.120 ✓	0.120 ✓
		112/5/2/1/0003	0.126 ✓	0.126 ✓
	112/5/3/1/0003	0.080 ✓	0.080 ✓	
योग		1.394 ✓	1.394 ✓	
77	करण सिंह आ. भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/19/1/4	0.687 ✓	0.687 ✓
		85/22/1/4	0.065 ✓	0.065 ✓
		107/2/1/3	0.120 ✓	0.120 ✓
		112/5/2/1/0004	0.126 ✓	0.126 ✓
	112/5/3/1/0004	0.080 ✓	0.080 ✓	
योग		1.078 ✓	1.078 ✓	

78	लाल सिंह पिता देव सिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/16/1/2	0.680 ✓	0.680 ✓
		85/19/3/3	0.145 ✓	0.145 ✓
	योग		0.825 ✓	0.825 ✓
79	दूलेसिंह पिता देव सिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/19/3/1	0.145 ✓	0.145 ✓
	योग		0.145 ✓	0.145 ✓
80	रामलाल पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम बांसखेडी भूमि स्वामी	85/21	3.350 ✓	0.050 ✓
	योग		3.350 ✓	0.050 ✓
81	पिरूसिंह पिता सिद्धलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	85/22/2	0.253 ✓	0.253 ✓
		107/2/2	0.859 ✓	0.859 ✓
	योग		1.112 ✓	1.112 ✓
82	नरमे सिंह पिता रूधा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	86/1/2	0.466 ✓	0.466 ✓
		96/1/2	0.040 ✓	0.040 ✓
	योग		0.506 ✓	0.506 ✓
83	अन्तर सिंह आ. भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/1 88/1 89/1	0.455 ✓	0.455 ✓
		89/6/1	0.190 ✓	0.190 ✓
		89/13/1	0.169 ✓	0.169 ✓
	योग		0.814 ✓	0.814 ✓
84	शिवसिंह आ. भंवरलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	87/3	0.456 ✓	0.456 ✓
		89/6/3	0.189 ✓	0.189 ✓
		89/13/3	0.170 ✓	0.170 ✓
	योग		0.815 ✓	0.815 ✓
85	गोकूल सिंह पिता दर्यावसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम कोड़ीया भूमि स्वामी	89/3	0.038 ✓	0.038 ✓
	योग		0.038 ✓	0.038 ✓
86	जुझार आ. नन्दा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/7/1 89/8/1	0.784 ✓	0.784 ✓
	योग		0.784 ✓	0.784 ✓
87	मनोहर आ. नन्दा जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	89/7/2 89/8/2	0.784 ✓	0.784 ✓
		8/1/6	1.083 ✓	1.083 ✓
	योग		1.867 ✓	1.867 ✓
88	राजाराम आ. बापूलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	101/2/2	0.013 ✓	0.013 ✓
		103/1/2	0.284 ✓	0.284 ✓
		103/2/1/2	0.230 ✓	0.230 ✓
		107/3/1 107/4/1	0.480 ✓	0.480 ✓
	योग		1.007 ✓	1.007 ✓

89	शिवसिंह आ. हरीसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	90/4	0.325 ✓	0.325 ✓
		104/4 105/4	0.234 ✓	0.234 ✓
	योग		0.559 ✓	0.559 ✓
90	पूरीलाल बदीलाल पिता भेरूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91/2/3	0.759 ✓	0.759 ✓
	योग		0.759 ✓	0.759 ✓
91	पूरीलाल पिता भेरूलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	91/4/1 91/5	0.500 ✓	0.500 ✓
		109/2 110	0.923 ✓	0.923 ✓
	योग		1.423 ✓	1.423 ✓
92	पर्वत सिंह पिता भवाना जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	92	0.442 ✓	0.442 ✓
	योग		0.442 ✓	0.442 ✓
93	रतन पिता बापू जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	101/2/1	0.012 ✓	0.012 ✓
		103/1/1	0.284 ✓	0.284 ✓
		107/3/3 107/4/3	0.481 ✓	0.481 ✓
	योग		0.777 ✓	0.777 ✓
94	घनश्याम पिता बापू जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	101/2/3	0.013 ✓	0.013 ✓
		103/1/3	0.283 ✓	0.283 ✓
		107/3/2 107/4/2	0.480 ✓	0.480 ✓
	योग		0.776 ✓	0.776 ✓
95	मानसिंह आ. अमर सिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	102/1	1.379 ✓	1.379 ✓
	योग		1.379 ✓	1.379 ✓
96	हरकुबाई पति रायसिंह जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	107/1 108/1	0.721 ✓	0.721 ✓
	योग		0.721 ✓	0.721 ✓
97	कालूसिंह आ. रामलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	109/1 110/1	0.823 ✓	0.823 ✓
	योग		0.823 ✓	0.823 ✓
98	राधेश्याम पिता नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112/3/2	0.253 ✓	0.253 ✓
	योग		0.253 ✓	0.253 ✓
99	देवसिंह पिता नारायण रतनबाई वि. नारायण जाति सुतार पता निवासी गाम भूमि स्वामी	112/3/3	0.253 ✓	0.253 ✓
	योग		0.253 ✓	0.253 ✓
100	गोविन्द पिता नारायण जाति सुतार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	112/3/4	0.253 ✓	0.253 ✓
	योग		0.253 ✓	0.253 ✓

101	मोहन लाल पिता नारायण जी जाति सुतार पता निवासी ग्राम टोलीघाटा भूमि स्वामी	112/3/1	0.253 ✓	0.253 ✓
	योग		0.253 ✓	0.253 ✓
102	सिध्दु पिता अमरसिंह जाति बैलदार	8/1/5/3	0.668 ✓	0.668 ✓
	योग		0.668 ✓	0.668 ✓
103	प्रहलाद पिता अमरसिंह जाति बैलदार	8/1/5/2	0.666 ✓	0.666 ✓
	योग		0.666 ✓	0.666 ✓
104	घीसालाल पिता अमरसिंह जाति बैलदार	8/1/5/1	0.666 ✓	0.666 ✓
	योग		0.666 ✓	0.666 ✓
105	शंकर पिता धुला जाति बैलदार	8/1/2/4	0.243 ✓	0.243 ✓
	योग		0.243 ✓	0.243 ✓
106	सुजानसिंह पिता भागीरथ जाति बैलदार	8/1/7/1	1.000 ✓	1.000 ✓
	योग		1.000 ✓	1.000 ✓
107	राजाराम आ. बापूलाल जाति बैलदार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी (टांडीवाला)	89/9/2	0.625 ✓	0.625 ✓
			0.625 ✓	0.625 ✓
108	ईश्वर पिता भागीरथ जाति बैलदार	8/1/7/2	1.000 ✓	1.000 ✓
	योग		1.000 ✓	1.000 ✓
महायोग			148.944 ✓	120.253 ✓

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

प्र. क्र.-ए-17101

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रं. 01 में कुण्डलिया बृहद परियोजना तहसील जीरापुर जिला राजगढ़ की ग्राम लक्ष्मीपुरा के लिये डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची क्र 02 में उल्लेखित है। सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन, पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची क्र 02 की भूमि की अनुसूची क्र 01 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है

अनुसूची (1)

ग्राम - लक्ष्मीपुरा		तहसील - जीरापुर	जिला राजगढ़
क्रं.	विवरण	अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)	
		कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	निजी भूमि 1. कुण्डलिया बौध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से	95.607	92.403
	योग	95.607	92.403

अनुसूची (2)

(1) कुण्डलिया बौध परियोजना में प्रभावित होने से

क्रं.	कृषक का नाम व पिता / पति का नाम	मोबाईल नम्बर	खसरा क.	भूमि का कुल रकबा	अर्जित की जाने वाली
1	2	3	4	5	6
1	भगवान सिंह पिता बलदेव सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8965933273	3/1	0.019	0.019
			4/1/2/1	0.385	0.385
			4/2/2/1		
			9/2/1	0.012	0.012
	योग			0.416	0.416
2	कालु सिंह पिता बलदेव सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9752456393	3/2	0.019	0.019
			4/1/1/1	0.784	0.784
			4/7/1		
			9/1		
			4/1/2/2	0.386	0.386
			4/7/2/2		
			9/2/2		
			4/2/1/1/1	2.607	2.607
			4/13/10/1		
			4/2/2/2	2.472	2.472
			4/12/2/2		
			4/5/2	0.076	0.076
			30/4/2		
			4/10/2	0.126	0.126
			13/2/2	0.190	0.190
			14/1/4/2	0.202	0.202
			30/5/4		

			16/2	0.013	0.013
			27/2		
			28	0.620	0.620
			29/1		
			34/5	2.000	2.000
			4/4/2/2		
			5/2/1	0.297	0.297
		योग		9.792	9.792
3	कालु सिंह पिता बल्देव सिंह, लक्ष्मीनारायण पिता भगवान सिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9752456393	4/2/1/2		
			4/12/1/2	1.347	1.347
			4/8	0.569	0.569
		योग		1.916	1.916
4	लक्ष्मीनारायण पिता भगवान सिंह जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9752456393	4/2/1/1/2	2.607	2.607
			4/13/10/2		
			4/2/2/1	2.473	2.473
			4/12/2/1		
			10	0.405	0.405
			14/2		
			13/1	0.392	0.392
			14/1/1	0.556	0.556
			20/2/1		
			17/1	0.241	0.241
			26/2	0.632	0.632
			27/1		
			30/19	2.023	2.023
		योग		9.329	9.329
5	सिद्ध पिता माधु जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9827952571	4/2/3/1	2.600	2.600
			4/7/1/1	0.386	0.386
			4/11	0.228	0.228
			11	0.190	0.190
			5/3/1	0.291	0.291
			4/4/3/1		
			7/1	0.152	0.152
		योग		3.847	3.847
6	हरलाल पिता माधु जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9575142553	4/2/3/2	2.611	2.611
			4/12/3/2		
			4/4/3/2	0.291	0.291
			5/3/1		
			4/7/1/2	0.386	0.386
			14/1/3	0.405	0.405
			30/5/3		
		योग		3.693	3.693
7	देवीसिंह पिता रतनलाल जाति गूर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7697734576	4/3		
			4/4/1	0.594	0.594
			5/1		
			4/7/2	0.771	0.771
			4/9	0.379	0.379

			4/2/4 4/12/4	5.211	5.211
			14/1/2 30/5/2	0.405	0.405
			18	0.139	0.139
			30/18	1.265	1.265
			31	0.278	0.278
			33	0.253	0.253
			34/2	2.000	2.000
			योग	11.295	11.295
8	राम सिंह पिता भगवान सिंह पिता गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9179281294	4/5/1 30/4/1	0.075	0.075
			34/3	2.000	2.000
			योग	2.075	2.075
9	धन सिंह पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7869792867	4/6/1/1 6/1/1 7/2/1 8/1/1	0.484	0.484
			17/2/1/1	0.060	0.060
			25/11/1/1 25/12/1/1 26/1/1/1 30/2/1/1 30/6/1/1 30/7/1/1 30/11/1/1 30/12/1/1 30/13/1/1	0.493	0.393
			25/16/1/1	0.019	0.019
			25/1/1	2.000	2.000
			30/16/1/1	0.949	0.949
			योग	4.005	3.905
10	करण सिंह पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9179287067	4/6/1/2 6/1/2 7/2/2 8/1/2	0.484	0.484
			17/2/1/2	0.060	0.060
			25/1/2	2.000	1.155
			25/11/1/2 25/12/1/2 26/1/1/2 30/2/1/2 30/6/1/2 30/7/1/2 30/11/1/2 30/12/1/2 30/13/1/2	0.493	0.393
			25/16/1/2	0.019	0.019
			30/16/1/2	0.948	0.948

	योग		4.004	3.059	
11	नटवर सिंह, संगीताबाई पिता तोलाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111276192	4/6/2 6/2 7/2 8/2	0.967/	0.967
			17/2/2	0.120	0.120
			25/11/2 25/12/2 26/1/2 30/2/2 30/6/2 30/7/2 30/11/2 30/12/2 30/13/2	11.16 0.986	0.886
			25/16/2	0.038	0.038
			30/14/2	0.380	0.380
			30/16/2	1.000	1.000
	योग			3.491	3.391
12	जयनारायण पिता भगवान सिंह, अयोध्याबाई पति भगवान सिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7694928469	4/10/1	0.127	0.127
			5/2/1 4/4/2/1	0.297	0.297
			13/2/1	0.190	0.190
			14/1/4/1	0.203	0.203
	योग			0.817	0.817
13	करण सिंह पिता मांगीलाल जाति - गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8717966455	19/1/1/1	0.108	0.108
			24/1/1	0.150	0.150
			25/3/1	0.048	0.048
			30/8/1/1	0.162	0.162
			30/10/1/1	0.048	0.048
			30/15/2	0.826	0.826
	योग			1.342	1.342
14	प्रभु पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8717966455	19/1/1/2	0.108	0.108
			24/1/2	0.150	0.150
			25/3/2	0.047	0.047
			30/8/1/2	0.162	0.162
			30/10/1/2	0.049	0.049
			30/15/3	0.825	0.825
	योग			1.341	1.341
15	मेहरबान पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8717966455	19/1/1/3	0.108	0.108
			24/1/3	0.150	0.150
			25/3/3	0.048	0.048
			30/8/1/3	0.162	0.162
			30/10/1/3	0.048	0.048
			30/15/4	0.825	0.825

	योग			1.341	1.341
16	विक्रम पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8717966455	19/1/1/4	0.108	0.108
			24/1/4	0.150	0.150
			25/3/4	0.047	0.047
			30/8/1/4	0.163	0.163
			30/10/1/4	0.049	0.049
			30/15/5	0.825	0.825
	योग			1.342	1.342
17	मदन पिता मोती जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9752052709	19/2/1/1	0.316	0.316
			20	0.025	0.025
			22/4	0.038	0.038
			23/1/2/1	0.980	0.980
			23/2/1/1	0.198	0.198
			23/3/1/1	0.178	0.178
			30/10/2/1	0.150	0.150
			30/17/1	0.630	0.630
	योग			2.515	2.515
18	काशीराम पिता भंवर जी गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9752052709	19/2/1/2	0.060	0.060
			23/1/2/2	0.245	0.245
			23/2/1/2	0.053	0.053
			23/4		
			23/2/1/4	0.099	0.099
			23/3/1/2	0.044	0.044
			22/1	0.010	0.010
			30/10/2/3	0.038	0.038
			30/17/3	0.948	0.948
			23/3/1/4	0.088	0.088
	योग			1.585	1.585
19	बनेसिंह पिता भंवर जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977958088	19/2/1/3	0.060	0.060
			22/2	0.009	0.009
			23/2/1/3	0.048	0.048
			23/3/1/3	0.044	0.044
			30/10/2/4	0.037	0.037
			30/17/4	0.315	0.315
			23/1/2/3	0.247	0.247
	योग			0.760	0.760
20	जीवन ना.बा. पिता रामदयाल संतोष ना. बा. पिता रामदयाल आ. पा. कर्ता माता प्रेमबाई बैवा रामदयाल शंकरलाल पिता अमरसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8435393084	19/2/2/1	0.109	0.109
			23/4/1	0.100	0.100
			23/6/1	0.175	0.175
			30/8/2/1	0.325	0.325
			30/21/1	0.630	0.630
			23/3/2	0.088	0.088
			30/10/3	0.088	0.088
	योग			1.515	1.515

21	भैरूलाल पिता लूना जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9009320412	19/2/3	0.109	0.109
			23/5	0.071	0.071
			30/21/2	0.633	0.633
			योग	0.813	0.813
22	चंदर सिंह पिता लूना जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9575715110	19/2/4	0.109	0.109
			23/3/4	0.089	0.089
			23/4/3	0.100	0.100
			23/6	0.248	0.248
			24/2/1	0.632	0.632
			30/4	0.632	0.632
			30/8/4	0.324	0.324
			30/21/3	0.632	0.632
			25/1	1.227	1.227
			29/2	1.227	1.131
25/10	1.227	1.131			
29/2	1.227	1.131			
योग	4.588	4.492			
23	सीताराम पिता लूना जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7024728608	19/2/5	0.108	0.108
			23/3/5	0.090	0.090
			23/4/4	0.099	0.099
			23/7	0.072	0.072
			24/2/2	0.175	0.175
			30/8/5	0.324	0.324
			30/21/4	0.633	0.633
			योग	1.501	1.501
24	दर्यावसिंह पिता मोती जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9977958088	22/3	0.019	0.019
			30/10/2/2	0.075	0.075
			योग	0.094	0.094
25	हिन्दु सिंह पिता मांगीलाल गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8717966455	23/1/1	1.634	1.634
			योग	1.634	1.634
26	रामसिंह पिता जगन्नाथ जाति अनुसूचित जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8959458602	25/1/3/5	0.507	0.390
			34/1/2	0.507	0.507
			योग	1.014	0.897
27	रमेश दिनेश पिता गंगाराम पार्वतीबाई नानुबाई पुत्रियां गंगाराम लीलाबाई बैवा गंगाराम आत्माराम दिलीप पिता कालू कृष्णाबाई पुत्री कालू लीलाबाई बैवा कालू गंगाबाई बैवा देवसिंह प्रमुलाल पिता देवसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7049760570	25/3	0.771	0.771
			25/4	0.771	0.771
			25/8	0.771	0.771
			25/9	0.771	0.771
			25/2	0.987	0.987
			25/7	0.987	0.987
30/9	0.987	0.987			
			25/5	0.343	0.343
			25/13	0.343	0.343
			25/6/1	0.164	0.164
योग	2.265	2.265			
28	लूना पिता लाल जी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		25/14/2	0.063	0.063
			योग	0.063	0.063
29	आनंदीलाल पिता जगन्नाथ जाति अनुसूचित जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7745932316	25/1/3/4	0.507	0.250
			34/1/3	0.507	0.507
			योग	1.014	0.757

30	मोहन पिता प्यारा जाति अनुसूचित जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		25/1/8	0.591	0.028
	योग			0.591	0.028
31	रोड़ा पिता जगन्नाथ जाति अनुसूचित जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7610301411	25/1/9	0.591	0.052
	योग			0.591	0.052
32	बद्रीलाल पिता जगन्नाथ जाति अनुसूचित जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8720808856	25/1/10	0.591	0.104
	योग			0.591	0.104
33	कंचन बाई बैवा शिवलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9179287067	30/14/1	0.379	0.379
	योग			0.379	0.379
34	मांगीलाल पिता प्रताप जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8717966455	30/15/1	0.657	0.657
	योग			0.657	0.657
35	तोलाराम पिता भागीरथ जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9111276192	30/16/3	0.897	0.897
	योग			0.897	0.897
36	शंकर लाल पिता मोतीलाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9752052709	30/17/2	0.635	0.635
	योग			0.635	0.635
37	धुला आ. परबत जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	9165815908	30/20	2.529	2.529
	योग			2.529	2.529
38	कालू पिता माग्या जाति अनुसूचित जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		30/22	3.288	3.288
	योग			3.288	3.288
39	सिद्ध पिता देवीलाल जाति अनुसूचित जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7089611328	34/1/4	0.507	0.507
	योग			0.507	0.507
40	सुन्दर बाई पिता देवीलाल जाति अनुसूचित जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		34/1/5	0.507	0.507
	योग			0.507	0.507
41	कालू पिता अमरा जाति अनुसूचित जाति पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी		34/1/6	0.510	0.510
	योग			0.510	0.510
42	रमेश दिनेश पिता गंगाराम पार्वतीबाई नानुबाई पुत्रियां गंगाराम लीलाबाई बैवा गंगाराम जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	7049760570	34/4	2.000	2.000
	योग			2.000	2.000

43	जीवन ना. बा. पिता रामदयाल संतोष ना. बा. पुत्री रामदयाल सर माता प्रेमबाई बैवा रामदयाल जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी	8435393084	34/6	2.518	2.518
	योग			2.518	2.518
	महायोग			95.607	92.403

नोट :- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कर्मवीर शर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिंगरौली, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग

पत्र क्र. 420-भू-अर्जन-2017

सिंगरौली, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

चूकि म0प्र0 शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति के भूमि नीति अधिसूचना दिनांक 21.11.2014 एवं राजपत्र दिनांक 14.11.2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है। अतः इस क्रम में राज्य शासन के विभाग/उपक्रम जल संसाधन विभाग (जल संसाधन संभाग क02 सिंगरौली जिला-सिंगरौली (म0प्र0) के ग्राम साजापानी में स्थानीय नाले पर साजापानी बाँध के डूब क्षेत्र में प्रभावित रकबा 8.50 हे० ग्राम साजापानी तहसील सरई जिला-सिंगरौली स्थित भूमि की आवश्यकता है। इसका विवरण निम्नानुसार है तथा भूमिस्वामी/भूमिस्वामियों के द्वारा नीति की कण्डिका 10 के अंतर्गत क्रय हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में मुझे सहमति प्रदान कर दी गई है।

क्रयनीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय की कण्डिका 11 (1) के अंतर्गत सर्वसाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है। भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किये जानें पर विचार किया जा रहा है। यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।

आपसी सहमति से कय की जाने वाली भूमि का विवरण
जिला-सिंगरौली, तहसील-सरई ग्राम साजापानी, प.ह.नं. 32 क्षे. अर्जित क्षेत्र 8.5 हे०

क्र०	भूमि स्वामी का नाम	खसरा नं०	रकबा (हे० में)	अर्जित रकबा (हे० में)	अन्य सम्पत्ति	अन्य संरचना
1	2	3	4	5	6	7
1	अभिराज सिंह	1713/2 1715/1 1716/1	0.34 0.19 0.11	0.09 0.06 0.11	—	—
2	मेर सिंह	1713/3 1715/2 1716/2	0.34 0.19 0.11	0.09 0.06 0.11	—	—
3	बैजनाथ सिंह	1713/4 1715/3 1716/3	0.33 0.20 0.11	0.09 0.06 0.11	—	—
4	बानु सिंह	1715/4 1716/4	0.19 0.11	0.06 0.11	—	—
5	फुलमतिया	1713/1 1715/5 1716/5	0.34 0.20 0.11	0.09 0.06 0.11	—	—
6	गंगा सिंह वैगरह	1707 1710 1711 1720	0.47 0.65 1.02 2.40	0.09 0.21 0.19 2.40	—	—
7	मु० दुलसरी बेवा महकम सिंह वैगरह	1717 1718	0.50 0.09	0.50 0.09	—	—
8	तेजबहादुर पिता-भोंदू सिंह	1704	2.51	0.20	—	—
9	सुरपत सिंह पिता-नन्दलाल	2690	0.32	0.10	—	—
10	बुद्धू पिता- रनमत सिंह	1917	1.62	0.62	—	—
11	घुरन सिंह पिता-जयकरण	1918	2.00	1.97	—	—
12	कमलमान पिता-अमरजीत बैगा वैगरह	1922 1958 2677	0.88 1.45 0.46	0.12 0.09 0.05	—	—
13	लल्ली पिता सुदर्शन सिंह	1931	1.00	0.06	—	—
14	ददी पिता सुदर्शन सिंह	1932	0.72	0.05	—	—
15	जुकुला पिता सुखदेव बैगा	1955	0.33	0.12	—	—
16	महाबली सिंह पिता हीरालाल सिंह वैग०	1952 1953	0.37 0.10	0.08 0.10	—	—
17	दलप्रताप पिता पुजारी बैगा	1970	0.26	0.09	—	—
18	हेमन्त सिंह	2688	1.52	0.05	—	—
19	धनरजुआ वैगरह	762	0.30	0.04	—	—
20	गोपाल पनिका	699	0.26	0.045	—	—
21	सुखलाल हरदीन पनिका	701	0.21	0.025	—	—
	योग-	37 किता	20.31	8.50 हे०		

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनुराग चौधरी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, एवं भू-अर्जन अधिकारी, जिला मुरैना

प्र. क्र. 33-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-7174

मुरैना, दिनांक 7 अक्टूबर 2017

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यांपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-गैपरा, प0ह0क0-46 रा0नि0 वृत्-03 तहसील-जौरा उपखण्ड-जौरा जिला-मुरैना में कुल 9.601 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-गैपरा, प0ह0क0-46 रा0नि0 वृत्-03 तहसील-जौरा उपखण्ड-जौरा जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला मुरैना
ख. तहसील जौरा
ग. ग्राम गैपरा
घ. लगभग क्षेत्रफल 9.601 हेक्टेयर
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	117	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	1.960 में से 0.088	मुन्नालाल, भूपसिंह पुत्रान् सुखराम, रमेशचन्द्र, बाबूलाल पुत्रान् बंशीधर जाति त्यागी निवासी ग्राम
2	118/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.590 में से 0.060	जगदीश राकेश मुकेश पुत्रान् रघुनाथ रामदुलारी नर्मदा लीला पुत्रियाँ रघुनाथ स.भाग नि.ग्राम
3	118/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.590 में से 0.060	नारायण सिंह बहादुर उम्मेदसिंह पुत्रान् रामसिंह महादेवी पुत्री रामसिंह विटी बेवा रामसिंह स0 भाग जाति बधेले नि0 ग्राम शासकीय पट्टे से भूमिस्वामी भू0 आ0 1.70
4	118/3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	2.880 में से 0.331	जमुना पत्नी काशी राम आशाराम गोधना पुत्रान् काशीराम गंगा देवी सरबदी पुत्रियाँ काशीराम हि. 96/288 मानसिंह सिध्दार पुत्रं जीवनलाल क्रांति पुत्री जीवनलाल हि.96/288 रामचरण भरोषी पुत्रगण विजय सिंह हि. 2/24 बैकुंठी वैबा रामदयाल रामबीर राजेंद्र पुत्रगण रामदयाल गुडडी पुत्री रामदयाल ही.1/24 काशी बेबा बाबू लीला गुडडी पुत्रियाँ बाबु हि.1/24

					गणेशी बेवा भगवानलाल रेवती द्रोपती कम्पूरी पुत्रियान भगवानलाल श्रीपति बरेलाल पुत्रान भगवानलाल हि.6/7 मीरा बेवा जसवंत विद्याराम बनबारी मनोज पुत्रगण जसवंत हि.1/7 दर भाग 1/24 दर भाग 96/288 जाति बघेले नि.ग्राम
5	130	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.840 में से 0.130	त्रवेनी बेबा होतम मीरा पुत्री होतम हि.2/3 गंगा देवी बेबा सुरेश सुनील भागीरथ पुत्रगण सुरेश सोमतिया आरती पुत्रियाँ सुरेश हि.1/3 दर भाग 1/5 प्रभु पुत्र मुल्ला रामबेटी प्रेमवती पुत्रीयां मुल्ला हि 3/5 अंगूरी बेबा सियाराम जसरथ भारत साहब पुत्रान सियाराम नर्मदा ममता राजेंदी पुत्रियाँ सियाराम हि 1/5 जाति बघेले नि ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
6	131/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.710 में से 0.179	टीकाराम वेदरिया जाति जाटव नि0 गौपरा कालौनी भूमि स्वामी (अहस्तांतरणीय)
7	132/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.030 में से 0.030	सूखा पुत्र घनसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम भूमिस्वामी
8	132/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.810 में से 0.103	भरत सिंह पुत्र होतम सिंह गुर्जर ठाकुर नि.जौरा
9	133/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.030 में से 0.030	सूखा पुत्र घनसिंह जाति जाटव निवासी ग्राम भूमिस्वामी
10	133/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.280 में से 0.055	भरत सिंह पुत्र होतम सिंह गुर्जर ठाकुर नि.जौरा
11	134	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.500 में से 0.001	मीना पत्नी आशाराम हि. 33/50 जाति बघेले रामवती पुत्री विसराम हि. 17/50 जाति जाटव निवासी ग्राम
12	145	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.680 में से 0.202	अर्चना वर्मा पत्नी अवनीश वर्मा जाति स्वर्णकार निवासी सदर बाजार वार्ड क्र. 12 जौरा
13	146	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.260 में से 0.070	भूपसिंह रामलखन पुत्रगण भगरी सरस्वती फूलवती राजाबेटी पुत्रियाँ भगरी रामश्री बेबा भगरी हि.1/4 दोजी पुत्र बुद्धि रामकुंअर पुत्री बुद्धि हि. 2/4 शांति बेबा फेरन शीला पत्नी

						गोपाल लक्ष्मण पुत्र फेरन मुन्नी पुत्री फेरन हि 4/5 रेखा बेबा दर्शन पूजा ना.पुत्री दर्शन स.मा. स.भाग 1/5 दर भाग 1/4 नि ग्राम
14	147	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.270 में से 0.027		मुरारी पुत्र पतिराम, रामबेटी, कमला पुत्रियान् पतिराम स.भाग जाति जाटव निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
15	149	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.670 में से 0.020		भरतसिंह पुत्र कुन्दन हि. 2/3 केशव पुत्र कुन्दन हि. 1/3 दर भाग 1/2 जाति जाटव गंगादेवी पत्नी गोपाल हि. 1/2 जाति बघेले निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
17	153	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.610 में से 0.006		प्रयागवति पत्नी जण्डेल जाति जाटव भाग 42/122 भूरी पत्नी धनीराम भाग 19/122 जाति जाटव नर्मदा वेवा सोवरन जाति ब्राह्मण नि० जौरा हि० 1/4 नर्मदा वेवा सोवरन देवशंकर शांतीलाल मुरारीलाल कमलकिशोर पंकज पुत्रान् सोवरन स० जाति ब्राह्मण नि० जौरा हि० 1/4 दरभाग 1/2 भू० आ० 1.50 भूमिस्वामी।
18	508/1 508/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.320 में से 0.270		मीरा बेवा जसवंत विद्याराम बनबारी मनोज पुत्रगण जसवंत हि.1/2 बारेलाल पुत्र भगवान लाल हि.1/2 जाति बघेले नि ग्राम
19	509	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.270 में से 0.049		लखपति पुत्र हरिमोहन, जगदीश पुत्र लखपति स. भाग जाति गु० ठा० पता निवासी कुंअरपुर
20	510	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.650 में से 0.650		रामवीर राजेन्द्र पुत्रान् रामदयाल गुड़डी पुत्री रामदयाल बैकुण्ठी वेवा रामदयाल जाति बघेले हि० 1/3 भरोषी पुत्र विजयसिंह हि० 1/3 मु० काशी वेवा बाबू शीला गुड़डी ना०वा० पुत्रीयां बाबू सर० मां काशी स० भाग 1/3 जाति बघेले पता नि० ग्राम भूमिस्वामी।
21	511	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.340 में से 0.340		मीरा बेवा जसवंत विद्याराम बनबारी मनोज पुत्रगण जसवंत हि.1/2 बारेलाल पुत्र भगवान लाल हि.1/2 जाति बघेले नि ग्राम
22	512	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.380 में से 0.380		रामचरन रामभरोषी पुत्रगण विजय सिंह हि.1/2 बैकुण्ठी वैबा रामदयाल रामबीर राजेंद्र पुत्रगण रामदयाल गुड़डी पुत्री रामदयाल हि.1/4 गणेशी बेवा भगवान लाल रेवती द्रोपती कम्पूरी पुत्रिया भगवान लाल श्रीपति बारेलाल पुत्रगण भगवान लाल 6/7 मीरा बेवा जसवंत विद्याराम बनबारी मनोज पुत्रगण जसवंत हि.1/7 दर भाग 1/4 नि ग्राम

23	513	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.720 में से 0.152	रामचरन भरोषी पुत्रगण विजय सिंह हि. 2/5 बैकुंठी वैबा रामदयाल रामबीर राजेंद्र पुत्रगण रामदयाल गुड्डी पुत्री रामदयाल ही.1/5 काशी बेबा बाबू लीला गुड्डी पुत्रियाँ बाबू हि.1/5 गणेशी बेवा भगवान लाल रेवती द्रोपती कम्पूरी पुत्रियान भगवान लाल श्रीपति बारेलाल पुत्रान भगवान लाल हि.6/7 मीरा बेवा जसवंत विद्याराम बनबारी मनोज पुत्रगण जसवंत हि.1/7 दर भाग 1/5 जाति बघेले नि.ग्राम गेपरा
24	514	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	1.360 में से 0.827	रामबीर राजेन्द्र पिता रामदयाल हि0 रकवा 0.21 आरे जाति बघेले नि0 ग्राम पवनकुमार पुत्र मातादीन जाति ब्राह्मण नि0 बिलगाव हाल कस्वा जौरा हि0 रकवा 0.70 आरे दरभाग 4/6 रामवरन धर्मेन्द्र ना0वा0 पुत्रान रामभरोषी सर0 पिता खुद स0 भाग 2/6 जाति बघेले नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
25	515	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.410 में से 0.410	रामचरन भरोषी पुत्रगण विजय सिंह हि.2/5 बैकुंठी वैबा रामदयाल रामबीर राजेंद्र पुत्रगण रामदयाल गुड्डी पुत्री रामदयाल ही.1/5 काशी बेबा बाबू लीला गुड्डी पुत्रियाँ बाबू हि.1/5 गणेशी बेवा भगवान लाल रेवती द्रोपती कम्पूरी पुत्रिया भगवान लालश्रीपति बारेलाल पुत्रान भगवान लाल हि.6/7 मीरा बेवा जसवंत विद्याराम बनबारी मनोज पुत्रगण जसवंत हि.1/7 दर भाग 1/5 जाति बघेले नि.ग्राम गेपरा
26	516/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.190 में से 0.153	रामबरन रामलखन पुत्राण राम भरोसी जाति बघेले नि.ग्राम
27	516/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)		
28	517	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.190 में से 0.039	उर्मिला पत्नी रामहेती, रामश्री पत्नी रामसिंह स. भाग जाति बघेले निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
29	523	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.290 में से 0.274	करीमुद्दीन पुत्र मन्नू आबादी पुत्री मन्नू स.भाग जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
30	525	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.030 में से 0.030	लियाकत खा पुत्र मन्नू जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी।

31	526	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.300 में से 0.300	भूप सिंह राम लखन पुत्रान भगरी सरस्वती फूलवती राजाबेटी पुत्रियाँ भगरी रामश्री बेबा भगरी हि. 1/2 दोजी पुत्र बुद्धि हि 1/2 दरभाग 3/4 शांति बेबा फेरन शीला बेबा गोपाल लक्ष्मण पुत्र फेरन मुन्नी पुत्री फेरन हि. 4/5 रेखा बेबा दर्शन पूजा नाबालिग पुत्री दर्शन समान भाग 1/5 दरभाग 1/4 दरभाग 16/30 जाति जाटव लियाकत पुत्र मन्नु खान जाति मुसलमान हि. 14/30 नि. ग्राम
32	527	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.240 में से 0.240	श्रीमती बब्बन उस्मानी पत्नी पप्पू खां उस्मानी स.भाग जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
34	528/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.110 में से 0.075	रोशन पुत्र गणपति जाति शाक्य नि. ग्राम
35	528/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.110 में से 0.074	रतन सिंह पुत्र गणपति जाति शाक्य नि. ग्राम
36	531/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.210 में से 0.193	जगदीश मुकेश राकेश पुत्रान रघुनाथ रामदुलारी नर्मदा लीला पुत्रियाँ रघुनाथ जाति बघेले नि. ग्राम
37	532/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.030 में से 0.030	रामचंद पुत्र गणपति जाति शाक्य नि ग्राम
38	532/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.020 में से 0.020	मुरारी पुत्र पतिराम जाटव नि ग्राम
39	533	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.020 में से 0.020	बाबू राजेन्द्र पुत्रान परमू स0 भाग जाति जाटव निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
40	534/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.100 में से 0.100	रामचंद पुत्र गणपति जाति शाक्य नि ग्राम
41	534/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.130 में से 0.130	चन्दन पुत्र गणपति जाति शाक्य नि ग्राम
42	535	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.230 में से 0.230	मुरारी पुत्र पतिराम, रामबेटी, कमला पुत्रियां पतिराम स0 भाग जाति जाटव निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
43	536/1 537/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.280 में से 0.280	गोपी पुत्र मटरे जाति जाटव पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।
44	536/2 537/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.270 में से 0.270	भजनलाल पुत्र मटरे जाति जाटव पता नि0 ग्राम भूमिस्वामी।

45	538	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.420 में से 0.187	सुधरसिंह सुल्तानसिंह पिता गंगलिया लीलावती शीलाबाई पुत्रीयां गंगलिया स० भाग जाति कोली पता नि० ग्राम भू० आ० 4.18 भूमिस्वामी।
46	540/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.210 में से 0.124	गोपी पुत्र गटरे जाति जाटव निवासी ग्राम भूमिस्वामी।
47	541/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.200 में से 0.062	गोपी पुत्र गटरे जाति जाटव पता नि० ग्राम भूमिस्वामी भु० आ० 3.59
48	570	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.300 में से 0.300	मातादीन केशव पुत्राण बेदरिया श्रीमति पुत्री बेदरिया हि. 2385 वर्ग फीट जाति बाढ़ई शीला देवी पत्नी अनिल सिंह हि.2082 वर्ग फीट रेशम देवी पत्नी इन्द्रपार्ल हि. 2082 वर्ग फीट जाति ठाकुर दुर्जन पुत्र जनवेद सिंह हि. 1275 वर्ग फीट दिलीप सिंह पुत्र सरनाम सिंह हि.1275 जाति ठाकुर नि. मोरेना मानसिंह पुत्र जीवन लाल जाति गडरिया हि 1920 वर्ग फीट श्रीनिवाश शिव नाथ पुत्रान बांकलाल ब्राह्मण हि. 4013 हरिओम सुदामा पुत्रान भोलाराम भगवन बाई बेबा भोला राम हि.3009 वर्ग फीट मधुसुधन पुत्र भोलाराम 254 वर्ग फीट जीतेन्द्र पुत्र महेश प्रदीप नाबालिग पुत्र महेश हिसा 2400 वर्ग फीट जाति ब्राह्मण सोनू पुत्र रामदीन जाति ब्राह्मण हि.1200 वर्ग फीट कुलदीप पुत्र रामदीन जाति ब्राह्मण हि.1200 वर्ग फीट रामप्रकाश रामभजन पुत्रान घनश्याम जाति त्यागी हि.1600 वर्ग फीट जसवंत बाबु लाल पुत्रान रामप्रसाद रामबीर पुत्र सियाराम जाति त्यागी हि. 2125 वर्ग फीट भगवान सिंह पुत्र कुंडेरी जाति त्यागी हि 1275 वर्ग फीट सोनेराम पुत्र भोलाराम जाति ब्राह्मण हि. 1275 वर्ग फीट बब्बन देवी पत्नी पप्पू खान जाति मुसलमान हि 1275 वर्ग फीट रामनारायण पुत्र सूबालाल जाति ब्राह्मण हि 36 वर्ग फीट मान पाल प्रभू हाकिम पुत्रगण बुद्धि कुम्हार हि 1600 वर्ग फीट निवासी ग्राम
49	571	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.180 में से 0.180	दिलशान मो० शमशाद, मो० तोफीक मो० पुत्रान वुन्दु मोहम्मद हि 3/4 जाति मुसलमान निवासी अलापुर, हरीशंकर पुत्र नेतराम हि 1/4 जाति त्यागी निवासी रूनीपुर

50	572	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.180 में से 0.180	कैलाशचन्द्र पुत्र टीकाराम जाति वैश्य निवासी जौरा हि0 12/17 उषा वेवा महावीरप्रसाद गिर्राज पुत्र महावीरप्रसाद संध्या नाबा0 पुत्री महावीरप्रसाद सरप0 मां उषा हि0 5/34 जाति ब्राह्मण पता नि0 मुरैना कैलाशी पत्नी सीताराम सरोज पत्नी गन्धर्व सिंह जाति कुशवाह नि0 मुरैना बर्ड नं0 16 हि0 5/34
51	573	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.200 में से 0.200	देवेन्द्र बृजेश वा0 पुत्रान मनीराम राजेश प्रमोद नावा0 पुत्रान मनीराम सर0 पिता खुद स0 भाग जाति कुशवाह नि0 ग्राम रकवा 3200 बर्गफीट मातादीन पुत्र शंकर जाति कोरी नि0 ग्राम रकवा 1300 बर्गफीट मुरारिलाल दिनेशचन्द्र अनिलकुमार सुभाषचन्द्र पुत्रान शंकरलाल स0 भाग रकवा 16875 बर्गफीट जाति वैश्य नि0 कस्वा जौरा भूमि स्वामी।
52	574	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.230 में से 0.230	मुशरीलाल, दिनेशचन्द्र, सुभाषचन्द्र, अनिल कुमार पुत्रान् शंकरलाल जाति वैश्य निवासी कस्वा जौरा
53	575	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.310 में से 0.310	बशंती देवी पत्नी देवचंद हि.1/2 हरिचंद सिंघल पुत्र देवचंद सिंघल हि.3408 वर्ग फीट राशि पत्नी हर्ष अग्रवाल हि.1500 वर्गफीट गोपाल कृष्ण पुत्र प्रभु दयाल वैश्य हि.2600 वर्ग फीट रिशव पुत्र गोपाल कृष्ण अग्रवाल हि. 1300 वर्ग फीट शुभ्रम पुत्र सुनील अग्रवाल हि 1150 वर्ग फीट पूरनचंद गोयल पुत्र रतन लाल गोयल हि 3600 वर्ग फीट चेतन्य कुमार विवेक कुमार जैन पुत्रगण पारस जैन हि 3120 वर्ग फीट नि जौरा
54	523/ 920	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.250 में से 0.230	लच्छी पुत्र शिवचरन, विमला पुत्री शिवचरन, मु. शान्ती बेवा शिवचरन, फूलो, प्रेमा पुत्रियान् शंकर जाति कुम्हार निवासी ग्राम
55	523/ 921	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.310 में से 0.310	अशोक, पप्पू पुत्रान् मन्नू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम
56	523/ 922	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.360 में से 0.360	पप्पू पुत्र मन्नू खां, नन्ही पुत्री मन्नू खां जाति मुसलमान निवासी ग्राम
कुल				21.650 में से 9.601	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :- 1- धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

2-- सर्वे नं. 131/2 रकवा 0.090, सर्वे क्रमांक 540/02 रकवा 0.062, व सर्वे नं. 541/2 रकवा 0.062 हेतु अर्जन में शामिल नहीं है। अतः अर्जन की अधिसूचना से मुक्त किया जाता है।

प्र. क्र. 35-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-7183

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत])

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम- टेंटरा, प0ह0क0-09 रा0नि0 वृत्-01 तहसील-सवलगड उपखण्ड-सवलगड जिला-मुरैना में कुल 2.022 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- टेंटरा, प0ह0क0-09 रा0नि0 वृत्-01 तहसील-सवलगड उपखण्ड-सवलगड जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सवलगड
ग. ग्राम	टेंटरा
घ. लगभग क्षेत्रफल	2.022 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

क्र. सं.	सर्वे नंबर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल हेक्टेयर में	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	163	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.280 में से 0.009	रोशन पुत्र हरिनंदन जाति रावत पता नि0 ग्राम शासकीय पट्टेदार लगान 1.35।

2	63/मि. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	1.090 में से 0.312	बद्री पुत्र खूबा, जाति जाटव, पता नि० ग्राम भूमिस्वामी (शा० पट्टा) (अहस्तांतरणीय)
3	63/मि. 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)		भागीरथ पुत्र खूबा, जाति जाटव, पता नि० ग्राम भूमिस्वामी (शा० पट्टा) (अहस्तांतरणीय)
4	64	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.900 में से 0.223	दिनेश, वीरेन्द्र पुत्रगण बद्री, जाति जाटव, पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी (शा० पट्टा) (अहस्तांतरणीय)
5	65/मि. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (असिंचित)	2.000 में से 0.326	रघुनंदन, लक्ष्मण, पुत्रगण तोफनिया, जाति जाटव, पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी (शा० पट्टा) (अहस्तांतरणीय)
6	65/मि. 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (असिंचित)		श्रीनिवास, मुनेश पुत्रगण भन्ता, जाति जाटव, पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी (शा० पट्टा) (अहस्तांतरणीय)
7	71	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.260 में से 0.025	राजअली शाह मीरअली शाह साहिद शाह शाकिरस्या पुत्रगण सरदार शाह मुन्नी गुलशन सायना गुड्डी अनीसा रूबीना गुडिया पुत्रियांन सरदार स्या समान भाग 5/26 गुड्डी पत्नी इंसाफ अली भाग 21/26 जाति साईं मुसलमान नि० निहारीसिंह का पुरा।
8	125/मि. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (असिंचित)	4.000 में से 0.057	शिवनारायण पुत्र सुन्दरलाल, जाति जाटव, पता नि० ग्राम भूमिस्वामी (शा० पट्टा) (अहस्तांतरणीय)
9	125/मि. 2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (असिंचित)		लक्ष्मीप्रसाद पुत्र सुन्दरलाल, जाति जाटव, पता नि० ग्राम भूमिस्वामी (शा० पट्टा) (अहस्तांतरणीय)
10	125/मि. 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (असिंचित)		प्रहलाद पुत्र सुन्दरलाल, जाति जाटव, पता नि० ग्राम भूमिस्वामी (शा० पट्टा) (अहस्तांतरणीय)
11	125/मि. 4	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (असिंचित)		लालपति पुत्र बिहारी, जाति जाटव, पता नि० ग्राम भूमिस्वामी (शा० पट्टा) (अहस्तांतरणीय)
12	82	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.630 में से 0.061	हरिचरण ओमप्रकाश पुत्रगण केवला, गुड्डी पुत्री केवला 1/2 स० भाग किन्ती पुत्री ग्याजीत भाग 1/2 जाति जाटव नि० ग्राम भूमि स्वामी।

13	127/मि. 1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (असिंचित)	1.700 में से 0.557	बाबूलाल पुत्र बिहारी, जाति जाटव, पता नि० ग्राम भूमिस्वामी (शा० पट्टा) (अहस्तांतरणीय)
14	127/मि. 3	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (असिंचित)		वासुदेव, गिर्राज पुत्रगण जगनू, जाति जाटव, पता नि० ग्राम भूमिस्वामी (शा० पट्टा) (अहस्तांतरणीय)
15	133	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (असिंचित)	0.600 में से 0.124	गोरेलाल, ज्ञानसिंह पुत्रगण हरिनन्दन, जाति रावत पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी (शा० पट्टा) (अहस्तांतरणीय)
16	134	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (असिंचित)	0.180 में से 0.009	गोरेलाल, ज्ञानसिंह पुत्र हरिनन्दन, जाति रावत, पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी (शा० पट्टा) (अहस्तांतरणीय)
17	135	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (असिंचित)	0.900 में से 0.319	बृजमोहन, दिनेश पुत्रगण बाबूलाल जाति मेहतर, पता नि० ग्राम समान भाग भूमिस्वामी (शा० पट्टा) (अहस्तांतरणीय)
कुल				12.540 में से 2.022	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।

4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगड के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष 1. धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

2. सवै नं. 225 का रकवा 0.003 है० की आवश्यकता न होने से भू-अर्जन से मुक्त किया जाता है।

प्र. क्र. 36-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-7182

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-पचेर, प0ह0क0-35 रा0नि0 वृत्-01 तहसील-सवलगड उपखण्ड-सवलगड जिला-मुरैना में कुल 0.021 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम-पचेर,प0ह0क0-35 रा0नि0 वृत्-01 तहसील-सवलगड उपखण्ड-सवलगड जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला	मुरैना
ख. तहसील	सवलगड
ग. ग्राम	पचेर
घ. लगभग क्षेत्रफल	0.021 हेक्टेयर

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	432/1	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.630 में से 0.021	रोशन पुत्र मुल्ला, कुशमा, सूखी पुत्रीयों मुल्ला समान भाग
2	432/2	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)		रोशन पुत्र मुल्ला
कुल				0.630 में से 0.021	

- यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
- नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
- उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
- कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगड के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष :-1. धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

- सर्वे नं. 400 का रकवा 0.016 है0 की आवश्यकता न होने से भू-अर्जन से मुक्त किया जाता है।

प्र. क्र. 37-अ-82-भू-अर्जन-उ.म.रे.-2017-7181

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19(1) एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (ग्वालियर-श्यापुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिवर्तन) ग्राम-खिरका, प0ह0क0-06 रा0नि0 वृत्-01 तहसील -सवलगड उपखण्ड- सवलगड जिला-मुरैना में कुल 0.429 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है, इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- खिरका,प0ह0क0-06 रा0नि0 वृत्-01 तहसील-सवलगड उपखण्ड- सवलगड जिला-मुरैना में उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला **मुरैना**
ख. तहसील **सवलगड**
ग. ग्राम **खिरका**
घ. लगभग क्षेत्रफल **0.429 हेक्टेयर**
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है:-

स. क्र.	सर्वे नम्बर	स्वामित्व का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)	हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
1	99	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.180 में से 0.064	लटूर पुत्र कल्ला, मु. भन्ती बेबा कल्ला, समान भाग 2/3, जावित्री बेबा रामस्वरूप सेवक पुत्र रामस्वरूप नारायणी, रेशा भूरो मनीषा पुत्रियान रामस्वरूप समान भाग 1/3 जाति जाटव निवासी ग्राम।
2	102	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.220 में से 0.035	जीगन, परिमाल, शिवचरण पुत्रगण छोटे मु. नैनी बेबा छोटे स.भाग 1/2 सामन्त गिरवर पुत्रगण सुखुआ रूमाली ल्होरी पुत्रियान सुखुआ जाति जाटव निवासी ग्राम 1/2 समान भाग भूदान कृषक।
3	222	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.220 में से 0.041	लटूर पुत्र कल्ला मु. भन्ती बेबा कल्ला समान भाग 2/3 जावित्री बेबा रामस्वरूप सेवक पुत्र रामस्वरूप, नारायणी रेशा भूरो, मनीषा पुत्रीयान रामस्वरूप समान भाग 1/3 जाति जाटव निवासी ग्राम।

4	221	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.520 में से 0.085	मातादीन पुत्र बालमुकन्द जाति वैश्य नि. सबलगढ़ भाग 1/2 हरीसिंह पुत्र लटूर भाग 1/4 जावित्री बेबा रामस्वरूप सेवक पुत्र रामस्वरूप, नारायणी रेशा भूरो मनीषा पुत्रीयान रामस्वरूप समान भाग 1/4 जाति जाटव नि. ग्राम।
5	165	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.680 में से 0.129	लटूर पुत्र कल्ला मु. भन्ती बेबा कल्ला समानभाग 2/3 जावित्री बेबा रामस्वरूप सेवक पुत्र रामस्वरूप, नारायणी रेशा भूरो मनीषा पुत्रीयान रामस्वरूप समानभाग 1/3 जाति जाटव नि. ग्राम
6	163	भूमिस्वामी	कृषि भूमि (सिंचित)	0.440 में से 0.075	मु. गनेशी बेबा सुखुआ, सियाराम मटुआ बादशाह शिवनारायण सुखराम आ. सुखुआ रामश्री सावित्री आ. सुखुआ 1/5 समान भाग प्रभू आ. वाहली भाग 1/5 जाति काछी निवासी टैंटरा श्रीमती बंसती देवी पत्नि सामन्ताराम भाग 3/5 जाति जाटव नि. ग्राम भूमिस्वामी।
कुल				2.260 में से 0.429	

1. यह घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात की गयी है।
2. नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुंबों की संख्या निरंक है, अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है।
3. उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खानें हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है, को छोड़कर आवश्यक नहीं है।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सबलगढ़ के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

विशेष 1. धारा 40(2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है। इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं। अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

2. सवै नं. 225 का रकवा 0.003 है 0 की आवश्यकता न होने से भू-अर्जन से मुक्त किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
भास्कर लाक्षाकार, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 4-अ-82-16-17-11058

बैतूल दिनांक 11/12 अक्टूबर 2017

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल(हे०में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म०प्र०)	भैसदेही	बासनेरकला	28.850	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म०प्र०)	बासनेरकला जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारकों की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नम्बर	कुल रकबा	अर्जित रकबा
1	2	3	4	5
1	बलदेव, इन्द्रदेव, दिलीप वल्द इठोबा यशोदा पिता इठोबा जाति कुन्बी पता सा. बासनेरखुर्द भूमिस्वामी जमा 3.50	163/1	2.751	2.448
2	निर्मलाबाई पिता शेषराव जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी 2.00 (बांध)	163/2 163/3	0.568 1.820	0.568 1.577
3	श्रीराम व. नाथू सुनिता पिता नाथू नर्मदा बेवा कृष्णा राजेश, रमेश, रितेश, व. कृष्णा हेमलता पिता कृष्णा जाति कुन्बी पता सा. बासनेर खुर्द भूमि स्वामी 3.50 (बांध)	163/4	2.752	2.468
4	लीला बेवा महादेव दिपक व. महादेव देविका उपासना, पुडया, भावना पिता महादेव जाति कुन्बी पता सा. बासनेरखुर्द भूमिस्वामी जमा 2.50	164 शा.न. 162/3 161/1 ख	0.473 0.607	0.473 0.607
5	येनू जौजे भददू मारोती व. मानिकराव, जाति कुन्बी पता सा. बासनेरखुर्द भूमिस्वामी 9.00	165	1.076	1.076
6	यमोना बेवा गेन्दाराम जयराम व. गेन्दाराम पता सा. देह भूमि स्वामी 6.23 (बांध)	166	0.854	0.854
7	भैय्या वल्द दमडया पारबती बेवा दमडया जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी जमा 7.31 (बांध)	167/1 145/1	2.267 1.659	2.267 0.202
8	माधोराव, विनायकराव, व. दौलत, अंजना, सुमन, लता पिता दौलत मंदा बे. दशरथ लीना, भारती, पिता दशरथ, बंशीलाल बे. कृष्णराव, वामनराव व. नंदा अंजू, कौतिका पिता नंदा, बलवंतराव, संतोष पिता रामू, मंजू, द्वारका, सिंधु लीला पिता रामू, जाति कुबी पता सा.देह भूमिस्वामी	167/2	1.943	1.336

9	पढरी तुकाराम, नामदेव वल्द मारोती जयदेव वासुदेव नेमीदास वल्द मारोती भागा बेवा मारोती जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी 6.31 बांध	167/3	2.104	0.339
10	हेमराज, वामनराव, आन्नदराव, बलदेव व. सम्पत चिन्ध्याबाई पिता सम्पत व.श.न. 143/3 जाति कुन्बी पता सा. देह भूमिस्वामी 14.00 बांध	167/4	1.982	1.450
11	माधोराव, विनायकराव व. दौलत, अंजना सुमन लता पिता दौलत मंदा बेवा दशरथ राजेन्द्र व. दशरथ लीना भाजी पिता दशरथ बंशीलाल बेवा कृष्णराव ईश्वर पिता कृष्णराव दीपमाला पिता कृष्णराव, जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी वामनराव व. नन्दा अंजू कोतिका पिता नंदा बलवंतराव संतोष पिता रामू मंजू द्वारका सिंधू लीला पिता रामू जाति कुन्बी पता सा.देह भूमिस्वामी	169	4.621	0.483
12	गणपती वल्द मुकिन्दा जाति कुन्बी सा. देह भूमि स्वामी 3.50 जांच	208	1.396	0.408
13	मदन, रमेश, खंडू व. प्यारेलाल, मालती, विमला, तारा, पि. प्यारेलाल, मनोहर, सरवन, दुर्गादास व. मोहनलाल, नान्ही, बे. गोन्दया, नदन, विदन, रेखा चन्द्रकला पि. बोन्दरया नवसीबाई वे. चतरू, संतोष अशोक बबलू सुदाम व. चतरू, विमला मीरा नासिका पि. चतरू सुगंती बे. भारत गजानन सुदामा व. भारत गीताबाई सीता पि. भारत जाति नाई पता सा.देह भूमिस्वामी 3.25	209/3	0.450	0.450
14	मधु व. राधो जाति नाई पता सा.देह भूमिस्वामी	209/1	0.878	0.878
15	बाबू वल्द चिरोजी जाति कोरकू पता सा. देह भूमि स्वामि 0.25	209/2	0.202	0.202
16	इमरत, गुलाबराव व. कुंजीलाल गया बे. कुंजीलाल बानू सुन्दरलाल व. मनीराम, कमला बे. लक्ष्मण राजेश विजय जाति नाई पता व. लक्ष्मण संगीता बाली पिता लक्ष्मण पता सा. देह भूमिस्वामी	210/2	0.711	0.305
17	धनाराम व. भैयालाल जाति नाई सा.देह भूमिस्वामी	210/1	0.711	0.100
18	सेवाराम वल्द पुज्यां जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	212/1	1.862	0.008
19	हनुवतराव व श्रीराम जाति कुन्बी पता भूमि स्वामी (बांध में) 2.03	212/2	1.376	0.010
20	सरस्वती बेवा ब्रजलाल प्रेमलता पिता ब्रजलाल जाति नाई पता सा. देह भूमि स्वामी 1.80 (बांध)	212/3	1.212	0.524
21	चिन्ही पिता ब्रजलाल जाति नाई पता सा. देह भूमि स्वामी 2.00 (बांध)	212/4	1.943	1.366
22	पंजाबराव व. सेवाराम जाति कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी	212/7	0.567	0.423
23	साहेबराव व. श्रीराम जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी	212/8	0.648	0.560
24	गीता पिता ब्रजलाल सरस्वती बेवा ब्रजलाल जाति नाई पता सा. देह भूमि स्वामी (बांध) में 1.69	212/11	1.416	0.305
25	गुलाबराव वल्द पुज्या जाति कुन्बी पता सा. देह. भूमि स्वामी	143/1	1.011	0.056
26	रामचंद व. पूज्या जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि 5.00 (बांध)	145/2	1.922	0.264

27	येनू बेवा भददू नामदेव सहादेव व. भददू मालता सुशीला मुन्ना, पिता भददू लिला बेवा महोदय दीपक व. महादेव देवीका उपासना पुज्या, भावना, पिता महादेव जाति कुन्बी सा.देह भूमिस्वामी	143/2	2.388	1.156
28	वासुदेव व. गुलाबराव जाति कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी जमा 3.61 (बांध) में	161/1 क	1.151	1.151
		161/2	0.213	0.213
		162/2		
		161/1 ग		
29	सुखदेव व. गुलाबराव जाति कुन्बी पता सा.देह. भूमिस्वामी जमा 3.60 (बांध) में	161/1 ड.	1.151	1.151
		161/3	0.212	0.012
		162/4		
		161 च		
30	नामदेव व. भददू जाति कुन्बी पता सा. देह भूमि स्वामी 1.25 वि. मु. (बांध)	161/1 घ	0.87	0.870
31	श्यामराव व. रघु जाति कुन्बी पता सा.देह भूमि स्वामी जमा 5.00	160/1	0.809	0.798
32	मिरा बेवा मानिकराव प्रीतेश व. मानिकराव कंचना कल्पना सरिता पिता मानिकराव जाति कुन्बी पता सा.देह. भूमि स्वामी 3.00	160/2	1.472	1.208
33	भूरी पिता रघु जाति कुन्बी पता सा.देह. भूमि स्वामी 1.500	160/3	0.300	0.081
34	रामचंद्र व. गंदराम मखू बेवा गेन्दराम जाति कुन्बी पता सा. बासनेर खुर्द भूमि स्वामी 2 स्पील में	148	0.939	0.203
कुल योग			51.287	28.850

- 1- चूंकि बासनेरकला जलाशय हेतु, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है। धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में पृथक से कार्यवाही की जा रही है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) भैसदेही के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 5-अ-82-16-17-11206

बैतूल दिनांक 13 अक्टूबर 2017

चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची क्रमांक -1 के कालम (1) से (4) में वर्णित भूमि की, की अनुसूची के कालम (6) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 11 की उपधारा (1) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।

अनुसूची-1

जिला	तहसील	नगर/ग्राम	अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल(है0में)	धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
1	2	3	4	5	6
बैतूल (म0प्र0)	चिचोली	बलहई माल	20.119	कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 2 बैतूल (म0प्र0)	बलाईमाल जलाशय

अनुसूची - 2

(प्रभावित धारको की सूची)

क्र.	भूमिस्वामी का नाम	खसरा नं.	कुल रकबा	कुल अर्जित रकबा हे.
1	2	3	4	5
1	बाबू व. बंदगी गौली सा.देह भूमिस्वामी	96/1	0.630	0.630
		88/1	0.143	0.143
2	राधे व. बंदगी गौली सा. देह भूमिस्वामी	96/2	0.629	0.629
		88/2	0.144	0.144
3	शिवदीन व. ढीमरा सा.देह भूमिस्वामी	99/1	1.667	0.610
		92/2	0.582	0.582
		86/1	0.678	0.678
		86/2	0.678	0.678
		62	1.315	0.350
		60/2	1.258	0.280
4	गुलाब, मिलाप जिल्लू व. ओझा गोड सा.देह भूमिस्वामी	99/2	1.668	0.400
		40/2	0.888	0.200
5	उमराव /बिसराम गोड सा.देह भूमिस्वामी	98/1	0.836	0.475
		39/2	0.501	0.180
		36/2	0.231	0.040
6	बसंती पुत्री बिहारी गोड सा.देह भूमिस्वामी	98/2	0.836	0.475
		39/1	0.502	0.090
		36/1	0.231	0.102

7	सोनू / झबली गोड सा.देह भूमिस्वामी	89	2.250	2.250
8	रामजी, रामकरण / हसन गोड सा.देह भूमिस्वामी	92/1	0.592	0.592
		86/3	0.874	0.874
9	रमेश / जुगराम सा.देह भूमिस्वामी	92/3	0.639	0.639
10	भैयालाल / फालू गोड सा.देह भूमिस्वामी	92/4	0.505	0.505
11	सतु कमल व. माना गोरे बिहारी व. भादू सिबू सम्मल व जुग्गी रूनिया पिता जुग्गी चिक्कू सुन्दिया छमिया व. छननू ओझी चैतराम व. मुंशी संतरा बता पिता मुंशी अमोलीबे मुंशी जाति गोड पता निवासी ग्राम सा.देह भूमिस्वामी	87	0.189	0.189
12	मिलाप व. ओझा गोड सा.देह भूमिस्वामी	86/4	0.485	0.485
13	गीता जौ प्रकाश गाडरी सा.देह भूमिस्वामी	85/1	0.603	0.603
14	रामदयाल, इमरत, सुमरत, गिरधारी, व. प्यारे गौली सा.देह भूमिस्वामी	85/2	0.603	0.603
15	कैलाश व. छोटेलाल गौली सा.देह भूमिस्वामी	84/1	0.296	0.296
		108/5	0.274	0.100
16	दिनेश व. छोटेलाल गौली सा.देह भूमिस्वामी	84/2	0.296	0.296
		110/2	0.162	0.162
		108/4	0.274	0.100
17	अर्जुन व. छोटेलाल गौली सा.देह भूमिस्वामी	84/3	0.296	0.296
		108/3	0.275	0.100
18	फूलचंद व. छोटेलाल सा.देह भूमिस्वामी	84/4	0.297	0.297
		110/1	0.162	0.162
		108/6	0.274	0.100
19	नत्थूलाल व. खुड्डी गोड सा.देह भूमिस्वामी	83/1	0.838	0.480
20	जुगराम / कल्याण गोड सा.देह भूमिस्वामी	79	0.384	0.060
		83/2	0.424	0.424
21	सोमजी / सुक्कन गोड सा.देह भूमिस्वामी	83/3	0.988	0.050
22	फूलिया बाई पति तुट्टी गुड्डू पिता दिवसा गोड सा.देह भूमिस्वामी	111	2.411	1.760
23	भैयालाल व. बिरजा गौली सा.देह भूमिस्वामी	80/1(1)	0.271	0.120
24	कन्हैया व. बिरजा गौली सा.देह भूमिस्वामी	80/1(2)	0.252	0.120
25	रामकरण व. बिरजा गौली सा.देह भूमिस्वामी	80/1(3)	0.252	0.120
26	बलिया बेवा रतन गौली सा.देह. भूमिस्वामी	80/2(1)	0.910	0.160
27	मिश्री / बिहारी गौली सा.देह भूमिस्वामी	80/2(2)	0.447	0.100
		78	0.162	0.040

28	शिखर, सम्मल व. जुग्गी रूनिया पिता जुग्गी चिक्कू सुधिया दसिया व. ठननु गुलाब मिलाप व. जिल्लू ओझा सा.देह भूमिस्वामी	75	1.015	0.360
29	रोहनी व. शिवराम, अखलेश व. शिवराम गोड सा. देह भूमिस्वामी	61/2	0.809	0.160
30	खुड्डीकी व. झलकू चिरोंजी व. बाबू मूसरू व. धना सुदिया नंदिया पिता धना बिसना व. रेतु सुका तुला व. मलकू सा.देह भूमिस्वामी	61/1	0.810	0.180
31	सुदिया बे. श्यामलाल भूतूलाल झब्बू व. श्यामलाल फुल्लो पुत्री श्यामलाल सा.देह भूमिस्वामी	35/2	0.199	0.070
32	नन्दू व. सम्मल रामदयाल मन्नू जाति गोड सा.देह भूमिस्वामी	4/2	1.500	0.160
33	कालू / रामसु गोड सा.देह भूमिस्वामी	4/4	0.750	0.180
34	रामदयाल / प्यारे गौली सा.देह भूमिस्वामी	2	1.169	0.240
	योग:-	-	36.354	20.119

- 1- चूंकि बलाईमाल जलाशय हेतु ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाइट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किए जाने हेतु कार्यवाही की जा रही है।
- 2- भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैतूल के कार्यालय में किया जा सकता है।
- 3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर (भूमि अर्जन) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
- 4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शशांक मिश्र, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

पन्ना दिनांक 12 अक्टूबर 2017

प्रकरण क्रमांक 04-अ-82-वर्ष 2016-17.— भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15(1) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन:-
- | | | | |
|-----|-----------|---|----------------------------|
| (क) | जिला | - | पन्ना |
| (ख) | तहसील | - | पन्ना |
| (ग) | ग्राम | - | सुनहरा, प.ह.नं.22. |
| (घ) | क्षेत्रफल | - | 14.008 हेक्टेयर निजी भूमि. |

क्रमांक	खसरा नम्बर	अर्जित रकवा	भूमि का प्रकार
1	88 / 1 / ख	0.055	निजी भूमि
2	88 / 2	0.100	निजी भूमि
3	88 / 3	0.100	निजी भूमि
4	84	0.364	निजी भूमि
5	83	0.134	निजी भूमि
6	82 / 1	0.768	निजी भूमि
7	86 / 2 / क / 1	0.015	निजी भूमि
8	79	0.220	निजी भूमि
9	37 / 2	0.023	निजी भूमि
10	37 / 1	0.050	निजी भूमि
11	135	2.46	निजी भूमि
12	136	0.550	निजी भूमि
13	144 / 1 / ख / 1	0.300	निजी भूमि
14	144 / 1 / ख / 2	0.960	निजी भूमि

15	144/2/1	1.449	निजी भूमि
16	145	0.192	निजी भूमि
17	147	0.220	निजी भूमि
18	148	0.624	निजी भूमि
19	149/2/1	0.625	निजी भूमि
20	150/1/1	0.116	निजी भूमि
21	152/1	0.232	निजी भूमि
22	35/1	0.007	निजी भूमि
23	35/2	0.029	निजी भूमि
24	36/1	0.008	निजी भूमि
25	36/2	0.029	निजी भूमि
26	36/3	0.012	निजी भूमि
27	38/1/1	0.016	निजी भूमि
28	38/1/2	0.028	निजी भूमि
29	38/1/3	0.005	निजी भूमि
30	38/2	0.016	निजी भूमि
31	39/1/1/1	0.009	निजी भूमि
32	39/1/2	0.028	निजी भूमि
33	39/2	0.028	निजी भूमि
34	39/3	0.028	निजी भूमि
35	40/1/1	0.005	निजी भूमि
36	40/2	0.028	निजी भूमि
37	40/3	0.028	निजी भूमि
38	40/4	0.028	निजी भूमि
39	41/1/1	0.007	निजी भूमि
40	41/2	0.028	निजी भूमि
41	4	0.050	निजी भूमि
42	5/2	0.120	निजी भूमि
43	64/1/1	0.344	निजी भूमि
44	67/3	0.610	निजी भूमि
45	86/2/ख	0.040	निजी भूमि
46	81	0.320	निजी भूमि
47	85/2/1	0.013	निजी भूमि
48	139/2	0.090	निजी भूमि
49	87/1	0.010	निजी भूमि
50	138/2/1	0.003	निजी भूमि
51	88/1/क/2	0.027	निजी भूमि
52	88/1/क/3	0.028	निजी भूमि
53	82/2	0.027	निजी भूमि
54	82/3	0.027	निजी भूमि
55	82/7	0.027	निजी भूमि
56	82/4	0.027	निजी भूमि
57	82/5	0.027	निजी भूमि
58	82/6	0.027	निजी भूमि
59	144/2/2	0.029	निजी भूमि

60	144/2/3	0.029	निजी भूमि
61	144/2/4	0.029	निजी भूमि
62	144/2/6	0.029	निजी भूमि
63	144/2/7	0.028	निजी भूमि
64	144/2/5	0.029	निजी भूमि
65	144/2/8	0.028	निजी भूमि
66	3/1	0.015	निजी भूमि
67	3/2	0.015	निजी भूमि
68	3/3	0.015	निजी भूमि
69	3/4	0.015	निजी भूमि
70	3/5	0.015	निजी भूमि
71	3/6	0.015	निजी भूमि
72	3/7	0.015	निजी भूमि
73	3/8	0.015	निजी भूमि
74	3/9	0.015	निजी भूमि
75	72/1/2	0.028	निजी भूमि
76	72/1/3	0.029	निजी भूमि
77	72/1/4	0.029	निजी भूमि
78	72/1/5	0.029	निजी भूमि
79	72/1/6	0.029	निजी भूमि
80	72/1/7	0.029	निजी भूमि
81	72/1/8	0.029	निजी भूमि
82	72/1/9	0.029	निजी भूमि
83	72/1/10	0.029	निजी भूमि
84	72/1/11	0.029	निजी भूमि
85	72/1/12	0.029	निजी भूमि
86	72/1/13	0.029	निजी भूमि
87	72/1/14	0.029	निजी भूमि
88	72/1/15	0.029	निजी भूमि
89	72/1/17	0.029	निजी भूमि
90	72/1/16	0.029	निजी भूमि
91	72/1/18	0.029	निजी भूमि
92	72/1/19	0.029	निजी भूमि
93	72/1/20	0.029	निजी भूमि
94	72/2/1	0.027	निजी भूमि
95	72/2/2	0.023	निजी भूमि
96	72/3	0.05	निजी भूमि
97	72/4	0.050	निजी भूमि
98	72/5	0.050	निजी भूमि
99	72/1/1/2	0.029	निजी भूमि
100	149/2/2	0.028	निजी भूमि
101	149/2/3	0.028	निजी भूमि
102	149/2/4	0.028	निजी भूमि
103	149/2/5	0.028	निजी भूमि
104	149/2/6	0.028	निजी भूमि
105	149/2/7	0.028	निजी भूमि
106	150/1/2	0.014	निजी भूमि
107	150/2	0.014	निजी भूमि
108	150/3	0.014	निजी भूमि
109	150/4	0.014	निजी भूमि
110	150/5	0.014	निजी भूमि
111	150/6	0.014	निजी भूमि
112	138/2/2	0.029	निजी भूमि

113	138/2/4	0.029	निजी भूमि
114	138/2/6	0.029	निजी भूमि
115	152/2	0.028	निजी भूमि
116	64/6	0.014	निजी भूमि
117	64/8	0.028	निजी भूमि
118	64/9	0.014	निजी भूमि
119	85/2/2	0.005	निजी भूमि
120	85/2/3	0.006	निजी भूमि
121	85/2/4	0.004	निजी भूमि
122	85/2/5	0.011	निजी भूमि
123	85/2/6	0.011	निजी भूमि
124	86/2/क/2	0.029	निजी भूमि
125	86/2/क/3	0.024	निजी भूमि
126	86/2/क/4	0.023	निजी भूमि
127	86/2/क/5	0.029	निजी भूमि
128	86/2/क/6	0.025	निजी भूमि
129	86/2/क/7	0.029	निजी भूमि
130	86/2/क/8	0.018	निजी भूमि
131	86/2/क/9	0.018	निजी भूमि
132	39/1/1/2	0.028	निजी भूमि
133	40/1/2	0.004	निजी भूमि
134	41/1/2	0.010	निजी भूमि
135	42/1/1	0.009	निजी भूमि
136	42/1/2	0.018	निजी भूमि
137	42/1/3	0.009	निजी भूमि
138	42/2	0.018	निजी भूमि
139	42/3	0.018	निजी भूमि
140	42/4	0.018	निजी भूमि
141	43/1	0.028	निजी भूमि
142	43/2/2	0.002	निजी भूमि
143	43/2/3	0.010	निजी भूमि
144	43/2/4	0.010	निजी भूमि
145	34/1/2	0.029	निजी भूमि
146	34/1/3	0.029	निजी भूमि
147	34/1/4	0.029	निजी भूमि
148	34/1/5	0.029	निजी भूमि
149	34/1/6	0.029	निजी भूमि
150	34/1/7	0.029	निजी भूमि
151	34/1/8	0.029	निजी भूमि
152	34/1/9	0.029	निजी भूमि
153	34/1/10	0.029	निजी भूमि
154	34/1/11	0.029	निजी भूमि
155	34/2/2	0.028	निजी भूमि
	योग :-	14.008 हेक्टेयर	

[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- ललितपुर-सतना,रीवा-सिंगरौली,महोबा-खजुराहो (541-कि०मी०) नई बडी रेलवे लाइन निर्माण कार्य हेतु ।

[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. पी. आईरीन सिंधिया, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

**कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग**

क्र. 6245-भू-अर्जन-री-1/2017-प्र.क्र. 03-अ-82-17-18

बड़वानी, दिनांक 24 अक्टूबर 2017

(अधिनियम की धारा -11 को भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 क्रं. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन के लिये विकास खण्ड पाटी में जल संसाधन अनुविभाग राजपुर, अंतर्गत प्रस्तावित निर्माणाधीन बेड़दा तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम गंधावल तहसील पाटी जिला बड़वानी में 8.320 हेक्टर, भूमि आर्षे हैं, (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था, और नियम 04 के अ यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट/प्रारम्भिक जाँच का सार इस प्रकार सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :- अधिनियम की धारा 06 के अनुसार सि परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

विकासखण्ड पाटी में जल संसाधन अनुविभाग राजपुर, अंतर्गत प्रस्तावित निर्माणाधीन बेड़दा तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल 5 कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे लिखा गया है - निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप निर्धारित किया जाता है। अतः जिला निरंक तहसील निरंक ग्राम निरंक में उक्त परियोजना के लिये निरंक हेक्टा माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

विकासखण्ड पाटी में जल संसाधन अनुविभाग राजपुर अंतर्गत प्रस्तावित निर्माणाधीन बेड़दा तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम गंधावल तहसील पाटी जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची :-

स. क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	442	भूस्वामी	निजी भूमि	0.440	महांग्या पिता गना बारेला
	447			0.320	
2	450	भूस्वामी	निजी भूमि	0.260	तुलसीराम पिता काजा बारेला
	446			0.280	
	451			0.090	
	1221/2			0.680	
	1287			0.140	
	1268/1			0.300	
	1269/5			0.160	
	1272/1			0.060	
3	1271	भूस्वामी	निजी भूमि	0.760	बठा पिता तुलसीराम
4	453/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.300	गजा पिता लडु बारेला
	1268/8			0.265	
5	453/5	भूस्वामी	निजी भूमि	0.130	बालु पिता काजा बारेला
	453/1			0.300	
	1245/3			0.170	
6	1161	भूस्वामी	निजी भूमि	0.130	गिलदार पिता शंकर भीकली देवा शंकर, विरज्या बलगा पिता भावला, सुतार पिता कोटवाल, बिल्लोरसिंग पिता वेडिया जाति बारेला
7	1244/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.050	जगदीश पिता काजा बारेला
	1245/4			0.140	
	1283/1			0.055	
	1288/5			0.055	
	1269/1			0.055	
8	453/4	भूस्वामी	निजी भूमि	0.190	रन्छोड पिता काजा
	1244/2			0.050	
	1245/2			0.180	

9	1244/3	भूस्वामी	निजी भूमि	0.290	नानसिंग पिता काजा
	1245/1			0.060	
	1272/2			0.160	
10	1263/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.080	कमलसिंग पिता लट्टु
	1268/3			0.040	
	1269/2			0.130	
	योग :-			6.320	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013(2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा -11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई हैं।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती हैं।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60(साठ) दिनांक के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे। सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है। अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक-30 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र. 6243-भू-अर्जन-री-1/2017-प्र.क्र. 04-अ-82-17-18

(अधिनियम की धारा -11 को भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क्र. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन के लिये विकास खण्ड पाटी में जल संसाधन अनुविभाग राजपुर, अंतर्गत प्रस्तावित निर्माणाधीन बेड़दा तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम डोंगरगाँव तहसील पाटी जिला बड़वानी में 12.238 हेक्टर, भूमि अपेक्षित है, (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था, और नियम 04 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट/प्रारम्भिक जाँच का सार इस प्रकार है। सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :- अधिनियम की धारा 06 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

विकासखण्ड पाटी में जल संसाधन अनुविभाग राजपुर, अंतर्गत प्रस्तावित निर्माणाधीन बेड़दा तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शुन्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है - निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप नियुक्त किया जाता है। अतः जिला निरंक तहसील निरंक ग्राम निरंक में उक्त परियोजना के लिये निरंक हेक्टर, माप के एक भूखण्ड अर्थात् निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

विकासखण्ड पाटी में जल संसाधन अनुविभाग राजपुर अंतर्गत प्रस्तावित निर्माणाधीन बेड़दा तालाब परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम डोंगरगोँव तहसील पाटी जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची :-

स. क्र.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	50/2, 51/2	भूस्वामी	निजी भूमि	0.101	सिलदार, रूखड़िया, नानला पिता घुसवाड़िया जाति बारेला नि.ग्रा. भूमिस्वामी
2	26/3, 27/2, 28/2, 101/2	भूस्वामी	निजी भूमि	2.121	चुन्नीलाल, गंगाराम, बालू, नराण, राजाराम, टिकाराम, पुन्या, मुक्त्या पिता चरसिंग चमार, कुमार पिता कथरिया, बीनाबाई बैवा कथरिया बारेला नि.ग्रा. भूमिस्वामी
	98			0.324	
	89			0.182	
	126/3			0.016	
	1499			0.707	
3	102/2	भूस्वामी	निजी भूमि	1.283	कोटवाल पिता नांदरिया बारेला नि. ग्रा. भूमिस्वामी
	103, 104			0.910	
	125, 123/2			0.041	
	99/2			1.214	
4	102/1	भूस्वामी	निजी भूमि	2.934	सिलदार, थेबड़ा, नानटा पिता गुटिया बारेला नि.ग्रा. भूमिस्वामी
	108			0.599	
	99/1			0.628	
	1500, 1569/2			0.041	
	119/2, 115/2			0.146	
5	106	भूस्वामी	निजी भूमि	0.550	सिलदार पिता गुटिया बारेला नि.ग्रा. भूमिस्वामी
6	94/1	भूस्वामी	निजी भूमि	0.441	जैमाल्या, सायमल पिता मास्टरिया बारेला नि.ग्रा. भूमिस्वामी
	कुलयोग:-			12.238	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013(2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा -11(1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् क्रय/विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60(साठ) दिनांक के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आवेप यदि कोई हो, फाईल किये जा सकेंगे। सिंचाई परियोजना के अंतर्गत बांध निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है। अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक-30 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

क्र. 6244-भू-अर्जन-री-1/2017-प्र.क्र. 05-अ-82-17-18

(अधिनियम की धारा -11 को भू-अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 कं. 30 सन् 2013)

कलेक्टर को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन के लिए विकासखण्ड पाटी मे जल संसाधन अनुविभाग राजपुर, अंतर्गत प्रस्तावित निर्माणाधीन बेडदा तालाब परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम गंधावल तहसील पाटी जिला बड़वानी में 0.527 हेक्टर भूमि आपेक्षित है, (सामाजिक समाघात मूल्यांकन अध्ययन एसआईए यूनिट द्वारा किया गया था और नियम 4 के अधीन यथा विनिश्चित जिला कलेक्टर द्वारा गठित दल द्वारा एक रिपोर्ट/प्रारम्भिक जाँच का सार इस प्रकार है (सामाजिक समाघात रिपोर्ट की एक प्रति संलग्न है :- अधिनियम की धारा 6 के अनुसार सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं।)

विकासखण्ड पाटी मे जल संसाधन अनुविभाग राजपुर, अंतर्गत प्रस्तावित निर्माणाधीन बेडदा तालाब परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु भूमि अर्जन के कारण कुल शून्य कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना है। इस प्रकार के विस्थापन की आवश्यकता का कारण नीचे दिया गया है- निरंक

निरंक प्रभावित कुटुम्बों के पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजन के लिए प्रशासक के रूप नियुक्त किया जाता है अतः जिला निरंक तहसील निरंक ग्राम निरंक मे उक्त परियोजना के लिए निरंक हेक्टेयर माप के एक भूखण्ड अर्थात निरंक मानक माप के भूखण्ड जिसका विवरण निरंक है।

विकासखण्ड पाटी मे जल संसाधन अनुविभाग राजपुर, अंतर्गत प्रस्तावित निर्माणाधीन बेडदा तालाब परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम गंधावल तहसील पाटी जिला बड़वानी की अनुसूची अनुसार वर्णित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है।

अनुसूची

स. क.	खसरा नम्बर	हक का प्रकार	भूमि का प्रकार	अर्जन का क्षेत्र (हे.)	व्यक्ति का नाम और पता
1	2	3	4	5	6
1	1056	भूस्वामी	निजी भूमि	0.098	हुन्या पिता सुकल्या गेंदिया रेदिया भुरिया रेमा पिता मान्या जहाजिया राजाराम पिता गमी उर्फ गेमलसिंग नानीबाई बेवा गेमी उर्फ गेमलसिंग जाति बोरला निवासी ग्राम गंधवाल
	1057			0.047	
	1082			0.011	

2	697	भूस्वामी	निजी भूमि	0.199	गोखरिया पिता गेला इस्तरिया सरपा वरला दादल्या तिन्छया पिता गुलाब कारवटी बेवा गुलाब जाति बारेला निवासी गंधावल
3	692	भूस्वामी	निजी भूमि	0.172	हरजा चंद्रीया सुंदरिया

					तुलस्या पाण्डया पिता भाया जाति बारेला निवासी गंधवाल
		यागे		0.527	

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिए भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013(2013 का अधिनियम संख्यांक 30) की धारा -11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग बड़वानी में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है।

सरकार उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित और विनिर्दिष्ट भू-अर्जन अधिकारी एवं कार्यपालन यंत्री अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिए अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है।

अधिनियम की धारा 11(4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा। अर्थात् कय/विकय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।

अधिनियम की धारा -15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनांक के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में जिला कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे। सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नहर निर्माण का पर्यावरणीय समाघात का अध्ययन किया गया है। अतः धारा-6 की उपधारा 2 'क' के अनुसार सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।

भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन के उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013(क्रमांक-30 सन् 2013) की धारा-10 के प्रावधान भी सिंचाई परियोजना होने के कारण लागू नहीं होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर जिला बड़वानी एवं समुचित सरकार.

गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 26 अक्टूबर 2017

क्र. एफ-12-44-2015-बी-1-दो.—यतः राज्य सरकार यह आवश्यक समझती है कि राज्य के उन परिलक्षित क्षेत्रों में जहां कि अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार होने की संभावनाएँ अधिक हैं, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों पर अत्याचार के अपराधों का निवारण किया जाए;

अतएव, इन क्षेत्रों में अत्याचारों का निवारण करने तथा केन्द्र सरकार द्वारा बनाई गई विधि के अधीन अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के संरक्षण तथा उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने तथा अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जनजातियां (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 (1989 का 33) की धारा 21 की उपधारा (2) के खण्ड (सात) के उपबंधों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने की दृष्टि से, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (5) में विनिर्दिष्ट ग्रामों, वार्डों, नगरों के क्षेत्रों के लिये कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट वार्ड क्रमांक के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट जिले के लिए कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट पुलिस थानों को उक्त अधिनियम तथा उसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन ऊपर उल्लिखित प्रयोजनों के लिये चिन्हित क्षेत्र के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात्:—

अनुसूची

अनुक्रमांक (1)	जिला (2)	पुलिस थाना (3)	वार्ड क्र. (4)	ग्राम, वार्ड / नगर (5)
01	भोपाल	खजूरी सड़क		बैरागढ़कला
02	विदिशा	कोतवाली कोतवाली	03, 05 21, 22	मोहनगिरि लोकांगी मोहल्ला
03	भिण्ड	देहात	27	महावीर नगर बी.टी.आई. रोड
04	मुरैना	स्टेशन रोड स्टेशन रोड कोतवाली अम्बाह	12 14 45	तुस्सीपुरा सुभाष नगर गोपालपुरा पूठा बड़फरा
05	शयोपुर	कराहल		कराहल
06	देवास	कन्नौद खातेगांव खातेगांव खातेगांव खातेगांव खातेगांव सतवास बागली बागली बागली बागली बागली बागली सोनकच्छ		कन्नौद बागदा संदलपुर कणाबुजुर्ग बडीबराछा गनौरा भण्डारिया स्माइलखेड़ी कमलापुर पुंजापुरा करनावद मानकुण्डी खजुरिया छायनमैना

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		पीपलरांवा पीपलरांवा पीपलरांवा		पीपलरांवा सुरजना डेहरियापेठ
07	शाजापुर	शुजालपुर मण्डी		मण्डी शुजालपुर
08	रतलाम	आलोट नामली		आलोट नामली
09	ग्वालियर	हजीरा	08	हजीरा चौराहा
10	शिवपुरी	कोतवाली नरवर	13	लालमाटी, फतेहपुर मगरौनी
11	छतरपुर	महाराजपुर महाराजपुर		कस्बा महाराजपुर महाराजपुर
12	रायसेन	औबेदुल्लागंज	12	अर्जुन नगर
13	बैतूल	बैतूल		सदर हमलापुर कोठीबाजार गंज टिकारी
		सारणी		सारणी पाथाखेड़ा शोभापुर

No. F. 12-44-2015-B-1-Two.—WHEREAS, the State Government considers it necessary to prevent the commission of offences of atrocities against the members of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes in such identified areas of the State where there are much possibilities of atrocities on Scheduled Caste and Scheduled Tribe members;

NOW, THEREFORE, with a view to prevent atrocities in these areas and to ensure protection and safety of members of Scheduled Castes and Scheduled Tribes under the law made by the Central Government and in order to ensure effective implementation of provisions of clause (vii) of sub-section (2) of Section 21 of the Scheduled Caste and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 (No. 33 of 1989), the State Government hereby, notifies the Police Stations Specified in column (3) for the ward No. specified in column (4), for the area of village, ward / town specified in column (5) for the district specified in column (2) of the Scheduled given below as identified area for the above mentioned purpose under the said Act and rules made thereunder, namely:—

SCHEDULE

S. No. (1)	District (2)	Police Station (3)	Ward No. (4)	Village, Ward / Town (5)
01	Bhopal	Khajoori Sadak		Bairagarh Kala
02	Vidisha	Kotwali Kotwali	03, 05 21, 22	Mohangiri Lokangi Mohalla
03	Bhind	Dehat	27	Mahaveer Nagar B.T.I. Road
04	Morena	Station Road Station Road	12 14	Tussipura Subhash Nagar

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		Kotwali Ambah	45	Gopalpura Pootha Wadphara
05	Sheopur	Karahal		Karahal
06	Dewas	Kannaud Khatagoan Khatagoan Khatagoan Khatagoan Satwas Bagli Bagli Bagli Bagli Bagli Bagli Sonkachh Peepalrawa Peepalrawa Peepalrawa		Kannaud Bagda Sandalpur Kanabuzurg Badibarachha Gannaura Bhandariya Ismailkhedi Kamlapur Punjabura Karnawad Mankundi Khajooriya Chhayanmaina Peepalrawa Surjana Dehariyapeth
07	Shajapur	Shujalpur Mandi		Mandi Shujalpur
08	Ratlam	Alot Naamli		Alot Naamli
09	Gwalior	Hazeera	08	Hazeera Chauraha
10	Shivpuri	Kotwali Narwar	13	Lalmati, Phatehpur Magrauni
11	Chhatarpur	Maharajpur Maharajpur		Qasba Maharajpur Maharajpur
12	Raisen	Aubedullaganj	12	Arjun Nagar
13	Betul	Betul Sarni		Sadar Hamlapur Kothibazar Ganj Tikari Sarni Pathakheda Shobhapur

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विवेक शर्मा, सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सिवनी, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 11 सितम्बर 2017

क्र. 1641-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी
(ग) ग्राम—बबरिया प.ह.न.—32
(घ) लगभग क्षेत्रफल 5.95 हे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
235/1	1.22
230	1.66
228	1.02
226	0.07
225	0.30
237/1	0.77
223	0.60
232	0.25
224	0.06
योग . .	5.95

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवश्यक है—जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

क्र. 1640-जि.भू.अ.-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई सूची के पद (1) में वर्णित खसरा भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित अर्जित भूमि रकबा का सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह

घोषित किया जाता है, उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का विवरण—

- (क) जिला—सिवनी
(ख) तहसील—केवलारी
(ग) ग्राम—केवलारीखेड़ा प.ह.न.—32
(घ) लगभग क्षेत्रफल 10.18 हे.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
280	2.27
272/1	1.81
286	0.18
264	0.07
267	0.04
269	0.12
262	0.07
312/2	0.03
271	0.92
272/2	1.17
229/1	0.20
313/1	0.50
282	0.27
273/2	0.03
263	0.50
273/1	2.00
योग . .	10.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि आवश्यक है—जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यालय, कलेक्टर भू-अर्जन अधिकारी सिवनी, जिला सिवनी में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गोपाल चन्द्र डाड, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास,
बाणसागर परियोजना, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं
पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 13 सितम्बर 2017

पत्र क्र. 1602-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद

(1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—रीवा

(ख) तहसील—मनगवां

(ग) ग्राम—रघुनाथगंज-194

(घ) क्षेत्रफल—1.611 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
791	0.124
790	0.010
781	0.130
719	0.041
718	0.032
715	0.024
710	0.015
723	0.001
708	0.011
709	0.028
705	0.043
701	0.032
687	0.044
689	0.012
691	0.022
692	0.010
693	0.012
675	0.072
678	0.108
676	0.006
677	0.098
606	0.020
571	0.062
570	0.013
569	0.036

(1)	(2)
568	0.022
52	0.005
51	0.021
49	0.048
48	0.047
41	0.020
17	0.046
18	0.041
20	0.022
21	0.019
22	0.040
24	0.013
4/1	0.010
6	0.023
28	0.002
29	0.023
30	0.020
85	0.022
1117	0.004
1118	0.081
1119	0.029
1120	0.005
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . . . 1.569	
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
27	0.016
7	0.026
म. प्र. शासन की भूमि का योग . . . 0.042	
अ + ब का कुल योग . . . 1.611	

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 1 एवं 2” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1604-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि को, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का

अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—रौरा-502
(घ) क्षेत्रफल—0.434 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
744	0.014
737	0.003
932	0.016
933	0.019
936	0.023
935	0.020
938	0.025
944	0.019
945	0.076
946	0.013
996	0.006
995	0.031
994	0.020
981	0.028
982	0.015
983	0.017
991	0.046
986	0.020
987	0.010
988	0.013
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.434
ब-म. प्र. शासन की भूमि	
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का कुल योग . .	0.434

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 12 एवं सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1606-प्रका.-भू-अर्जन-2016.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—कोलहा-82
(घ) क्षेत्रफल—0.743 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
अ-निजी पट्टे की भूमि	
232	0.028
231	0.011
233	0.035
235	0.005
236	0.032
238	0.026
239	0.033
221	0.045
220	0.009
219	0.017
263	0.015
264	0.023
217	0.016
266	0.043
279	0.001
278	0.027
277	0.048
282	0.004
332	0.030
333	0.002
331	0.039
336	0.044
329	0.028
328	0.065
327	0.002
326	0.007
318	0.021

(1)	(2)
317	0.028
281	0.041
285	0.002
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.727

ब-म. प्र. शासन की भूमि

299	0.006
508	0.010
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.016
अ + ब का कुल योग . .	0.743

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“डगडगपुर वितरक के माइनर क्र. 16” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 20 सितम्बर 2017

पत्र क्र. 1617-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—चौरहाई-190
(घ) क्षेत्रफल—0.224 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

23	0.188
24	0.009
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.197

ब-म. प्र. शासन की भूमि

25	0.027
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.027
अ + ब का कुल योग . .	0.224

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 9” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1619-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची**(1) भूमि का वर्णन—**

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—रायपुर कर्चुलियान
(ग) ग्राम—उमरी-51
(घ) क्षेत्रफल—0.182 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
----------	-------------------------------

(1)	(2)
-----	-----

अ-निजी पट्टे की भूमि

1986	0.034
1988	0.063
1977	0.032
1992	0.006
1994	0.003
741	0.018
744	0.007
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.163

ब-म. प्र. शासन की भूमि

787	0.017
786	0.002
म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.019
अ + ब का कुल योग . .	0.182

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत अमिलकी वितरक के माइनर क्र. 4 एवं 6” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1621-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—मनगवां
(ग) ग्राम—मेथोरी-530
(घ) क्षेत्रफल—0.192 हेक्टेयर.

खसरा नं.	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)

अ-निजी पट्टे की भूमि

326	0.192
अ-निजी पट्टे की भूमि का योग . .	0.192

ब-म. प्र. शासन की भूमि

म. प्र. शासन की भूमि का योग . .	0.000
अ + ब का कुल योग . .	0.192

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—“बहुती नहर के अंतर्गत चंदेह माइनर क्र. 7 के ब्रान्च माइनर एवं ब्रान्च सबमाइनर” में आने वाली निजी/शासकीय भूमि एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रीवा, दिनांक 22 सितम्बर 2017

पत्र क्र. 1641-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर

- (ग) ग्राम—डिहिया पैपखार
(घ) क्षेत्रफल—0.067 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
	अ-निजी पट्टे की भूमि	
279	0.067	-
योग . .	0.067	-

ब-शासकीय भूमि

महायोग . . 0.067 हेक्टेयर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “कटकी माइनर से सब-माइनर डिहिया के निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.
- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है.

पत्र क्र. 1643-प्रका.-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि/शासकीय भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—रीवा
(ख) तहसील—सिरमौर
(ग) ग्राम—पटेहरा
(घ) क्षेत्रफल—0.033 हेक्टेयर.

खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	
	निजी भूमि	शासकीय भूमि
	अ-निजी पट्टे की भूमि	
164	0.033	-
योग . .	0.033	-

ब-शासकीय भूमि निरंक

महायोग . . 0.033 हेक्टेयर

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है—बाणसागर परियोजना के अंतर्गत “कटकी सब-माइनर से सब-माइनर डिहिया के निर्माण” में आने वाली निजी/शासकीय भूमियों एवं उस पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु.

- (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, प्रशासक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, बाणसागर परियोजना, रीवा के कार्यालय में किया जा सकता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पी. एस. त्रिपाठी, प्रशासक एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बड़वानी, दिनांक 11 अक्टूबर 2017

क्र. 6161-रीडर-भू-अर्जन-2017-कलेक्टर-रा. प्र. क्र. 129-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है की निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—पानसेमल
(ग) ग्राम—पाड़ल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.292 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
10/3	0.300
14/2, 16/2	0.210
38/3, 39/2	0.087
44/2, 40	0.100
39/1	0.060
43/2	0.020
43/3	0.068
43/4	0.032
43/5	0.030
56/3	0.385
योग . . .	1.292

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन :—गोमई नदी परियोजना की मुख्य नहर (आर.बी.सी.) ग्राम पाड़ल्या के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

संभाग, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है।

- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 6163-रीडर-भू-अर्जन-2017-कलेक्टर-रा. प्र. क्र. 130-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—पानसेमल
(ग) ग्राम—मोयदा
(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.505 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
105/1/1	0.079
105/2	0.426
योग . . .	0.505

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—गोमई नदी परियोजना की मुख्य नहर (आर.बी.सी.) ग्राम मोमदा के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
(4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

क्र. 6162-रीडर-भू-अर्जन-2017-कलेक्टर-रा. प्र. क्र. 131-अ-82-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की,

अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत, इसके द्वारा घोषित किया जाता है की निजी भूमि पर स्थित सम्पत्ति के अर्जन हेतु आवश्यकता है:—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—बड़वानी
(ख) तहसील—पानसेमल
(ग) ग्राम—चिचल्या
(घ) लगभग क्षेत्रफल—1.455 हेक्टेयर

खसरा नंबर	अर्जित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
2/1	0.044
2/2	0.042
3/4, 2/4	0.122
2/7	0.297
8/1	0.084
8/2	0.063
8/3	0.055
10/1/2	0.202
11/1	0.189
10/2	0.018
13/2	0.128
11/2	0.042
11/3	0.102
11/10	0.067
योग	1.455

- (2) सार्वजनिक प्रयोजन—गोमई नदी परियोजना की मुख्य नहर (आर.बी.सी.) ग्राम चिचल्या के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु.
- (3) भूमि के नक्शे (प्लान) का अवलोकन भू-अर्जन एवं पुनर्वास अधिकारी, एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, बड़वानी के कार्यालय में कार्यालयीन समय में किया जा सकता है.
- (4) इस प्रारंभिक उद्घोषणा में वर्णित भूमि के क्षेत्र एवं औचित्य के संबंध में हितबद्ध व्यक्ति 15 दिवस के भीतर भू-अर्जन अधिकारी, के कार्यालय में आक्षेप प्रस्तुत कर सकते हैं.
- (5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.barwani.nic.in पर भी अपलोड किया गया है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तेजस्वी एस. नायक, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 अक्टूबर 2017

क्र. 10399-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-पेटदेवरी, प.ह.न.-57, ब.न.-178, रा.नि.म.-अमरवाड़ा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 02.539 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे. में)
(1)	(2)
21/1	0.150
23/1	0.150
44/1	0.030
54/1	0.045
293	0.030
23/4	0.110
23/2	0.045
44/2	0.040
54/2	0.045
44/3	0.050
56	0.060
48	0.135
50	0.015
174	0.105
53	0.180
176/3	0.063
64	0.135
158/2	0.150
171/6	0.090
172/1	0.065
172/8	0.042

(1)	(2)
63/4	0.180
172/5	0.025
299/2	0.015
299/1	0.075
299/3	0.040
297/1	0.008
297/2	0.008
296	0.015
295/1	0.015
295/2	0.008
295/3	0.008
294	0.015
292	0.018
291	0.018
290	0.030
289	0.031
310/2	0.060
311/2	0.010
311/4	0.080
311/3	0.062
317	0.028
52	0.040
172/7	0.015

योग . . . 02.539 हेक्टर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियाँ.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—बंधानी जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mpvenue.nic.in> पर भी किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10400-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—जुन्नारदेव
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-कोरपानीकला, ब.न.-81
प.ह.न.-72, रा.नि.म.-नवेगांव
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 41.449 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
123/1	1.332
123/2	1.331
88/2	0.071
116/2	0.996
119/2	0.681
88/1	0.071
116/1	0.995
119/1	0.682
141	0.838
143/1	0.213
143/2	0.187
58	0.122
100	1.246
101	0.036
67	2.914
97	0.526
37/2	0.657
96/2	0.876
94/1	0.180
94/2	0.188
93	0.357

(1)	(2)	(1)	(2)
90	0.279	125/1	0.281
87/1	0.142	128	0.235
91/1	0.021	194	0.097
87/2	0.142	126/2	0.042
91/2	0.016	130	0.441
87/3	0.137	187	0.218
91/3	0.016	188	0.029
78/3	0.277	189/2	0.085
78/1	0.216	189/1	0.042
60/2	0.161	190	0.159
60/3	0.489	193	0.115
37/1	0.048	195	0.046
46/1	0.231	196	0.070
46/3	0.497	198	0.087
46/4	0.872	218	0.058
121/1	0.346	96/1	0.876
186/1	0.096	60/1	0.031
121/2	0.809	89	0.142
121/3	0.809	92	0.057
121/4	0.381	95	0.340
186/2	0.010		योग . . . 41.449 हेक्टर एवं
121/5	1.073		प्रस्तावित
186/3	0.094		क्षेत्रफल पर
121/6	0.145		आने वाली
186/4	0.094		संपत्तियां.
121/7	0.346		
186/5	0.045		(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खापरकला जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
121/8	0.928		(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
117/1, 117/4, 117/5	1.253		(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
117/2, 117/6, 117/7	1.324		(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
117/3, 117/8, 117/9	1.324		(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
99	0.611		
64/4	0.321		
66/6	0.403		
64/6	0.321		
66/2	0.402		
64/1	0.321		
66/3	0.402		
64/2	0.081		
66/4	0.403		
64/5	0.081		
66/1	0.403		
64/3	0.081		
66/5	0.403		
62	1.668		
63	2.258		
65	2.719		

क्र. 10401-भू-अर्जन-2017.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—जुन्नारदेव
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—चिखलार, ब.न.-163
 प.ह.न.-64, रा.नि.म.-दमुआ
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 01.888 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
88	0.632
85/1	0.083
85/2	0.032
47/1	0.063
47/2	0.089
47/3	0.081
37/1	0.419
37/3	0.016
38/3	0.230
17	0.243

योग . . . 01.888 हेक्टेयर एवं
 प्रस्तावित
 क्षेत्रफल पर
 आने वाली
 संपत्तियाँ.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट <http://www.mpvenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10402-भू-अर्जन-2017.—चूँकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—जुन्नारदेव
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम—आंकिया, ब.न.-11,
 प.ह.न.-72, रा.नि.म.-नवेगांव
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 38.984 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
37/4	1.214
37/3	1.011
37/2	0.809
37/1क	2.078
37/1ख	2.079
22/2	1.257
22/3	2.513
22/6	0.744
22/4	0.224
22/1	2.513
22/5	1.258
34/1	1.639

(1)	(2)	(1)	(2)
34/2	0.490	232/2	0.033
29/4	0.638	243	0.176
34/4	0.235	260	0.083
36/1	0.049	258/1	0.057
24/3	0.468	259/2	0.088
24/4	0.060	258/2	0.137
34/7	0.809	261, 262	0.142
34/3	2.743	156	0.047
29/1	1.910	155	0.093
29/2	0.635	154	0.029
29/3	0.957	153	0.072
34/6	0.388	152/2	0.083
29/5	0.641	152/1	0.117
34/9	0.489	85/1	0.080
34/10	0.235	89/1	0.157
36/3	0.048	20/1	1.200
29/6	0.957	19/1	1.023
34/8	0.389		योग . . 38.984 हेक्टर एवं
32	0.866		प्रस्तावित
33	1.076		क्षेत्रफल पर
34/5	0.878		आने वाली
36/2	0.032		संपत्तियां.
171/2	0.082	(2)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खापरकलां जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
171/1	0.446	(3)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाइट http://www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
159	0.429	(4)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
158/1	0.133	(5)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
83/6	0.036	(6)	अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
157/2	0.010		
157/1	0.214		
83/5	0.046		
83/4	0.074		
83/3	0.044		
83/2	0.061		
83/1	0.074		
85/2	0.181		
86	0.153		
75	0.103		
80	0.163		
231/1	0.320		
231/2	0.429		
232/1	0.037		

क्र. 10403-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—जुन्नारदेव
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खैरीकनेरी(खिड़कीकनेरी),
 ब.नं.-102, प.ह.नं.-73, रा.नि.म.-दमुआ
 (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.052 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
96	0.090
66	0.432
112	0.509
142/3	0.024
113/3	0.309
113/1	0.074
117	0.330
119	0.362
67	0.136
68	0.110
69	0.142
140/2	0.013
76	0.168
74	0.130
142/5	0.050
142/2	0.041
139/1	0.132

योग . . . 03.052 हेक्टेयर एवं
 प्रस्तावित
 क्षेत्रफल पर
 आने वाली
 संपत्तियाँ.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खापरकला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
 (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
 (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
 (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
 (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10404-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
 (ख) तहसील—जुन्नारदेव
 (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-सेल्टिया, ब.नं.-142

प.ह.नं.-64, रा.नि.म.-नवेगांव.

- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 03.075 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ.

प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)	प्रस्तावित रकबा (हे. में) (2)	(1)	(2)
63/3	0.013	82/6	0.110
63/4	0.036	116/1	0.019
63/5	0.026	116/2	0.025
65/2	0.152	117/2	0.031
65/1	0.160	116/3	0.021
66/1	0.342	116/4	0.002
66/2	0.009	115	0.098
34	0.031	113/5	0.023
54	0.150	113/8	0.025
79/2	0.008	113/7	0.027
56	0.053	123/2	0.030
28/4	0.004	125/3	0.053
55/2	0.106	122/1	0.044
28/5	0.022	123/1	0.063
28/6	0.017	123/3	0.005
53	0.119	124	0.051
51/1	0.016	125/1	0.033
51/3	0.108	125/2	0.007
51/2	0.032	126/1	0.147
31	0.042	150/1	0.088
32	0.030	134	0.067
33	0.076		
36	0.099		
37	0.012		
38	0.013		
39/1	0.011		
39/2	0.024		
49	0.054		
48	0.090		
79/4	0.054		
81/1	0.050		
81/2	0.043		
81/3	0.024		
82/1	0.004		
82/4	0.020		
82/8	0.026		
82/5	0.030		

योग . . . 03.075 हेक्टर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खापरकलां जलाशय के अन्तर्गत बांध एवं नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.

- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 10405-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—जुन्नारदेव
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बेलगांवमाल, ब.नं.-410,
प.ह.नं.-74, रा.नि.म.-दमुआ
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-01.000 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/1	0.062
1/2	0.075
2	0.077
41	0.265
39/1	0.080
39/2	0.170
38/1	0.012
29/2	0.066
30	0.019
31	0.104
77	0.070

योग 01.000 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियाँ।

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता

है—खापरकला जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में।

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है।
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है।
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है।

क्र. 10406-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—
- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
- (ख) तहसील—जुन्नारदेव
- (ग) नगर/ग्राम—ग्राम-घानाउमरी, ब.नं.-144,
प.ह.नं.-68, रा.नि.म.-नवेगांव।
- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-02.990 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियाँ।

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
296/3	0.113
296/4	0.104
309/2	0.198
312	0.092
311	0.230

(1)	(2)	वेबसाइट http://www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाइट http://www.mprevenue.nic.in पर भी देखा जा सकता है.
288/1	0.184	
310/2	0.299	
288/2	0.150	
209	0.029	(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
210	0.072	
213/1	0.023	
213/3	0.020	
213/4	0.008	(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
213/5	0.008	
213/6	0.006	
216	0.160	
218	0.024	(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
186/2	0.083	
190/1	0.008	
190/2	0.005	
190/3	0.008	
189/1	0.024	
189/2	0.030	
188	0.034	
184	0.080	
186/3	0.015	
183	0.057	
187/1	0.028	
187/2	0.020	
153/2	0.150	
153/1	0.048	
152	0.240	
287/1	0.069	
284	0.018	
285/1	0.066	
285/2	0.044	
264/2	0.190	
285/3	0.053	
	योग . . . 02.990 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.	
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—खापरकला जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.		
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी		

क्र. 10407-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—जुन्नारदेव
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बिछुआकला, ब.नं.-308, प.ह.नं.-63, रा.नि.म.-नवेगांव.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-56.773 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
119/1	0.512
127/1	0.216
137/1	0.025
119/2	1.917
123/2	1.580
119/5	1.023
119/6	0.512
123/1	7.426

क्र. 10408-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—जुन्नारदेव
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बूचनवाड़ी, ब.न.-408,
प.ह.न.-63, रा.नि.म.-नवेगांव
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-0.901 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
54/4	0.085
47/1	0.083
58/1	0.135
54/1	0.016
54/5	0.145
54/3	0.437

योग . . . 0.901 हेक्टेयर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत बांध निर्माण के लिये निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी किया जा सकता है.

- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10409-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि के अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—जुन्नारदेव
(ग) नगर/ग्राम—घरेटिया, ब.नं.-142, प.ह.नं.-64,
रा.नि.म.-नवेगांव.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

01.907 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल-
पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
1/1	0.046
1/3	0.014
1/7	0.020
4/1	0.048
66/7	0.041
1/4	0.044
4/2	0.199
8/2	0.022
65/5	0.027
8/8	0.015

(1)	(2)
63/1	0.008
8/6	0.021
62	0.011
8/7	0.025
63/2	0.009
66/1	0.041
66/2	0.032
66/6	0.038
78/1	0.183
79	0.014
109	0.279
110/1	0.005
65/1	0.035
78/2	0.060
89	0.193
118	0.050
112/2	0.314
112/1	0.113

योग . . . 01.907 हेक्टर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—सेल्टिया जलाशय योजना के अन्तर्गत नहर निर्माण के लिए निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-जुन्नारदेव, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

छिन्दवाड़ा दिनांक 17 अक्टूबर 2017

क्र. 10455-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः “भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013” की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

- (1) भूमि का वर्णन—

(क) जिला—छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील—अमरवाड़ा

(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-खिरेटी, प.ह.न.-43, ब.नं.-48,
रा.नि.म.-अमरवाड़ा

- (घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.530 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खंसा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
312	0.026
311, 313	0.060
307/1	0.180
307/2	0.074
316/2	0.020
317/1	0.010
317/3	0.090
317/4	0.070

योग . . . 0.530 हेक्टर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—कैकड़ा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.

- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी देखा जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

(1)	(2)
204/5, 207/1	0.060
205/1, 206/1	0.075
205/2, 206/2, 207/2	0.092
284/1	0.048
204/1	0.045

योग . . . 0.390 हेक्टर एवं
प्रस्तावित
क्षेत्रफल पर
आने वाली
संपत्तियां.

- (2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है—केकडा जलाशय के अन्तर्गत नहर निर्माण हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में.
- (3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट <http://www.chhindwara.nic.in> एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट <http://www.mprevenue.nic.in> पर भी किया जा सकता है.
- (4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में किया जा सकता है.
- (5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.
- (6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग अमरवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के कार्यालय में भी किया जा सकता है.

क्र. 10456-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :-

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन—

- (क) जिला—छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील—अमरवाड़ा
(ग) नगर/ग्राम—ग्राम-बड़ेला, ब.न.-186,
प.ह.न.-44, रा.नि.म.-अमरवाड़ा
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.390 हेक्टर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर	प्रस्तावित रकबा (हे. में)
(1)	(2)
203/2	0.060
203/1	0.010
204/2, 204/3,	

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जे. के. जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश	(1)	(2)
एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व	1896	0.005
विभाग	1880	0.045
	1879	0.330
छतरपुर, दिनांक 16 अक्टूबर 2017	1837	0.005
	1838	0.115
प्र. क्र. 01-अ-82-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन	1871	0.120
को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के	1868	0.005
पद (2) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित	1867	0.010
भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-	1866	0.025
अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता	1861	0.070
का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा	1864	0.010
19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की	1863	0.030
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	1862	0.040
अनुसूची	1859	0.040
(1) भूमि का वर्णन—	1858	0.050
(क) जिला—छतरपुर (म. प्र.)	1857	0.030
(ख) तहसील—छतरपुर	1314	0.140
(ग) नगर/ग्राम—पठादा पठादा माइनर	1315	0.080
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.528 हेक्टेयर.	1325	0.075
भूमि का खसरा	1322	0.005
नम्बर	1338	0.145
(1)	1339	0.045
अर्जित रकबा	1326	0.095
(हेक्टेयर में)	1327	0.005
(2)	1345	0.220
1943	1346	0.015
1942	1379/1	0.058
1941	1379/2	0.058
1930	1377	0.025
1931	1380/2	0.070
1926	1381	0.085
1923	1382	0.170
1924	974	0.015
1920	973	0.025
1918	972	0.030
1919	971	0.040
1921		
1894		
1895		

(1)	(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	
970/1	0.035	अनुसूची	
970/2	0.005	(1) भूमि का वर्णन—	
968	0.005	(क) जिला—छतरपुर	
969	0.260	(ख) तहसील—लवकुशनगर	
953	0.170	(ग) ग्राम—बरौहा	
954/2	0.045	(घ) लगभग क्षेत्रफल, निजी भूमि—12.530 हेक्टेयर.	
950	0.085		
951	0.010	भूमि का खसरा	अर्जित रकबा
945	0.155	नम्बर	(हेक्टेयर में)
941/1	0.010	(1)	(2)
941/2	0.072	813	0.067
941/3	0.020	817	0.180
927	0.150	818	0.810
928	0.155	819	0.010
930	0.210	827	1.272
1954/925	0.005	828	0.579
926	0.090	829/1	0.202
56	0.210	830/1	0.180
50	0.120	830/2	0.180
51	0.015	831/1	0.405
49	0.170	831/2	1.145
46	0.005	832/1/1/1	0.083
45	0.265	832/1/2	0.533
	योग . . . 5.528	832/1/3	0.143
		832/2	1.164
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु,		832/3/1	0.355
		832/4/1/1	1.560
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.		832/4/2	0.998
		832/5/1	0.779
		833/1	0.160
		834	0.480
प्र. क्र. 02-अ-82-2016-17-भू-अर्जन-2017.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुर्नवासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की		844/1/4	0.140
		844/2	0.100
		1250/2/3	0.595
		1169/1/1	0.410
		योग . . .	12.530
		(2) सिंहपुर बैराज परियोजना के डूब क्षेत्र हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है.	

	(1)	(2)
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), लवकुशनगर में किया जा सकता है.	3237/2	0.039
	3237/3	0.039
प्र. क्र. 04-अ-82-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—	3237/4	0.039
	3310	0.140
	3309	0.070
	3246	0.190
	3245	0.010
	3243/1	0.070
	3243/मिन-1	0.018
	3243/मिन-3	0.007
	2785	0.200
(1) भूमि का वर्णन—	2783	0.089
(क) जिला—छतरपुर (म. प्र.)	2782/1	0.150
(ख) तहसील—छतरपुर	2782/2	0.180
(ग) नगर/ग्राम—ईशानगर	2790/1	0.065
(घ) लगभग क्षेत्रफल—5.904 हेक्टर.	2718	0.030
	2791	0.086
भूमि का खसरा	2717	0.010
नम्बर	2716	0.005
(1)	(2)	2812
2207	0.280	2813/1/1
2267	0.130	2813/1/2
2268	0.075	2816
2266	0.236	2815/1
2247/1	0.010	2815/2
2252	0.020	2881
2254	0.060	2882
2251	0.005	2880
2253	0.123	2879
2256	0.040	2883
2301/1	0.250	2884
2302	0.310	2885
2298/2	0.090	2886
2298/1 मिन-3	0.040	2887
3490/2296/1/2	0.075	414
2294/1/1	0.110	398
3237/1	0.040	

(1)	(2)	प्र. क्र. 07-अ-82-भू-अर्जन-2016-17.—चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (3) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि-अर्जन पुर्नवास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत इसके लिए यह घोषित किया है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:—																								
400	0.005	<p style="text-align: center;">अनुसूची</p> <p>(1) भूमि का वर्णन—</p> <p>(क) जिला—छतरपुर (म. प्र.)</p> <p>(ख) तहसील—छतरपुर</p> <p>(ग) नगर/ग्राम—दिदौल</p> <p>(घ) लगभग क्षेत्रफल—0.886 हेक्टर.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>भू-अर्जन खसरा नम्बर</th> <th>अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)</th> </tr> <tr> <th>(1)</th> <th>(2)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1169</td> <td>0.005</td> </tr> <tr> <td>1168/1</td> <td>0.108</td> </tr> <tr> <td>1167/1</td> <td>0.213</td> </tr> <tr> <td>1487/1155/2</td> <td>0.252</td> </tr> <tr> <td>1155/1</td> <td>0.122</td> </tr> <tr> <td>1154/1</td> <td>0.092</td> </tr> <tr> <td>1153/1</td> <td>0.044</td> </tr> <tr> <td>1153/2</td> <td>0.040</td> </tr> <tr> <td>1153/6</td> <td>0.010</td> </tr> <tr> <td>योग . . .</td> <td>0.886</td> </tr> </tbody> </table>	भू-अर्जन खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)	(1)	(2)	1169	0.005	1168/1	0.108	1167/1	0.213	1487/1155/2	0.252	1155/1	0.122	1154/1	0.092	1153/1	0.044	1153/2	0.040	1153/6	0.010	योग . . .	0.886
भू-अर्जन खसरा नम्बर	अर्जित रकबा (हेक्टेयर में)																									
(1)	(2)																									
1169	0.005																									
1168/1	0.108																									
1167/1	0.213																									
1487/1155/2	0.252																									
1155/1	0.122																									
1154/1	0.092																									
1153/1	0.044																									
1153/2	0.040																									
1153/6	0.010																									
योग . . .	0.886																									
399	0.062																									
395	0.005																									
397.	0.090																									
396	0.030																									
390	0.010																									
391	0.030																									
393	0.005																									
392	0.120																									
381	0.120																									
379	0.020																									
3457	0.052																									
3505/3456	0.051																									
3322	0.020																									
3327	0.170																									
3326	0.140																									
3325	0.035																									
3329/1	0.060																									
3330	0.055																									
3331	0.055																									
3332	0.055																									
3334/1/ख/2	0.055																									
3334/1/ख/1	0.040																									
3336	0.035																									
3337	0.055																									
3219	0.140																									
3218	0.005																									
3220	0.080																									
योग . . .	5.904																									
(2)	सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है—तरपेड मध्यम परियोजना के नहर निर्माण में अर्जित भूमि हेतु.	(2)																								
(3)	भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी, छतरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.	(3)																								
		मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रमेश भण्डारी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.																								

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

गणना-पत्रक

Jabalpur, the 3rd October 2017

No. 1187-Confdl.-2017-II-2-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting two day's **Workshop on-Key issues and challenges under Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989** for the Special Judges dealing cases under the Act on **13th & 14th October, 2017** in the Academy. Judges, whose names and postings figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Workshop.

Jabalpur, the 5th October 2017

No. 1200-Confdl.-2017-II-3-1-2017.—Madhya Pradesh State Judicial Academy, High Court of Madhya Pradesh, Jabalpur is conducting **Induction Training (Third Phase) (First Batch)** for the newly appointed **Civil Judges Class II of 2017 Batch from 23rd October 2017 to 17th November, 2017** in the Academy. Trainee Judges, whose names and posting figure in the endorsement are directed to attend the aforesaid course.

By order of Hon'ble the Chief Justice,
MOHD. FAHIM ANWAR, Registrar General.

जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2017

क्र. E-7335-दो-3-420-80-भाग बारह.—श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 30 सितम्बर 2017 को उनके अवकाश लेखा में शेष बचे अवकाश में से 195 दिवस (एक सौ पंचानबे दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिये समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3(ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(3), समसंख्यक पत्र क्रमांक-1734-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 2 जनवरी 2009 एवं मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक-एफ-6-1-2012-नियम-चार, दिनांक 25 सितम्बर 2012 में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

1. श्री देवेन्द्र सिंह सोलंकी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार (जिला एवं सत्र न्यायाधीश), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, खण्डपीठ इन्दौर का नियुक्ति दिनांक. : 17-08-1987
2. सेवानिवृत्ति दिनांक : 30-09-2017
3. नियुक्ति दिनांक से दिनांक 09-03-1987 तक कुल सेवा अवधि. : लागू नहीं
4. दिनांक 17-08-1987 से सेवानिवृत्ति दिनांक तक कुल सेवा अवधि. : 30 वर्ष, 01 माह, 13 दिन.
5. कालम (3) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 15 दिन की दर से). : लागू नहीं
6. कालम (4) में अंकित अवधि हेतु समर्पण अवकाश की पात्रता (एक वर्ष में 7 दिन की दर से तथा दो वर्ष में 15 दिन की दर से). : 30=15×15=225 दिन
7. कुल अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. : 225 दिन
8. घटाइये:—सेवा के दौरान लिया गया अवकाश समर्पण का लाभ. : 30 दिन
9. सेवानिवृत्ति पर अर्जित अवकाश समर्पण की पात्रता. (सेवानिवृत्ति दिनांक 30-09-2017 को शेष अर्जित अवकाश 235 दिन). : 195 दिन

नोट.—मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-897-इक्कीस ब (एक) 07, दिनांक 21 जून 2007 के अनुसार दिनांक 01 नवम्बर 1999 के पश्चात् के अर्जित अवकाश नगदीकरण को उपरोक्त गणना में सम्मिलित नहीं किया गया है।

जबलपुर, दिनांक 27 सितम्बर 2017

क्र. A-2237-दो-3-15-2003.—श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करके पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 सितम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2241-दो-2-44-2017.—श्री डी. आर. गुजरकर, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को कुटुंब न्यायालय से दिनांक 3 सितम्बर 2017 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 2 दिसम्बर 2015 से 3 सितम्बर 2017 तक लगभग बीस माह की अवधि के लिये पात्रतानुसार 24 दिवस (चौबीस दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए)19-03-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. A-2253-दो-2-47-2010.—श्री आर. एन. पटेल, सेवानिवृत्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मण्डला को कुटुंब न्यायालय से दिनांक 20 सितम्बर 2017 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप दिनांक 2 दिसम्बर 2015 से 20 सितम्बर 2017 तक लगभग बीस माह की अवधि के लिये उनके अवकाश लेखा में शेष बचे 18 दिवस (अठारह दिवस मात्र) के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3-(ए) 19-03-इक्कीस-ब(एक), दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12(1) एवं ज्ञापन क्रमांक 1445-630-898-इक्कीस-ब (एक), दिनांक 5 मई 2007 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है।

क्र. A-2256-दो-2-31-2014.—श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 सितम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री ए. के. श्रीवास्तव, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ए. के. श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. A-2261-दो-2-5-2015.—श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 25 से 27 सितम्बर 2017 तक दोनों सम्मिलित करके तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 24 सितम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 सितम्बर 2017 से 2 अक्टूबर 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सरिता सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सरिता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-7333-दो-2-57-2014.—श्री रवि कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 10 सितम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 16 एवं 17 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री रवि कुमार नायक, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, अनूपपुर को अनूपपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि कुमार नायक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-7339-दो-2-24-2014.—श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को दिनांक 11 से 15 सितम्बर 2017 तक पाँच दिन का कम्प्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार शर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, टीकमगढ़ को टीकमगढ़ पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार शर्मा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-7341-दो-2-32-2014.—श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को दिनांक 12 सितम्बर 2017 का एक दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. सिंह, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को शहडोल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-7343-दो-2-67-2016.—श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को दिनांक 18 से 23 सितम्बर 2017 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं।

क्र. E-7345-दो-2-51-2017.—श्री एस. बी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 11 से 13 सितम्बर 2017 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री एस. बी. वर्मा, जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एस. बी. वर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-7347-दो-2-15-2013.—श्री विनोद भारद्वाज, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 28 अगस्त 2017 से 01 सितम्बर 2017 तक पांच दिन का कम्यूटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री विनोद भारद्वाज, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

कम्यूटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद भारद्वाज, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

क्र. E-7349-दो-2-15-2013.—श्री विनोद भारद्वाज, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को दिनांक 20 से 27 सितम्बर 2017 तक आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 सितम्बर 2017 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 सितम्बर 2017 से 02 अक्टूबर 2017 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री विनोद भारद्वाज, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री विनोद भारद्वाज, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते।

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 26 सितम्बर 2017

क्र. B-5196-तीन-6-4/57-भाग 40.—दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (सन् 1974 का अधिनियम क्रमांक-2) की धारा 11 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश अपनी अधिसूचना क्रमांक सी-1601-तीन-6-4/57 भाग-40 दिनांक 08 अप्रैल 2015 को अतिष्ठित करते हुए श्री संतोष कुमार कोल, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, जबलपुर को विधि और विधायी कार्य विभाग, मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना

क्रमांक-1-5-96-इक्कीस-बी(1) दिनांक 3 मार्च 2011 द्वारा जबलपुर, कटनी, बालाघाट, बैतूल, छिंदवाड़ा, टीकमगढ़, दमोह, होशंगाबाद, छतरपुर, नरसिंहपुर, रीवा, सिवनी, मण्डला, शहडोल, सीधी, सागर, सतना, पन्ना, डिण्डोरी, उमरिया, अनूपपुर और सिंगरौली जिलों की सीमाओं के लिए भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का अधिनियम क्रमांक-49) के अध्याय 3 में वर्णित अपराधों को छोड़कर ऐसे अपराधों, जिनका अन्वेषण दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम, 1946 के अधीन विशेष पुलिस स्थापना केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा किया गया हो, के विचारण करने हेतु (सी.बी.आई. मामलों के लिए विशेष रूप से) निर्मित विशेष न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय का पीठासीन अधिकारी नियुक्त करता है।

न्यायालय का मुख्यालय जबलपुर में रहेगा।

No. B-5196-III-6-4/57-XL.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 11 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974) and in supersession of its Notification No. C/1601/III-6-4/57-40 dated 8th April, 2015 the High Court of Madhya Pradesh appoints Shri Santosh Kumar Kol, JMFC, Jabalpur to be the Presiding Officer of the Court of Judicial Magistrate First Class (Specially for C. B. I. Cases) established by the Government of Madhya Pradesh vide Law & Legislative Affairs Department Notification No. F-1/5/96/XXI-B(1), dated 03rd March, 2011 for the areas comprising the District Jabalpur, Katni, Balaghat, Betul, Chhindwara, Tikamgarh, Damoh, Hoshangabad, Chhatarpur, Narsinghpur, Rewa, Seoni, Mandla, Shahdol, Sidhi, Sagar, Satna, Panna, Dindori, Umariya, Anuppur and Singrauli for trial of offences investigated by the Special Police Establishment Act, 1946, except those specified in Chapter-III of Prevention of Corruption Act, 1988 (49 of 1988).

The Head quarter of the Court shall be at Jabalpur.

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
सनत कुमार कश्यप, रजिस्ट्रार (डी ई).

जबलपुर, दिनांक 4 अक्टूबर 2017

क्र. B-5267-दो-2-57-2009.—श्री फसाहत हुसैन काजी, रजिस्ट्रार (आई. टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 13 से 15 सितम्बर 2017 तक तीन दिन का तथा दिनांक 20 से 23 सितम्बर 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है।

अवकाश से लौटने पर श्री फसाहत हुसैन काजी, रजिस्ट्रार (आई. टी.), उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री फसाहत हुसैन काजी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार (आई. टी.), के पद पर कार्यरत रहते।

जबलपुर, दिनांक 5 अक्टूबर 2017

क्र. E-7442-दो-2-41-2007.—श्री संजीव कालगांवकर, इंचार्ज डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 से 23 सितम्बर 2017 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 24 से 27 सितम्बर 2017 तक चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है। साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 सितम्बर 2017 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव कालगांवकर, इंचार्ज डायरेक्टर, एम.पी.एस.जे.ए., उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है।

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव कालगांवकर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो इंचार्ज डायरेक्टर के पद पर कार्यरत रहते।

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, रजिस्ट्रार.

जबलपुर, दिनांक 04 अक्टूबर 2017

क्र. 1192-गोपनीय-2017-दो-2-10/62-(भाग-आठ).—भारतीय संविधान के अनुच्छेद 235 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, एतद्वारा उच्च न्यायालय आदेश क्रमांक-988-गोपनीय-2017-दो-2-10-62 (भाग-8) दिनांक 02 अगस्त 2017 के सरल क्र. 7, 45 से 58 एवं 60 से 63 में आंशिक संशोधन करते हुये, जहाँ तक, उसका संबंध निम्न सारणी के स्तम्भ

क्रमांक (3) में दर्शाये गये जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड वेतनमान) के न्यायिक अधिकारी से है, उनके नाम के समक्ष स्तम्भ क्रमांक (4) में दर्शाये गये दिनांक के स्थान पर, स्तम्भ क्रमांक (5) में दर्शाये गये पुनरीक्षित दिनांक (जिला न्यायाधीश प्रवेश स्तर में 5 वर्ष की सेवा पूर्ण करने की तिथि) से जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड) (Selection Grade Scale) के वेतनमान रुपये 57700—1230—58930—1380—67210—1540—70290/- में नियुक्त करता है:—

सारणी

क्रमांक	आदेश क्र. 988 दि. 02-08-17 का सरल क्रमांक	नाम	पूर्व में जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड वेतनमान) में नियुक्ति का दिनांक	जिला न्यायाधीश (चयन ग्रेड वेतनमान) स्वीकृत किये जाने का पुनरीक्षित दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	7	श्री हितेन्द्र सिंह सिसोदिया	13-04-2016	16-12-2016
2	45	श्री वाचस्पति मिश्र	05-10-2016	02-12-2016
3	46	श्री रामप्रताप सिंह	05-10-2016	03-12-2016
4	47	श्री देवनारायण (शुक्ला)	05-10-2016	07-12-2016
5	48	श्री लखन लाल गर्ग	05-10-2016	07-12-2016
6	49	श्रीमती तृप्ति शर्मा	05-10-2016	19-12-2016
7	50	श्री जाकिर हुसैन	05-10-2016	19-12-2016
8	51	श्री सुदीप कुमार श्रीवास्तव (सीनियर)	05-10-2016	19-12-2016
9	52	श्री संजीव कुमार अग्रवाल	05-10-2016	19-12-2016
10	53	श्रीमती विधि सक्सेना	05-10-2016	19-12-2016
11	54	श्री कपिल कुमार मेहता	05-10-2016	19-12-2016
12	55	श्री मोहन पी. तिवारी	05-10-2016	19-12-2016
13	56	श्री राकेश कुमार (गुप्ता)	05-10-2016	28-03-2017
14	57	श्री रविन्द्र सिंह कुशवाह	05-10-2016	30-03-2017
15	58	श्री राजीव कुमार अयाची	05-10-2016	12-04-2017
16	60	श्री जय प्रकाश सिंह	05-10-2016	12-04-2017
17	61	श्री सुरेश कुमार चौबे (सीनियर)	05-10-2016	12-04-2017
18	62	श्री मधुसूदन मिश्रा	05-10-2016	12-04-2017
19	63	श्री सुरेश सिंह	05-10-2016	12-04-2017

उच्च न्यायालय के आदेशानुसार,
मो. फहीम अनवर, रजिस्ट्रार जनरल.